षष्ठम् माला, खंड 2, अंक 5, गुरुवार, 16 जून, 1977/26 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. II, No. 5, Thursday, June 16, 1977/Jyaistha 26, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No...105(2).......
Date..15-12-77.......

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5, गुरुवार, 16 जून, 1977/26 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

No. 5, Thursday, June 16, 1977/Jyaistha 26, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	1—14
*तारांकित प्रश्न संख्या 62 से 64, 66 और 67	*Starred Questions Nos. 62 to 64, 66 and 67	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	14—139
तारांकित प्रश्न संख्या 61, 65 और 68 से 80	Starred Questions Nos. 62, 65 and 68 to 80	
अतारांकित प्रश्न संख्या 569 से 636, 638 से 706 और 708 से 768	Unstarred Questions Nos. 569 to 636, 638 to 706 and 708 to 768	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	140– 142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—न्यायाधीशों के कथित कच्चे चिट्ठे (डोजियर्स)	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—Alleged dossiers on Judges	142—144
श्री वयालार रवि	Sh. Vayalar Ravi	142
श्री शान्ति भूषण	Sh. Shanti Bhushan	143
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1974-75 विवरण प्रस्तुत किया गया	Demands for Excess Grants (General) —1974-75—Statement presented.	144
राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Bill—Introduced.	145
अनुदानों की मांगें (रेल) 1977-78	Demands for Grants (Railways), 1977-78	145—183
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	145
श्री श्री धर्मसिंहभाई पटेल	Shri Dharamasinhbhai Patel	163
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	164

किसी नाम पर अंकित यह† इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	165
श्री पूरन सिन्हा	hri Purna Sinha	165
श्री जनार्दन पुजारी	Shri Janardhana Poojary	167
श्री राम कंवर बेरवा	Shri Ram Kanwar Berwa	168
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	168
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	169
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narayan Naya	170
श्री पी० के० कोडियन	Shri P. K. Kodiyan	171
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	171
श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	172
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah	172
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	173
श्री पी० ए० संगमा	Shri P. A. Sangma	174
कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल	Km. Maniben Vallabhbhai Patel	174
श्री कुंवर महमद अली खां	Shri Kumar Mahmud Ali Khan	175
श्री के० बी० चौधरी	Shri K. B. Chaudhari	175
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata	175
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	176
श्री कल्याण जैन	Shri Kalyan Jain	176
श्री अब्दुल लतीफ	Shri Abdul Lateef	177
श्री हरिशंकर महाले	Shri Harishankar Mahale	177
श्री तुलसीदास दासप्पा	Shri Tulsidas Dasappa	178
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar	178
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	179
श्री राघवजी	Shri Raghavji	180
श्री जे० रामेश्वर राव	Shri J. Rameshwara Rao	181
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	182

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार 16 जून, 1977/26 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
Thursday, June 16, 1977/Jyaistha 26, 1899 (Saka)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्हें क्वार्टर आबंटित किये गये हैं

*62 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित किए गए हैं; और

(ख) दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो में संयंत्रवार, कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

कारखाना	कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हे क्वार्टर दिए गए हैं	जितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गए हैं
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	31,561	16,704	53.0
दुर्गापुर का मिश्र-इस्पात कारखाना	7,044	3,194	46.5
भिलाई इस्पात कारखाना	53,293	31,599	59.29
राउरकेला इस्पात कारखाना	36,457	21,007	57.6
बोकारो इस्पात कारखाना	33,286	18,036	54.2
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी	29,500*	7,572*	25.8*

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : विवरण से पता चलता है कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में 25.8 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवासों की व्यवस्था की गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए कब तक व्यवस्था हो सकेगी ?

श्री बीजू पटनायक : सदस्य महोदय ने जिस स्टील कम्पनी का उल्लेख किया है, उसमें मैंने 25.8 % से बढ़ा कर 34 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु चालू वर्ष के दौरान काफी धनराशि दी है। पिछली सरकार का विचार था कि आवास और श्रम पर होने वाला व्यय अनुत्पादक है। परन्तु वर्तमान सरकार उस अर्थहीन विचार धारा को बदलने का प्रयास करेगी। उदाहरणार्थ 1976-77 में पांचों इस्पात संयंत्रों में आवास के लिए कुल 5 करोड़ रुपए नियत किए थे। पर चालू वर्ष के दौरान मैंने 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त हम श्रमिकों को सहकारी आवास संस्थाएं बनाने के लिए भी उत्साहित कर रहे हैं। उन्हें प्लाट अलाट करके भी इस समस्या को सुलझाया जायेगा। वास्तव में 1308 प्लाट दिये जाने का प्रस्ताव है जिसमें से 20 प्रतिशत संयंत्रों में चीजें बेचने वाले दुकानदारों, सब्जी बेचने वालों तथा अन्य चीजें बेचने वालों को दिए जायेंगे। मैं सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं कि इस समस्या पर अगले 5 वर्षों तक काबू पा लिया जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि अगले 5 वर्ष तक इस समस्या को हल कर लिया जायेगा। क्वार्टरों की संख्या कम होने के कारण इस्पात संयंत्रों में काम करने के लिए हजारों कर्मचारियों को बर्दवान और आसनसोल से दुर्गापुर आना पड़ता है। उनके आने के लिए गाड़ियों की सुचारू व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए इस समस्या को अल्प काल में हल करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

*इसमें कुल्टी वर्क्स भी शामिल है।

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले ही बताया है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 2½ गुना अधिक धनराशि रखी गई है। इस्पात संयंत्र स्वयं 100 प्रतिशत आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते। अतः उनकी सहायता के लिए हम गैर-सरकारी आदमियों को प्लाट अलाट कर रहे हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, हां अप्रत्यक्ष रूप से संयंत्र के कर्मचारी हैं। ये स्वयं भी मकान बनायेंगे और किराये पर भी उठा देंगे। जिनके पास मकान नहीं हैं हम उन्हें आवास किराया भत्ता देते हैं। जो सदस्य महोदय ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। जो बात पिछले 10-15 वर्षों में नहीं हुई उसे अगले 5 वर्षों में किया जाना है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, May I know whether the housing facilities proposed to be given to workers in Steel Plants will be extended to other public sector factories.

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले ही कहा है कि इस्पात संयंत्रों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए प्लाट अलाट किए जायेंगे। उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और गृह निर्माण की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से सहायता दी जायेगी। हमारा मंत्रालय इस देश में अपना आवास कार्यक्रम बनाने में दिलचस्पी रखता है जिससे हमारे देश का सामान यहां लगे। हम अन्य क्षेत्रों में भी स्कीम बना रहे हैं।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : My question has not been replied to. I had asked whether this facility will be extended to other public sector factories

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है। वह स्थानों का आवंटन कर रहे हैं जहां वे इच्छानुसार मकान बना सकते हैं।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : क्या मंत्री जी क्वार्टरों के आवंटन में नया दृष्टिकोण अपनाना चाहेंगे अर्थात् क्वार्टर का आवंटन हैसियत के स्थान पर आवश्यकता के आधार पर किया जाये। कई स्थानों पर मैंने देखा है कि पति-पत्नी का परिवार 30 कमरों के क्वार्टर में रह रहा है। वे स्वयं कहते हैं कि हम इतने बड़े मकान को ठीक तरह से नहीं संभाल पाते। इसलिए आवश्यकता को आधार बनाने के प्रश्न पर क्या विचार किया जायेगा?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र में कितने प्रतिशत कर्मचारियों को आवास आवंटित किए गए हैं और सभी के लिए व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा?

श्री बीजू पटनायक : जहां तक राउरकेला का प्रश्न है, 57.6 प्रतिशत कर्मचारियों को मकान मिले हुए हैं और अगले 5 वर्षों में आशा है कि यह 80 प्रतिशत हो जायेगा। जैसा मैंने कहा है, कि प्लाट अलाट किए जायेंगे। इस समस्या को दोतरफा तरीके से काबू में लाया जा रहा है।

जहां तक कई अधिकारियों के पास बड़े बंगले होने का प्रश्न है यह आर्थिक प्रश्न है कि 2000 वर्ग फुट से अधिक रहने की जगह किसी को न दी जाये। सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है और जब भी अन्तिम निर्णय लिया जायेगा उसे सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रो० आर० के० अमीन : क्या आवास आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि कर्मचारी की कार्यकुशलता भी बढ़े? केवल हैसियत बढ़ाने पर ही ध्यान न दिया जाये। क्योंकि कार्यकुशलता बढ़ने की सापेक्षता का तो हम आसानी से पता चला सकते हैं।

श्री बीजू पटनायक : कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत अधिक आवास स्थानों की व्यवस्था करना है ।

देश में भू-केन्द्र

*63. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में भू-केन्द्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां कहां; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पूणे के निकट आर्वी और देहरादून में उपग्रह संचार के लिए दो मानक भू-केन्द्र हैं। इन भू-केन्द्रों में ठीक तरह से घुमाए-फिराए जा सकने वाले, 29 मीटर व्यास के एण्टीना लगे हैं । हिन्द महासागर पर स्थित 'इण्टलसेट के उपग्रह के माध्यम से इन्हें विदेश संचार सेवा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संचार-सम्पर्क के लिए चलाया जाता है ।

उपग्रह संचार-सम्पर्क के लिए, चार प्रायोगिक भू-केन्द्र हैं । इनमें से दो अहमदाबाद और दिल्ली में हैं। बाकी दो चलते-फिरते/संवहनीय किस्म के हैं। इनको विभिन्न उपग्रहों के साथ प्रयोग के लिए काम में लाया जाता है। इन भू-केन्द्रों का संचालन भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा होता है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या सरकार इन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करेगी ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं और नही केन्द्रों को बढ़ाने की कोई जरूरत है। वर्तमान दो केन्द्र हमारी यातायात सम्बन्धी जरूरतें पूरी कर सकते हैं ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या मंत्री जी सभा को इस बात की जानकारी देंगे कि क्या ये केन्द्र भू-संसाधन तकनीक अध्ययन में भी रुचि लेंगे अर्थात् देश में भू-संसाधनों का अध्ययन करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : इस समय ये केन्द्र टेलीफोन, टेलेक्स और टेलीग्राफ यातायात का ही कार्य देखते हैं ।

एक सदस्य : महोदय : क्या सरकार पुणे के निकट भू-केन्द्र की कार्य क्षमता से संतुष्ट है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : जी हां। यह केन्द्र समुद्र-पार टेलीफोन, दूर संचार और टेलेक्स यातायात को सम्भाल रहा है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या आप मुद्रण कार्य के लिए भी उसका उपयोग करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : जी नहीं ।

विश्वायतन योगाश्रम और सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ योग, नई दिल्ली के लेखे

*64. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नई दिल्ली स्थित विश्वायतन योगाश्रम तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ योग को तथा दिल्ली से बाहर स्थित इसकी शाखाओं को कितना सहायतानुदान वित्तीय सहायता और अन्य रियायतें दी गई तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सहायतानुदान आदि का उन्हीं कार्यों के लिए उपयोग किया गया जिनके लिए वे दी गई थीं ;

(ग) क्या इन संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा की गई है और यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं के कार्यकलापों की जांच कराने का है ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. *See* No. LT.—360/77].

(b) & (c). The accounts of the grants sanctioned for the clinical research unit (Yoga)/ Central Resarch Institute for Yoga and Vishwayatan Yogashram's branches at New Delhi and Katra Vaishnodevi have been audited by a Chartered Accountant for 1974-75 and 1975-76 with certain observations. Copies of these audited statements of accounts are laid on the Table of the Sabha. [LT.—360-77]

(d) An inquiry into the utilisation of grants sanctioned to the clinical research unit (Yoga) and Central Research Institute for Yoga has already been conducted. A similar inquiry is being conducted with regard to the utilisation of the grants sanctioned to the Vishwayatan Yogashram by the Ministry of Education and Social Welfare.

As a result of the inquiry already completed the management of the two Yoga institutions has been taken over by the Central Government by promulgation of an Ordinance on 24th May, 1977.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : May I know from the hon. Minister whether it has been mentioned in the statement that some loan was taken by the Managing Trustee on which neither income-tax was deducted nor the same was given to the Government. In this regard it has been recommended by Chartered Accountants, that perhaps Ashram may have to pay penalty for the same ? The fixed assets register is not being maintained on daily basis. May I know if Government has made any enquiry about the same ? The stock register is also not being maintained daily. There are a number such items which are fixed assets but are shown as saleable items. Besides, the consolidated accounts of Branch as Unit are not being maintained. May I know if all these lapses are being looked into and if so, that should be received.

SHRI RAJ NARAIN : Sir, with due permission I would like to read out some details from the report for the information of the Members so that such questions are not raised again. A registered society in the name of Vishwayatan Yogashram was established in 1940. In addition to the other objects, are objects of the society was to study and educate the different aspects of Yoga science. The management of this society is carried out by a board of trustees whose Members at present are as under :—

(i) Swami Dhirendra Brahmachari— Managing Trustees.

SHRI K. S. CHORDA : What you have said ?

Is he a Brahmachari ?

SHRI RAJ NARAIN : Swami Dhirendra Brahmachari, I have read it as "Brahmachari" as it is written here. If in your mind word "Durachari" has struck, what can I do.

SHRI O. P. TYAGI : There is a case of adultery against him in the Court.

SHRI RAJ NARAIN : (2) Shri Ved Vyas, Advocate Supreme Court, Chairman and Trustee.

(3) Shri Jatendra Mahajan, Advocate, Supreme Court *Trustee*

(4) Shri S. N. Mishra, Ex. M.P. *Trustee*

(5) One representative of the Ministry of Education Shri A. S. Talwar, *Deputy Secretary*

(6) Director of Central Research Council of Homoeopathy and Indian medicine (Dr. P. N. V. Kurup).

2. The Education Ministry has been providing funds for recurring and non-recurring expenditures for two centres of Yogashram situated at Delhi and Katra Vaishnavdevi from 1957-58. Please listen to me carefully. You should try to understand who was the education Minister at that time.

In 1963 who complaints about embezzlement and fraud in this Yogashram were received by the Education Minister, at that time it was decided to stop all grants to this institution and an enquiry by special Police Establishment was held to look into its affairs. It was also decided to entrust the enquiry work to Accountant General. As a result of enquiry no grant was given in 1963-64 and 1964-65. But the grant to this Yogashram was resumed in 1965-66 on the recommendation of a Committee set to look into the functioning of this Yogashram. In the year 1976-77 these two centres of this Yogashram were given Rs. 10.67 lakhs for recurring expenditure and Rs. 4.53 lakhs for non-recurring expenditure.

The Central Council of system of India Medicine and Homoeopathy is such organisation which comes under Ministry of Health and its purpose is to carry out the research work with regard to indigenous medicines and homoeopathy. This Vishwayatan Yogashram agreed to open a clinical unit (Yoga) under the charge of Swami Dhirendra Brahmachari whose object was to study the effects of Yoga and its different exercises on diseases such as diabetes, ashthma etc. The Central Research Council of Indian Medicine System and Homoeopathy gave following grants to this Clinical Research Unit.

1969-70	Rs. 30,000
1970-71	Rs. 1,89,875
1971-72	Rs. 3,41,727
1972-73	Rs. 2,35,000
1974-75	Rs. 3,00,000
1975—76	Rs. 6,00,000
1976-77	Rs. 8,00,000

So, Sir, that in all a sum of Rs. 42 lakhs was given to this institution jointly by our Education Department and Health Department. On the recommendations of Scientific Advisory Board (Yoga) of the Central Council of Indian Medicine System and Homoeopathy, the Council in its executive Committee meeting held on 4-8-73, accepted in principal that the Clinical Research Unit (Yoga) which is being run with the grant of Vishwayatan Yogashram should be converted into a Central Research Institute and a Central Research Institute (Yoga) should be opened. This Central Research Institute was opened in the form of a Registered Society.

कुछ माननीय सदस्य : यदि मंत्री महोदय इसी प्रकार उत्तर देते रहे तो फिर बाकी प्रश्नों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह पूर्ण जानकारी एक ही बार दिये जा रहे हैं ताकि इनके बारे में और पूरक प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश न रहे। अब मंत्री महोदय अपना उत्तर समाप्त करने का प्रयास करें।

SHRI RAJ NARAIN : This Ministry appointed an officer to inquire into the utilization of the money given to this Clinical Research Unit (Yoga) situated in Vishwayatan Yogashram which was later known as Central Research Institute (Yoga). In the report of inquiry officer serious irregularities have been pointed out and also the following matters need a special reference.

"Shri Dhirendra Brahmachari, Director Central Research Institute (Yoga) had been making use of these funds without proper authority;

2. No account has been maintained for assets, storage of consumable goods;

3. False transfers have been shown of the buildings and assets in doubtful manner.

4. Accounts have not been properly maintained.

There is an adverse comment by the Audit Officer with regard to the grants given by Education Ministry. The brief statement prepared by Education Ministry as given in the annexure indicates gross irregularities in the Vishwayatan Yogashram. Besides, the land allotted by Works and Housing Ministry near 'Gole Dakkhana' has not been properly utilized.

It is clear that proper accounts have not been maitained for the grants given by the Central Government for Vishwayatan Yogashram and in the name of Vishwayatan Yogashram irregularities have been committed in working of the society. Similarly the administration of Central Research Institute (Yoga) has not been properly run and if the present administration is allowed to continue, there is every possibility of misuse of Government funds.

It was, therefore, considered advisable in the public interest to take over the management of Vishwayatan Yogashram and Central Research Institute initially for the two years and Government is empowered to extend this term to five years. The Government will not only frame the general policy of the Yogashram and Central Research Institute (Yoga) which will be according to Memorandum of Association, Rules and Regulations, but will also appoint Administration to run the day-to-day administration of the Yogashram and Research Institute. Necessary funds for running these Institutes will continue to be given by the Health Ministry till the management remains under the Government. Law and Education Ministries have given their consent. Concurrence of the Finance Ministry has also been obtained.

They have also an aeroplane. They have been using it in a most irregular way. It is not known as to how and from which place aeroplane came, where and when its flights are taken.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Was this aeroplane procured at the instance of Shrimati Indira Gandhi and Shri Sanjay Gandhi ?

SHRI RAJ NARAIN : The aeroplane was procured at the instance of Shri Sanjay Gandhi and he used it according to their wishes. This is no Secret.

अध्यक्ष महोदय : जब ये प्रश्न पूछें तो आप उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने हर बात का अच्छे तथा विस्तारपूर्वक ढंग से उत्तर दिया है। अब मैं दूसरे उत्तर की ओर जाऊंगा।

(व्यावधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने समूची सूचना दे दी है ।

(अव्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर, कृपया आप बैठ जायें। यह सब क्या है ? अब आपको बैठ जाना चाहिये।

(व्याधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा चाहे तो मैं प्रत्येक सदस्य को अवसर दूंगा।

SHRI RAJ NARAIN : With your permission I want to give some information. It is their writ petition. After listening to it, you will understand their politics. It is stated.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रफरी याचिका पढ़ना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण : यह रिट याचिका उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दी है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री राजनारायण : मैं सारी नहीं पढ़ रहा।

"चूंकि रद्द अध्यादेश प्रतिवादी की दुराशयपूर्ण कार्यवाही का फल है, जिन्होंने बिना किसी औचित्य तथा सामग्री के, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के परिवार से सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए, याचक संख्या 1 को बदले की भावना से प्रेरित होकर दंडित करने का प्रयास किया है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजनारायण जिन्होंने भूतपूर्व प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, ने इस अध्यादेश का उपयोग प्रथक याचक के विरुद्ध पूरा बदला लेने के लिये किया है . . . . .

This charge has been levelled on me. They say that they have old relations with the family of Shrimati Indira Gandhi. They also say that had relations with Shri Jawahar lal Nehru and that he had been visiting his house in connection with Yoga etc. etc.

This charge has been levelled on me. They say that they have old relations with the family of Shrimati Indira Gandhi. They also say that they had relation with Shri Jawahar lal Nehru and that he had been visiting his house in connection with Yoga etc. etc.

SHRI RAJ NARAIN : The information which I could not give might be seen by the hon. members in the papers.

नेहरू के विरुद्ध इनका जो व्यक्तिगत द्वेष है, उसके बारे हमें कोई आपत्ति नहीं। अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने से वंचित करते हुए इन्हें एक लम्बे वक्तव्य देने की जो छूट दी गई है, वह अनुचित है। हमें प्रश्न पूछने हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी और भी प्रश्न हैं। आप प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं। कृपा करके बैठ जायें।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग में सुधार करने का प्रस्ताव

***66. श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन्स और विशेष रूप से नए टेलीफोन केन्द्रों की 'क्रासवार' प्रणाली के कार्यकरण के बारे में कलकत्ता के लोगों से एवं समाचारपत्रों में बहुत सी शिकायतें आई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है।

(ग) क्या सरकार ने पहले कई अवसरों पर (एक) टेलीफोन के अतिरिक्त कनेक्शन देने (दो) कलकत्ता में सीधे डायल घुमाकर भारत के अन्य नगरों को टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध करने और (तीन) इसके कार्यकरण की पद्धति में सुधार करने के बारे में आश्वासन दिए थे ; और

(घ) यदि हां, तो कलकत्ता टेलीफोन विभाग का विकास करने तथा इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के विभिन्न एक्सचेंजों के कार्यकरण, बाहरी और भीतरी संयंत्र और उपस्कर तथा उपभोक्ताओं के अहातों की फिटिंग और संस्थापनाओं में सुधार लाने का एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है ?

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों में 28,000 से अधिक नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे। टेलीफोन प्रणाली में 40,000 अतिरिक्त लाइनें जोड़ने के लिए संस्थापना कार्य चल रहा है। आशा है कि इसमें से अधिकांश कार्य मार्च 1978 तक पूरा हो जाएगा। तब आवेदकों की मौजूदा प्रतीक्षा सूची के एक बहुत बड़े भाग को टेलीफोन कनैक्शन दे दिए जाएंगे।

कलकत्ता उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग व्यवस्था में 19 नगरों से जुड़ा हुआ है। इनमें दिल्ली, बम्बई, मद्रास, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर और मुजफ्फपुर शामिल हैं।

प्रचालन कार्यकरण में सुधार लाने के लिए इस वर्ष उपभोक्ताओं की 50 प्रतिशत संस्थापनाओं की जांच कर उनमें जो भी खराबियां पायी जाएंगी ठीक की जाएंगी। सभी स्ट्राउजर उपस्कर का ओवरहाल किया जा रहा है और क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर को 'अपग्रेड' किया जा रहा है। जमींदोज केबुलों को 'प्रेसराइज' किया जा रहा है। कुछ प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य का क्रमशः विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है और उसे 'क्षेत्रीय प्रबंधकों' के अधीन रखा जा रहा है।

श्री समर गुह : अभी हाल में कलकत्ता में कुछ क्रासबार प्रणाली के नये टेलीफोन एक्सचैंज लगाये गए हैं। सभी ग्राहकों की आम शिकायत है कि यह प्रणाली बुरी तरह से असफल रही है। मंत्री ने वक्तव्य में कहा है कि वे इसका दर्जा ऊंचा करना चाहते हैं क्या इसका कारण प्रणाली में कोई रासायनिक दोष है या कोई संचालन सम्बन्धी दोष है। मुझे भी क्रासबार प्रणाली का कुछ अनुभव है और मेरे अनुरोध पर उन्होंने दूसरी प्रणाली अपनायी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका कारण औजार की खराबी है अथवा इसमें कोई संचालन सम्बन्धी दोष है। यदि हां, तो इस मामले पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नांडिस : कलकत्ता की अनेक समस्यायें हैं। क्रासबार प्रणाली में अनेक सुधार किए गए हैं। अब ये औजार पहले की अपेक्षा अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। कलकत्ता की समस्या इन औजारों से भी अधिक कठिन है। कलकत्ता में कई विकास कार्य हो रहे हैं। कलकत्ता की सड़कें गिली हो जाती हैं और हमारी केबलें खराब हो जाती हैं। भूमिगत केबलों पर जोर डालना शुरू कर दिया गया है। यदि कोई केबल खराब हो जाये और हम उसे तुरन्त ठीक कर दें तो हम अच्छे ढंग से मोनिटर कर सकेंगे।

कलकत्ता में बिजली की समस्या भी है। वहां बिजली बहुत बंद होती है। टेलीफोन के औजार बहुत नाजुक होते हैं। जब भी बिजली बंद होती है, उसी समय इसमें खराबी आती है तथा धुल अंदर आकर औजारों को खराब करती है। यह सारी समस्याएं कलकत्ता में बिजली की कमी के कारण हैं।

उस शहर में हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय गुज़रने के साथ हम स्थिति में सुधार करने योग्य हो जायेंगे।

श्री समर गुह : मैं दो बार टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक में गया था। समिति की बैठकों में भी हमें ऐसे ही सीधे उत्तर दिए गए थे। प्रश्न यांत्रिक दोष का ही नहीं बल्कि संचालन तथा मानवीय दोषों का भी है। हम सी० एम० ई० के कार्यकरण के बारे में जानते हैं। कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में अखबारों में नित्यप्रति समाचार आते रहते हैं। इन शिकायतों पर विचार करने के लिये क्या आप संसद सदस्यों की एक छोटी-सी समिति का गठन करेंगे? कलकत्ता टेलीफोन एक्सचैंज वास्तव में काम ही नहीं करता है।

श्री वयालार रवि : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कलकत्ता में उन्होंने पुराना क्रास बार उपकरण लगाया है और क्या उसे आई० आई० टी०, जो एक बहु-राष्ट्रीय निगम है, के सहयोग से लगाया गया है? मुझे पता चला है कि आपके मंत्रालय ने

भारतीय तकनीशियनों की सहायता से कुछ रूप-भेद के साथ नई तकनीक लागू की है। क्या आप कलकत्ता में इन नई मशीनों को लगायेंगे और उन्हें ठीक करेंगे?

श्री जार्ज फर्नांडीस : इस समय हमारे सामने कलकत्ता में विस्तार का कायक्रम है जहां पर हम लगभग 40,000 टेलीफोन लाइनें लगा रहे हैं। उनमें से 20,000 नए क्रास बार सिस्टम—जपानी क्रास बार सिस्टम-पर हैं जिसे तिरेता बाजार में लगाया जायेगा जबकि शेष 20,000 लाइनें सुधारे गए क्रास बार सिस्टम पर होंगी।

SMT. CHANDRAVATI : I want to know whether this cross bar system is responsible for wrong connections or is it due to inefficient staff working in the department ?

SHRI GEORGE FERNANDES : There are several problems involved in it. Sometimes it is due to faulty machines and at other times due to inefficient staff. Efforts are being made to improve the matter.

जबरन नसबंदी के शिकार लोगों के परिवारों को लाभ पहुंचाने के उपाय

***67. चौधरी हरी राम मक्कासार**
श्री के० ए० राजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात कालीन स्थिति के दौरान जबरन नसबंदी के परिणामस्वरूप मरने वालों के परिवारों के लोगों के लाभ के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : In case any acceptor of sterilisation operation dies as a result of operation, there is a provision that an amount of Rs. 5000 may be paid as ex-gratia assistance to his/her surviving spouse or if no such spouse is living to the natural heir.

Instructions have been issued to all the State Governments to make payment in such cases promptly.

There is no other scheme for financial assistance in such cases.

श्री के० ए० राजन : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने मुआवजे के भुगतान के लिये हिदायतें जारी की हैं। यह अच्छी बात है। मैं इन मामलों का राज्यवार ब्यौरा जानना चाहता हूं, यदि वह इस समय दे सकें। इन मामलों में मुआवजे की एक-समान राशि ठीक नहीं रहेगी क्योंकि उत्पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों के आश्रितों की संख्या अलग-अलग हो सकती है। अतः एक-समान मुआवजे के स्थान पर परिवारों के आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखकर मुआवजा देना बेहतर होगा। मैं जानना चाहता हूं कि दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर कृपया दें।

SHRI RAJ NARAIN : We have formulated a uniform policy that Government should pay Rs. 5000/- to the heir of the person who has died due to sterilisation operation. The Central Government have kept sufficient amount at the disposal of State Governments which have kept of with the district magistrates. The district magistrates take the as much money as they require from the State Governments. No State Government have evermade any complaint that they have shortage of funds. The Central Government have repeatedly

said that they are willing to give then as much money as required for this purpose. We are always ready to pay Rs. 5000/- without any hitch to the heir of a person, who has died of sterilisation operation.

श्री के० ए० राजन : मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्यवाही के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

SHRI RAJ NARAIN : We have set up an Inquiry cell in the Ministry of Health. People are lodging their complaints there. The facts and figures relating to persons found guilty are being collected in this cell; but up till now, full data has not come to us. A Commission has been set up at central level to probe into the excesses committed during the emergency. All these details will be received by this cell also.

SHRI KARPOORI THAKUR : Have the State Governments been asked to supply any report showing the number of persons who died of sterilisation and the number of families which have been given compensation of Rs. 5000/- ?

SHRI RAJ NARAIN : It is a relevant question. State Governments have been asked to do so not once but several times, but one has to say with regret that they have not sent as any report. They are putting off the matter for reasons best known to them. It is possible that certain State Governments do not want to do this work because of their instability. We have repeatedly asked them to give us the figures about the number of persons who died as a result of sterilisation in their state, the amount of compensation paid by them and what ammount they require, but no report has been received from the State Governmnts.

SHRI KARPOORI THAKUR : I would like to point out on the basis of my personal knowledge that cases of many persons who died of sterilisation have been reported to State Governments, but no action has been taken. The Union Health Minister has told me that instructions have been issued to the State Governments. But they have not paid the compensation even to a single person so far. I know about Bihar; but this is the situation throughout the country.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : There is no possibility of death due to sterilisation, but the hon. Minister is again and again inciting the people. Will it not result in making a claim for compensation in respect of a person who had undergone sterilisation operation but actually died of some other disease and a report was given that he died of sterilisation? I want to know what action Governments propose to take to check such things ?

SHRI RAJ NARAIN : It is a public question and it must be debated publicly we do not want to conceal anything. The people who say that some member of their family has died as a result of sterilisation, have to prove that he actually died of sterilisation. They have to submit a certificate from the doctor in this respect. The district magistrate will pay them the amount of compensation only on production of the certificate from the doctor. There is some difficulty and delay due to this.

SHRI RAM KANWAR : Government is paying compensation of Rs. 5000/- to the families of those who died of forced sterilisation. But during the election to the Lok Sabha and State Assemblies we have seen several victims of sterilisation, who are lying on death bed and are getting no medical treatment. Whenever the State Governments are contacted they try make out that they are not the victims of emergency whereas the case is different and they are actually the victims of sterilisation and are lying on death bed. There is one such case of Gangaram Reghar, Village Pahadia, district Jaipur. His condition

is critical. I want to know whether some action is being taken to give medical treatment to such persons ?

SHRI RAJ NARAIN : The orders are very clear. If the hon. Members want I can place on the Table a copy of the orders issued to the State Governments. It has been stated in these orders that free medical treatment should be given to those who have developed new ailment due to sterilisation or whose operation was defective. Government should make arrangements on their own for the recanalisation of a person who has got no issue or who is a bachelor but has been forced to undergo sterilisation operation, if he so desires.

The Central Government have also issued orders to give some financial assistance to the families of those persons who died as a result of police firings during the demonstrations held against sterilisation such as happened in Pipli, Saini Mohalla, Mujaffarnagar and Sultanpur, Uttar Pradesh. It is still to be decided as to the form of financial assistance to be provided in such cases.

श्री के० लकप्पा : स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद राज नारायण जी ने नसबन्दी के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक सहायता देने की जो घोषणा की है मैं इसका स्वागत करता हूं। क्या यह सच नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने उनकी इस घोषणा को मानने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या वित्त मंत्रालय माननीय मंत्री द्वारा की गई घोषणा को स्वीकार नहीं कर रहा है ?

SHRI RAJ NARAIN : The Ministry of Finance is not concerned with it. The Ministry of Health has got its own fund and we are giving money out of it.

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Just now, the hon. Minister has stated that compensation will be paid only on production of a certificate of death due to sterilisation. How it will be proved that a particular person died of sterilisation since he has already been cremated ? One can get a certificate of sterilisation, but it will be difficult to ascertain whether he died of sterilisation. Even no post-mortem was done on the body.

SHRI RAJ NARAIN : Ram Nareshji has raised a very reasonable question. We have come across this difficulty time and again. We have clearly stated that if person has died of sterilisation within a period of 10 days after the operation, there is no need of submitting any proof. He will automatically be treated as having died of sterilisation. But if the period is more, say 3 months or 4 months or 6 months, we will have to see whether any treatment was given and whether any disease had developed due to sterilisation. Some Vaidya or Sarpanch will at least say that a particular person has died of sterilisation.

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : What is the number of acceptors of sterilisation operation who go to hospitals for treatment ? The poor people have been forcibly sterilised and they do not go in for medical treatment.

SHRI RAJ NARAIN : I admit that majority of acceptors of sterilisation operations are poor people. Harijan and backward people have been forced to undergo sterilisation.

In Haryana, what used to happen was that when a train stopped at the station, passengers were forcibly transported in police trucks and were sterilised in the camp. In such cases, there is without doubt this difficulty where to go and how to get the certificate. The problem is there and it will take time to remedy the situation.

SHRI SHYAM SUNDER DAS : It is right that Government are going to make arrangements for recanalisation of the bachelors who were sterilised. But nobody will be prepared to marry his daughter with him. What measures Government propose to take to arrange marriages of such bachelors ?

SHRI RAJ NARAIN : It is a very wide question. The Ministers should take a pledge that if they have got a daughter of marriageable age they will marry her with a chamar's son.

2—437LSS/77

SHRI S. R. DAMANI : I want to know from the hon. Minister whether he is in favour of sterilisation or against it ? Whether he really feels that sterilisation can also cause death ?

SHRI RAJ NARAIN : Government have made it quite clear that there will not be forced sterilisation. We are dead against forced sterilisation. So, we have stopped it and changed the name of our ministry from 'Family Planning' to 'Family Welfare' because the words "Family Planning" are soaked with human blood. So far as death due to sterilisation is concerned, it can happen and there have been certain deaths due to sterilisation.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Under some conspiracy and orders of higher officers of State Governments, certificates are not being issued in the cases of those who died due to sterilisation. Such a conspiracy has been hatched by officers throughout U.P. Some such complaints have been received particularly from Sitapur, Unnao and Faizabad. I want to know whether Government propose to take any action against such officers ?

SHRI RAJ NARAIN : We have rceived complaints that district magistrates and other officers do not pay attention to the requests of poor people. Now Governments are going to be installed in 9 states and you can submit your complaints before them.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त होता है। परन्तु बहुत से सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। यदि आप चाहें तो इस पर बाद में आधे-घंटे की चर्चा कर सकते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी तो मैं देखूंगा कि इसके लिये कुछ समय दिया जाये ताकि आप में से अधिकांश को बोलने का अवसर मिल सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात के उत्पादन और उसकी खपत की समस्या

*61. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कार्यकारी दल इस्पात के उत्पादन और खपत की समस्याओं का अध्ययन करने में लगे हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इन दलों द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजु पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें/सुझाव देने के लिए निम्नलिखित 6 कार्यकारी दल बनाये गये हैं। इन कार्यकारी दलों में इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों और मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं:—

(1) उत्पादन और उत्पादिता
(2) सभी स्तरों पर कामगारों की भागेदारी
(3) कल्याणकार्य तथा सामाजिक उद्देश्य
(4) विपणन, मूल्य-निर्धारण तथा वित्त
(5) प्रत्येक कारखाने के लिए एक यूनियन बनाना और राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग के लिए एक यूनियन बनाना

(6) बाहर से प्राप्त किये गये धन के आधार पर इस्पात कारखानों का विस्तार और नये इस्पात कारखानों की स्थापना ।

इन कार्यकारी दलों की एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक 5 से 7 जुलाई, 1977 को होगी । आशा है इस बैठक के कुछ समय बाद जुलाई के अन्त तक इन कार्यकारी दलों की सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी ।

FUNCTIONING OF TELEPHONE EXCHANGES AT KUSHESHWAR, KISHENPUR AND WARISNAGAR, BIHAR

†*65. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether telephone exchanges at Kusheshwar, Kishenpur and Warisnagar in Bihar which are lying closed, will be put into operation again soon; and

(b) whether new exchanges will be opened at Baheri, Singhia and Bidaul (Supaul) ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) A 25 line exchange is working at Kishenpur. No telephone exchange was opened at Warisnagar. A public call office is working at this place. A 25 line exchange opened at Kusheswar in March 1971 with 10 connections had to be closed in July 1974 because of non payment of dues by the subscribers. A public call office is working here. There is no proposal to re-commission the exchange at Kusheshwar.

(b) There is a public call office at Singhia. There is no public call office at Baheri. A 25 line exchange was opened at Bidaul in August 1972 with 15 connections. The exchange was closed in February 1977 due to non payment of dues by the subscribers. The demand at these places is not adequate to justify opening of exchanges.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार

*68. **डा० विजय मण्डल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

विवरण

1973 में तैयार की गई 1974—94 की भावी योजना की रूपरेखा इस प्रकार है :—

(1) इस योजना का उन शहरों में विस्तार करना तथा उसे सुदृढ़ करना जहां पर यह योजना पहले से चल रही है;

(2) इसे नये शहरों में लागू करना ।

जिन शहरों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के 7,500 अथवा इससे अधिक परिवार होंगे उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा ।

निम्नलिखित शहरों में इस योजना का विस्तार एवं उसे सुदृढ़ किया जाएगा :—

(1) बम्बई—एक सी० जी० एच० एस० अस्पताल का निर्माण और अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना ।

(2) कलकत्ता—40,000 अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना और एक अस्पताल का निर्माण करना ।

(3) कानपुर—एक अस्पताल का निर्माण करना और 10,000 अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना ।

(4) इलाहाबाद—5,000 अतिरिक्त परिवारों को योजना के अन्तर्गत लाना और एक पोलीक्लिनिक खोलना।

(5) मेरठ—एक पोलीक्लिनिक खोलना और 5,000 अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना।

(6) मद्रास—एक अस्पताल का निर्माण करना और 10,000 अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना ।

(7) नागपुर—एक पोलीक्लिनिक खोलना और 5,000 अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना।

जिन नये शहरों में इस योजना को चलाने का विचार है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

पूना	आगरा
लखनऊ	वाराणसी
जबलपुर	तिरुचिरापल्ली
खड़गपुर	देहरादून
गोरखपुर	बीकानेर
झांसी	विशाखापत्तनम
अजमेर	जोधपुर
जयपुर	आसनसोल
अहमदाबाद	शाहजहांपुर

संसाधनों, प्रशासनिक सुविधाओं, रिहायश आदि की उपलब्धता को देखते हुए इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की फिर से समीक्षा करनी होगी।

एक उद्योग के लिए एक संघ

*69. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उद्योग के लिए एक संघ रखने की परम्परा को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) विचाराधीन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह है कि एक एकक/उद्योग में सामूहिक मांगों के संबंध में बातचीत करने

के लिए एकमात्र एजेंट हो । यह कानूनीतौर से गठित एक ऐसा निकाय होगा जिसके सभी श्रमिक, चाहे वे किसी पंजीकृत यूनियन के सदस्य हों या न हों, स्वतः उसके सदस्य बन जायेंगे ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के संविदा श्रमिक

*70. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राउरकेला इस्पात संयंत्र के सभी संविदा श्रमिकों को स्थायी काम पर लगाने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) जी, नहीं, ठेके के सभी श्रमिकों को राउरकेला इस्पात कारखाने में लगाना सम्भव नहीं है । फिर भी 'कन्ट्रेक्ट लेबर' (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1971 में की गई व्यवस्था के अनुसार जहां तक संभव है स्थायी तथा वर्षानुवर्षी किस्म के कार्यों के लिए ठेके के श्रमिकों को प्रावस्थाशाजित तरीके से काम पर लगाया जा रहा है ।

DELEGATIONS OF NON-GOVERNMENT INTELLECTUAL GOING ABROAD

†*71. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI : Will the MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is a scheme for sending abroad delegations of non-Government intellectuals; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) and (b) There was plan to send a non-official delegation to the U.S.A. for a programme of talks, meetings and discussions in various cities, in view of the great interest in India generated by our elections.

The plan has been postponed in order to allow sufficient time for the drawing up of a suitable programme. However, two of the selected members who were in the United States on other business have been touring some cities and holding meetings with interested Amrican citizens. They are Prof Rajni Kothari and Shri B. G. Verghese.

पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ के कार्यकरण की जांच के लिये मांग

*72. **श्री जी० एम० बनतबाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा चंडीगढ़ गांधी पीस फाऊंडेशन ने हाल ही में पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ के कार्यकरण की पूरी जांच करवाने की मांग की है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बीच उक्त मांग पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) मंत्रालय में इस आशय का कोई भी लिखित अनुरोध फाऊंडेशन से प्राप्त नहीं हुआ है । अखबारों में इस बारे में खबर छपी थी कि फाऊंडेशन के सेक्रेटेरी ने एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें उन्होंने संस्थान के कार्य के संबंध में कुछ आरोप लगाए थे ।

(ख) सरकार पहले ही एक ऐसी समीक्षा समिति (रिव्यू कमेटी) बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के कार्य की समीक्षा करे ।

खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मंजूरी लागू करना

*73. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा खेतीहर मजदूरों के लिए निर्धारित अथवा पुनरीक्षित न्यूनतम मजूरी कोई प्रवर्तन तंत्र न होने के कारण अधिकांश राज्यों में लागू नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो केंद्र ने खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला मुख्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । राज्य सरकारों को अधिसूचित मजदूरी दरों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की समय-समय पर सलाह दी गई है । इस संबंध में जो उपाय किए गए हैं उनमें से कुछ ये हैं : प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना, श्रम विभागों के कर्मचारियों के अतिरिक्त राजस्व, कृषि, ग्राम विकास जैसे विभागों के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना तथा दावा प्राधिकारियों की संख्या बढ़ाना ।

भूतपूर्व मंत्रियों और संसद् सदस्यों के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

*74. **श्री शिव संपत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री और संसद् सदस्य के टेलीफोन बिलों की कितनी राशि बकाया है तथा यह राशि किस अवधि की है;

(ख) यह पूरी बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या यह राशि वसूल करने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क), (ख) और (ग) वांछित सूचना के दायरे में 60 से अधिक भूतपूर्व मंत्री और 500 से अधिक भूतपूर्व संसद सदस्य आते हैं । इन भूतपूर्व मंत्रियों और संसद सदस्यों के निजी नाम पर बकाया रकमें निकालने के लिए भारत भर में फैले टैलीफोन कनेक्शनों से संबंधित टेलीफोन बिलों की छानबीन करनी पड़ेगी । ऐसे बिलों की संख्या

बहुत अधिक है । छानबीन की व्यवस्था की जा रही है । विभाग की संबंधित यूनिटों से बकाया रकमों के बारे में जानकारी और विभाग के नियमों के अनुसार बकाया रकमों की वसूली के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है **और** उपलब्ध होते ही उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

जमा हुए इस्पात उत्पादों के मूल्यों में कमी करना

*75. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के पास जमा हुए इस्पात उत्पादों के मूल्यों में कमी करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक संयंत्र के पास सामान्यतः कितना स्टाक रह सकता है,

(ग) प्रत्येक इस्पात संयंत्र के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(घ) इन मूल्यों में किस हद तक कमी करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों के पास जमा हुए इस्पात के मूल्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी कुछ कम प्रयोग में आने वाली मदों और अथवा दोषयुक्त/जंग वाले उत्पादों के मूल्य में अस्थायी छूट दी गई थीं ।

(ख) वर्तमान उत्पादन तथा इस वर्ष के बिक्री कार्यक्रम को देखते हुए सेल ग्रुप के पास लगभग 10 मि० टन का स्टाक-कारखानों के पास, मार्गस्थ तथा स्टाकयार्डों (देशीय तथा निर्यात स्टाक-यार्डों)—जैसा कि नीचे दिखाया गया है, सामान्य है :—

	टन
कारखानों के पास	225,000
देश के स्टाकयार्डों में	415,000
निर्यात स्टाकयार्डों में	100,000
मार्गस्थ	250,000
	990,000

अथवा लगभग दस लाख टन ।

(ग) 31-5-77 को प्रत्येक कारखाने के स्टाक की स्थिति इस प्रकार है :—

	हजार टन
1. भिलाई	89.1
2. राउरकेला	65.8
3. दुर्गापुर	42.6
4. बोकारो	28.3
5. इस्को	9.0

(घ) सेल इंटरनेशनल को आंतरिक तथा बाह्य मांगों को देखते हुए मूल्यों में समय-समय पर समायोजन करने का अधिकार दिया गया है ।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की रिहाई

76. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार 200 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को रिहा करने का **निर्णय** किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ भारतीय राष्ट्रिक अभी भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनकी रिहाई की स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारत सरकार ने भारत में नजरबंद 188 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को रिहा करने का निर्णय किया है ।

(ख) और (ग) जी हां । वर्तमान सूचना के अनुसार उनकी संख्या लगभग 90 है । पाकिस्तान ने अब तक 37 व्यक्तियों की नजरबंदी की पुष्टि की है । उनके देश-प्रत्यावर्तन का प्रबंध किया जा रहा है । शेष व्यक्तियों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान सरकार द्वारा अभी पुष्टि की जानी है ।

KALA AZAR EPIDEMIC IN BIHAR

*77. SHRI RAMVILAS PASWAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Vaishali District in Bihar is in serious grip of Kala-azar;

(b) whether thousands of persons have died of Kala-azar fever;

(c) whether the State Government are unable to check this epidemic;

(d) whether the Member had already given information about it in writing; and

(e) if so, the steps being taken by the Central Government to check this disease ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) According to information furnished by the Government of Bihar, 106 cases of Kala-azar have been reported upto 9-6-1977 from Vaishali district.

(b) Eight deaths due to Kala-azar were reported from Vaishali district in the year 1976 but none were reported for the year 1975 or so far during 1977.

(c) No, the State Government are already taking action. The required drug has been supplied in Vaishali district in adequate quantity by them.

(d) Yes, Sir.

(e) The control of the disease is primarily the responsibility of the State Government and the State Government have been requested to provide necessary facilities and funds. The National Institute of Communicable Diseases, Delhi has established a Unit in Bihar to study the position and advice the State Government.

सोवियत संघ के सहयोग के बिना भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों का विस्तार

*78. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्**
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों के अग्रेतर विस्तार हेतु सोवियत संघ से सहयोग न लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का इन दोनों संयंत्रों के विस्तार हेतु विदेशों से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने का इरादा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने इस्पात प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्णतया आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का फैसला किया है। केवल अपरिहार्य मामले में ही सरकार विदेशों का तकनीकी सहयोग प्राप्त करने पर विचार कर सकती है ।

जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि रोकने के उपाय

*79. **श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी**
श्री निहार लास्कर } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में पात्र दम्पत्तियों की अनिवार्य नसबंदी करने की बजाए जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की रीति पर, विशेषकर वर्तमान सरकार की इस घोषित नीति के आधार पर कि कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाएगा, फिर से विचार किया है ।

परिवार नियोजन एक ऐच्छिक कार्यक्रम तथा एक व्यापक नीति के अभिन्न अंग के रूप में जोरदार ढंग से चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ एवं बाल कल्याण, परिवार कल्याण, महिला-अधिकार तथा पौष्टिक आहार शामिल हैं। यह नीति शैक्षणिक और पूर्णतया स्वैच्छिक होगी, परन्तु जन्म-दर को वर्तमान स्तर से घटा कर 1979 तक 30 प्रति हजार और 1984 तक 25 प्रति हजार तक लाने की दिशा में हमारे प्रयासों में कोई ढील नहीं होगी । गर्भ-रोधन के सभी तरीके आसानी से सुलभ कराए जाएंगे और लोगों को अपने मन पसंद तरीके को अपनाने के लिए उत्साहित किया जाएगा। छोटे परिवार के आदर्श को लोग

अधिकाधिक अपनाएं, इसके लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं तथा ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिला दिया जाएगा। स्वैच्छिक संगठनों, विचार नेताओं और स्थानीय निकायों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में 28-4-1977 को परिवार कल्याण कार्यक्रम की संशोधित नीति पर भी विचार-विमर्श किया गया था। नयी नीति विषयक वक्तव्य संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 360/77]।

भूतपूर्व संसद् सदस्यों को पेंशन का भुगतान बन्द करना

***80. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन के भुगतान की व्यवस्था समाप्त करने हेतु चालू बजट सत्र में एक विधेयक लाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन देने की व्यवस्था को निरसन करने और उन्हें उदार बनाने, दोनों के लिए, प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। यह संपूर्ण प्रश्न विचाराधीन है।

सेवाग्राम में डाक-तार भवन का निर्माण

569. श्री संतोष राव गोडे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संचार मंत्री श्री बहुगुणा ने सेवाग्राम में डाकतार भवन का शिलान्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो शिलान्यास किस तिथि को किया गया था;

(ग) यह भवन कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) भवन के पूरे होने में विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) सेवाग्राम में डाकघर की इमारत का शिलान्यास तत्कालीन संचार मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने तारीख 4-8-73 को किया था।

(ग) आशा है कि इस इमारत का निर्माण-कार्य मार्च, 1978 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

(घ) सेवाग्राम आश्रम के सचिव ने डाकघर की इमारत बनवाने के लिये भूमि दे दी थी। लेकिन बाद में पता चला कि बंबई के धर्म आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" न मिल पाने के कारण उस भूमि का डाक-तार विभाग को अन्तरण नहीं हो

पाया । भूमि के अन्तरण के लिये विभिन्न औपचारिकतायें पूरी की गई हैं और उस भूमि पर कब्जा केवल फरवरी, 1977 में ही मिल पाया ।

NUMBER OF PERSONS STERILIZED DURING EMERGENCY

570. SHRI RAMANAND TIWARI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of persons forcibly sterilized at State level during the emergency; and

(b) the action proposed to be taken by Government in regard to giving some kind of compensation to victims of forcible sterilisation ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Nagaland, Sikkim and Tripura and Union Territory Administrations of Arunachal Pradesh and Dadra & Nagar Haveli have so far sent reports stating that no person under them has been sterilized forcibly. Information from other States and Union Territory Administrations is awaited.

(b) The Central Government has not made any scheme for giving cash compensation to such persons through instructions have been given to States/Union Territory Administrations to arrange free treatment of complications and for recanalisation of such persons if desired.

श्री लंका द्वारा मांगी गई सहायता

571. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने विद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिये सहायता मांगी है; और

(ख) श्रीलंका के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा समुद्र तट की रक्षा के लिये भारत सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

AVAILABILITY OF ROCK PHOSPHATE IN JHABUA DISTRICT

572. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether survey work in regard to availability of rock phosphate in Meghnagar in Jhabua district (M.P.) has been completed; and

(b) if so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

इस्पात के स्टाक

573. **श्री आर० कोलनाथाइबलु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1977 से अब तक सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के पास इस्पात के स्टाक की मासिक स्थिति क्या है और उत्पादन की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है,

(ख) क्या स्टाक सीमा से बहुत अधिक है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) देश के द्रुत आर्थिक विकास में उपयोगी ढंग से उनके उपयोग के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सरकारी क्षेत्र में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अधीन सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में जनवरी, 1977 से लेकर अब तक इस्पात के स्टाक की मासिक स्थिति तथा उत्पादन की तुलना में उसकी प्रतिशतता नीचे दी गई है।

(हजार टन)

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई
विक्रेय इस्पात का उत्पादन	424	413	458	388	420
इस्पात का स्टाक	1407	1388	1290	1225	1160
वार्षिक उत्पादन की तुलना में इस्पात का स्टाक (1976-77)	29.1%	28.7%	26.7%	25.4%	24.0%

(ख) इस्पात के स्टाक के लिए कोई विशिष्ट मानदण्ड निश्चित नहीं किये गये हैं परन्तु वर्तमान स्टाक की स्थिति ऐसी नहीं है जो चिन्ता का विषय हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते। फिर भी स्टाक जमा हो जाने के मुख्य कारणों में पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन का अधिक होना, निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों की गति धीमी होना और रेल-डिब्बों, गाड़ियों के लिए तथा सिंचाई परियोजनाओं द्वारा इस्पात के अपक्रय में कमी होना है ? ऐसी सम्भावना है कि हाल में उठाए गए कदमों के फलस्वरूप स्टाक में धीरे धीरे कमी होने का वर्तमान रुख बना रहेगा। निर्यात को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

QUOTA FOR SCHEDULED CASTE AND SCHEDLED TRIBE EMPLOYEES IN DEPARTMENTS OF P & T AND TELEPHONES

†574. SHRI MANGALDEO VISHARAD : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the ratio of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in the departments of Post and Telegraph and Telephones to the total number of employees working there category-wise; and

(b) in case the quota reserved for them in various services has not been completed, the steps proposed to be taken in that regard ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) The requisite information as on 1-1-1976 is furnished in the attached statement.

(b) All possible steps for filling reserved vacancies are being taken when there is shortage, the vacancies are notified to the concerned Employment Exchanges including the Central

Employment Exchange. Apart from advertisements being issued in the local newspapers, vacancies meant for reserved communities are also intimated to the recognised associations and organisations of SC/ST for sponsoring of suitable candidates.

STATEMENT

Statement showing total employees vis-a-vis those belonging to Schedule Caste and Scheduled Tribe in the Department of Post and Telegraph and Telephones as on 1-1-1976 category-wise

	Total number of employees	*No. of SC*	*Percentage*	*No. of ST.*	*Percentage*
CLASS I (Now Group 'A')	1,677	33	2.5%	12	0.7%
CLASS II (Now Group 'B')	4,645	300	6.4%	18	0.4%
CLASS III (Now Group 'C')	340,194	46,080	13.6%	11,728	3.4%
CLASS IV (Now Group 'D') Excluding Sweepers	77,993	15,574	19.4%	4,010	5.4%
CLASS IV (Now Group 'D')	2,828	2,424	87.7%	120	4.0%

टेलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति

575. **श्री जगन्नाथ प्रसाद स्वतन्त्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली टेलीफोन विभाग ने टेलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति के लिए मार्च, 1977 में कोई परीक्षा ली थी; और

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त परीक्षा के आधार पर चुने गए लोगों को 'दैनिक मजूरी कर्मचारी' के रूप में काम करने वालों तथा जुलाई, 1976 में हुई परीक्षा के आधार पर चुने गए लोगों से पहले नौकरी देने का है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क) जी हां :

(ख) भर्ती के मौजूदा नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवारों को मार्च, 1977 में हुई परीक्षा के आधार पर नियमित खाली स्थानों के लिए चुना गया है उन्हें दैनिक मजूरी कर्मचारियों (जिन्हें शार्ट ड्यूटी आपरेटर कहते हैं और जो जुलाई, 1976 में हुई परीक्षा के आधार पर चुने गए थे) से पहले नौकरी दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने पूर्ववर्ती महीनों में 120 दिन की सेवा पूरी कर ली हो।

फरक्का विवाद पर भारत-बंगला देश वार्ता

576. **श्रीमती मृणाल गोरे**
श्री पी० राजगोपाल नायडू } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक प्रतिनिधिमंडल फरक्का विवाद पर बातचीत करने के लिए बंगलादेश गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी हां। (दिसम्बर 1976 और जनवरी 1977 में) फरक्का के बारे में जो मंत्रिस्तरीय बातचीत हुई थी उसे आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ढाका गया था और 15 से 18 अप्रैल, 1977 तक वहां रहा।

(ख) बातचीत के अन्त में एक सम्भावित समझौते के मुख्य तत्व पर सहमति हो गई थी। इस समझौते का विस्तृत ब्योरा अधिकारी स्तर की बातचीत में तैयार किया जा रहा है।

डाक जीवन बीमा पालिसियों के गुम खाते

577. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक जीवन बीमा की कितनी पालिसियां गुम खातों के कारण अद्यतन नहीं हैं ;

(ख) उसके कारण क्या हैं, और

(ग) इस समय आजीवन और सावधिक बीमा पालिसियों पर बोनस की दर क्या है और बोनस की दर को न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जिन पालिसियों के जमा खाते गुम हैं उनकी संख्या 1,67,875 है।

(ख) इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) बीमादारों का तबादला किसी अन्य पद पर या स्थान पर हो जाने की स्थिति में बीमादारों या उनके आदान लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों से पते में परिवर्तन की सूचना का न मिलना।

(ii) छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान या मुअत्तली की स्थिति में बीमादारों द्वारा बीमा की किस्तों की अदायगी न करना।

(iii) नई पालिसियां के संबंध में किस्तों की कटौती वेतन से शुरू होने से पहले बीमादार द्वारा डाकघर में इन किस्तों का लगातार नकद भुगतान न करना।

(iv) विभिन्न कार्यालयों से बीमा किस्तों की कटौती से संबंधित अनुसूचियों का प्राप्त न होना या विलम्ब से प्राप्त होना। इन अनुसूचियों के तैयार करने में गलतियां और चूक होना और कभी-कभी खास कर कर्मचारियों द्वारा किस्तों की वसूली दर्ज करने के लिए निर्धारित कार्यविधि का पालन करने में भूल-चूक हो जाना।

(ग) पिछले तीन मूल्यांकन अवधियों के दौरान भारत सरकार ने जो बोनस की दरें घोषित की हैं उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

प्रतिवर्ष बीमाकृत रकम पर प्रति हजार प्रत्यावर्ती बोनस

मूल्यांकन अवधि	आजीवन पालिसियां	सावधिक बीमा पालिसी
1967—69	28 रुपये	22 रुपये
1969—72	32 रुपये	24 रुपये
1972—75	33 रुपये	25 रुपये

यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक मूल्यांकन के साथ बोनस की दरें वास्तव में लगातार बढ़ती रही हैं। अगला बोनस 1-4-75 से 31-3-78 तक की अवधि के लिए देय होगा और इसकी घोषणा 1979 में की जाएगी।

हरिनगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासों के निकट डाकघर खोलना

578. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिनगर, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के निम्न आय समूह (पाकेट-बी) के आवासों के निकट डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो डाकघर कब तक काम प्रारम्भ कर देगा?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) डी० डी० ए० (पाकेट-बी) एल० आई० जी० फ्लैट के पास बी० ई० ब्लाक हरिनगर में एक डाकघर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) आशा है कि जैसे ही उचित किराये पर कोई उपयुक्त जगह मिल जायेगी डाकघर खोल दिया जायेगा।

बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

579. **श्री ए० बालापजनोर :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की स्थिति इस समय क्या है;

(ख) क्या सरकार का यह विचार है कि उक्त समिति का प्रतिवेदन बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त आधार बन सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) बेरोजगारी संबंधी भगवती समिति द्वारा की गई कुल 221 सिफारिशों में से, जो कि संबंधित मंत्रालयों

विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई थीं, सभी सिफारिशों के संबंध में अन्तिम विचार और की गई कार्यवाही के ब्यौरे उनसे प्राप्त हो चुके हैं। जबकि 102 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, अन्य 95 सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर उपलब्ध साधनों के अन्दर विभिन्न मंत्रालयों में कार्यवाही की जा रही है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए बाकी 24 सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है।

दस वर्षों के निर्दिष्ट समय के अन्दर दरिद्रता को दूर करने के अपने घोषित उद्देश्य के अनुसार सरकार सभी उपलब्ध सुझावों का निःसन्देह लाभ उठाएगी। जो उस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होंगे।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सलाहकार समिति द्वारा डाकघर खोलने का प्रस्ताव

580. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की जिला सहालकार समिति ने 1974-75 और 1975-76 में जिले में डाकघर खोलने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए भेजे थे ;

(ख) क्या इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया है; और

(ग) यदि उन पर विचार कर लिया गया है तो जिले के किन-किन गांवों में डाक घर खोले जाने हैं ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) खरगौन जिले की लघु बचत समन्वय समिति ने अपनी 27-12-75 को हुई बैठक में निम्नलिखित स्थानों पर डाकघर खोलने की प्रार्थना की थी :—

(i) बम्खाल; और

(ii) कोडलिया खेड़ी।

(ख) एक प्रस्ताव पर जांच कर ली गई है और दूसरे पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) बम्खाल में डाकघर खोल दिया गया है। कोडलिया खेड़ी में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

SURVEY OF JHALAWAR DISTRICT, RAJASTHAN

581. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether survey for metals and minerals and underground water survey have been conducted in Jhalawar District;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the steps being taken for exploitation/utilisation thereof ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) The geological survey of India has carried out systematic geological mapping in parts of Jhalawar District, while detailed surveys are being carried out by the Department of Mines and

Geology of State Government. The Central Ground Water Board has conducted hydro-geological surveys for groundwater in this district.

(b) The surveys conducted so far indicate the presence of low grade aluminous clay, building stones, presence of copper mineralisation, limestone, laterite, sandstone, fireclay and agate in this region. Groundwater survey has indicated possibilities for construction of wells and development of ground-water resources in certain portions of the district, particularly the alluvial areas along the rivers Ujar, Newaj and Ghar.

(c) The State Government propose to develop ground-water resources with the assistance of Agricultural Refinance Development Corporation and Rural Electrification Corporation. As regards minerals occurring in the district, in the light of investigations already conducted the State Government do not find their exploitation economically feasible.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में दवाओं के घोटाले के मामले

582. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में दवाओं के घोटाले के बहुत से मामले हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और प्रत्येक मामले में डाक्टरों तथा अन्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस अपराधशाखा ने अगस्त, 1976 में दवाओं के घोटाले के कुछेक मामलों का पता लगाया था जिनमें अन्य लोगों के साथ साथ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के कुछेक औषधालयों के फार्मासिस्ट और ड्रेसर शामिल थे। इन मामलों से संबंधित फार्मासिस्टों और ड्रेसरों को मुअत्तल कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस अपराध शाखा इन मामलों की जांच पड़ताल कर रहा है। इन मामलों में किसी भी डाक्टर का हाथ नहीं था।

श्रमिक अशांति

583. श्री वसन्त साठे : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो मास में श्रमिक अशांति में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित हुए उद्योगों के नाम क्या है ; और

(ग) स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

3—437LSS/77

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नियमों में ढील

584. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं और प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र में सबसे पुराना आवेदन पत्र किस तारीख का है;

(ख) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन देने के नियम और मैदानी इलाकों के लिए नियम एक समान हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऊबड़ खाबड़ भू-भागों और इधर उधर फैले गांवों वाले पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में नियमों में ढील देने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) अपेक्षित सूचना से युक्त एक विवरण पत्र अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) : टेलीफोन कनेक्शन देने के नियम सभी एक्सचेंजों पर समान रूप से लागू हैं, चाहे वे एक्सचेंज पहाड़ी इलाके में स्थित हों या मैदानी इलाके में। पहाड़ी इलाकों के संबंध में इन नियमों में ढील देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	बकाया अर्जियों की संख्या	सबसे पुरानी अर्जी की तारीख
1	2	3	4
1.	शिमला	34	4-8-72
2.	मसहोबरा	2	2-2-76
3.	सुन्दरनगर	2	30-12-75
4.	सोलन	3	12-5-77
5.	बिलासपुर	4	21-3-73
6.	बम्बा	1	27-1-76
7.	डलहौजी	4	23-1-76
8.	देरा गोपीपुर	कोई नहीं	—
9.	धर्मशाला	2	30-4-77
10.	हमीरपुर	1	3-9-76
11.	जुब्बल	18	4-11-75
12.	कांगड़ा	4	23-4-77
13.	करसोग	6	26-4-74
14.	कसौली	1	30-4-77

1	2	3	4
15. कोटखई		33	6-11-75
16. कुल्लू		4	2-4-70
17. मंडी		12	26-12-74
18. नाहन		कोई नहीं	—
19. पालमपुर		2	31-10-75
20. पुसार		3	1-3-76
21. थांडे दार		36	27-10-75
22. थियोव		कोई नहीं	—
23. ऊना		2	26-1-77
24. अनी		28	2-2-76
25. ग्राम्ब		11	29-12-75
26. आर्की		1	7-3-77
27. औध		2	27-10-75
28. बरसार		1	15-12-76
29. बागी		7	8-7-70
30. बगथान		3	29-10-76
31. बैजनाथ		1	21-10-76
32. बकलोह		2	18-11-76
33. भांगरौलू		2	4-12-72
34. बेजार		1	1-2-77
35. वरौतीवाला		कुछ नहीं	—
36. भवाराना		कुछ नहीं	—
37. भूंतार		1	19-2-77
38. चैल		कुछ नहीं	—
39. छौतरा		कुछ नहीं	—
40. छोबारी		कुछ नहीं	—
41. चोपाल		कुछ नहीं	—
42. छिनपूर्नी		2	31-10-75
43. दादाऊ		कुछ नहीं	—
44. डैनशाई		11	11-11-76
45. धर्मपुर		4	25-3-73
46. गग्गल		1	25-10-76
47. गांगगरेट		1	14-4-77
48. घूमारविन		4	27-10-75
49. गोलार		4	10-2-76
50. हरीपुर		1	26-10-76

1	2	3	4
51.	जयसिंह पुर	3	11-11-75
52.	ज्वालामुखी .	कुछ नहीं	—
53.	जाहू	3	24-10-75
54.	कंडाघाट	1	1-11-76
55.	कतराइन .	3	7-3-74
56.	कियारी	24	11-1-76
57.	कुमारसैण	5	24-11-73
58.	कुनिहार .	कुछ नहीं	—
59.	मोतियाना	कुछ नहीं	—
60.	जियारी .	कुछ नहीं	—
61.	जोगिन्द्रनगर	3	30-7-76
62.	मनाली	कुछ नहीं	—
63.	मेहाटपुर	2	26-5-76
64.	नादौन . .	कुछ नहीं	—
65.	नामरोता भांगवान . .	1	4-2-76
66.	नालागढ़ . .	6	24-4-75
67.	नरकन्डा .	कुछ नहीं	—
68.	निहरी	6	16-10-76
69.	नूरपुर . .	4	28-3-77
70.	पांडोह . .	कुछ नहीं	—
71.	परागपुर . . .	1	2-5-77
72.	पांउटा साहिब . . .	7	30-4-76
73.	पांगना	1	15-2-74
74.	राजगढ़	4	21-6-73
75.	रोहड़ . .	7	30-12-75
76.	सुभायू . . .	2	30-3-77
77.	सराहन . . .	कोई नहीं	—
78.	सराहन बूशहर .	कोई नहीं	—
79.	सरकाघाट . .	2	14-11-73
80.	साबरा .	कोई नहीं	—
81.	शाहपुर	3	10-2-76
82.	शोधी	कोई नहीं	—
83.	सलेप्पर .	7	4-9-74
84.	सुजानपुर तिरा	कोई नहीं	—
85.	सूनी	1	30-6-76
86.	तिस्सा	कोई नहीं	—
87.	योल	कोई नहीं	—

चिकित्सा की देशीय पद्धति के प्रेक्टीशनरों द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उपचार करना

585. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की केन्द्रीय परिषद की संयुक्त बैठक ने 19 अप्रैल, 1975 को संकल्प बी (दो) में सिफारिश की थी कि 'चिकित्सा की देशीय पद्धति के प्रेक्टीशनरों को, जिनके पाठ्यक्रम में आधुनिक औषधियों के विषय में प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, आधुनिक औषधियों में प्रैक्टिस का जो अधिकार इंडियन मेडिसन सेन्ट्रल कौंसिल एक्ट, 1975 की धारा एस-17 (3X) (ख) के अन्तंगत सम्बन्धित राज्यों के लिए सीमित है उसे सारे भारत पर लागू किया जाये,

(ख) क्या 13 सितम्बर, 1976 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र सं० बी० 26011/4/75-ए० वाई० जारी किया था और यह परिपत्र अस्पष्ट है और उक्त सिफारिशों की पूर्ति नहीं करता; और

(ग) सरकार का इन प्रेक्टीशनरों को उपरोक्त सिफारिशें लागू करने के लिए गारंटी देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : यह परिपत्र स्पष्ट है और इसमें 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद ने अपनी संयुक्त बैठक में जो सिफारिशें की थीं उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सूचित किया गया है। उस परिपत्र में उल्लिखित बातों के अनुसार कार्यवाही करना राज्य सरकारों का काम है।

पूर्वी तट पर बाक्साइट के निक्षेप

586 **श्री पी० के० देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तट पर बाक्साइट निक्षेपों के विस्तार का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध बाक्साइट निक्षेपों की मात्रा क्या है और उसमें एल्यूमीनियम और सिलिकोन की प्रतिशतता क्या है :

आन्ध्र प्रदेश में रक्त कौंडा, गल्ही कोंडा, उड़ीसा में पोतंगी, पंचपतमाली, ससबाहुमाली, कुटीयूमाटी, बपलामाली, कर्लापत, लन्जीगढ़ गंधामीदान ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) भारतीय भू-संर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम पूर्वी तट क्षेत्र में बाक्साइट भंडारों के लिए अभी भी सर्वेक्षण कर रहा है।

(ख) अब तक खोजे गए अयस्क-पिंडों से पता चलता है कि निम्न-सिलिका व निम्न टाइटनिया मात्रा से युक्त ये अयस्क अद्वितीय है तथा औसत एलूमिना की मात्रा 45% से 46% के बीच है और उसमें अच्छी किस्म की धातु है। उड़ीसा और आंध्र

प्रदेश की पट्टी में टोही सर्वेक्षण और पहले हुए गहन खोज कार्य से यह संभावना बनती है कि अंततः कुल भंडार लगभग 10,000 लाख टन होंगे। प्रत्येक भंडार में बाक्साइट अयस्क के सही-सही ग्रेड और मात्रा का ब्यौरा व्यापक समन्वेषण के पूरा होने के बाद प्राप्त हो सकेगा।

इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज पालघाट के श्रमिकों को सुविधाएं

587. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर तथा अन्य स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों को कार्य की परिस्थितियों, आवास आदि के बारे में दी जा रही सुविधाएं इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, पालघाट, केरल के श्रमिकों को नहीं दी जा रहीं ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, पालघाट के श्रमिकों को उक्त सुविधाएं दिलाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में मजदूर संगठन से कोई अभ्यावेदन मिला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) (क) और (ख) : प्रत्येक एकक में दी जा रही सुविधाएं उस एकक के विस्तार, स्थानीय परिस्थितियों और अपेक्षाओं पर आधारित होती हैं। आई० टी० आई० का पालघाट कारखाना हाल ही में स्थापित हुआ है । कुछ समय पूर्व ही यहां उत्पादन शुरू हुआ है । कामगरों को काम सम्बन्धी सुविधाएं धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं। सांविधिक विनियमों के अधीन, भविष्य निधि की सुविधाएं बहुत पहले शुरू कर दी गई थीं। पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर शुरू की सहकारी कैंटीन ठीक तरह चल रही है । क्वार्टरों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को राजी करने का प्रयत्न हो रहा है । राज्य परिवहन अधिकारियों ने कारखाने के समय के अनुरूप बसों के चलाने के पर्याप्त प्रबन्ध किये हैं।

(ग) इन मामलों में प्रबन्धक मण्डल को समय-समय पर मजदूर संघों से अभ्यावेदन मिले हैं । इनका उचित उत्तर मजदूर संघों को दे दिया गया है । ऊपर बताई गई स्थिति से मजदूर संघ परिचित हैं ।

पैरिस सम्मेलन

588. **डा० बापू कालदाते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पेरिस में 27 धनी एवं निर्धन देशों की बैठक में भारत सम्मिलित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का उद्देश्य क्या था; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे ठोस प्रस्ताव तैयार करना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति होगी और जिससे विकासशील देशों के आर्थिक विकास में बहुत योगदान मिलेगा।

(ग) इसके परिणाम हमारी आशाओं से बहुत पीछे रहे, हांलाकि विकासशील देशों को सरकारी विकास सहायता, खाद्य एवं कृषि, एक आधारित संरचना की निर्मित के क्षेत्र में विशेषकर अफ्रीका आदि में, सीमित प्रगति हुई । एक सामान्य निधि निर्मित करने के बारे में सिद्धांन्त रूप में एक समझौता भी हुआ लेकिन इसके प्रयोजन, उद्देश्य तथा अन्य तत्वों पर अंकटाड में और अधिक बातचीत होगी ।

शिकायत 'सेल'

589. **श्री प्रद्युमन बाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातस्थिति के दौरान जिनकी जबरन नसबंदी की गई उनको मुआवजा देने के लिये देश में अब तक राज्य-वार, कितने शिकायत सेल स्थापित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : भारत सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि वह राज्य परिवार कल्याण कार्यालयों में एक शिकायती सेल खोलें जिससे कि सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को परेशान करने तथा उन पर जोर जबरदस्ती करने आदि के बारे में शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही की जाये । इसी प्रकार का एक शिकायती कक्ष भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्य कर रहा है । अभी तक राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से आने वाली सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, उड़ीसा, अण्डमान व निकोबार, दिल्ली और चण्डीगढ़ ने शिकायती कक्ष कायम कर लिये हैं ।

जिन व्यक्तियों की ज़बरी नसबन्दी होने की शिकायतें हैं ऐसे व्यक्तियों को नगद मुआवजा देने के बारे में अलग से कोई शिकायती कक्ष स्थापित नहीं किया गया । वास्तव में सरकार ने ज़बरी नसबन्दी के मामलों को नगद मुआवजा देने की कोई योजना नहीं बनाई है ।

CONVERSION OF STEEL PLANT WASTE PRODUCT INTO CHEMICAL FERTILISER

590. SHRI MRITUNJAY PRASAD VARMA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether steel plants produce waste product in large quantities which lies unutilised there: and

(b) if so, whether it can be turned into a chemical fertiliser of High productive capacity and steps Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) and (b). There are no waste products produced in large quantities lying unutilised in the steel plants which can be turned into chemical fertilisers. Amonia gas/liquor generated in the coke ovens of the integrated steel plants as a by-products is being recovered, wherever possible, and converted into nitrogenous fertiliser.

तमिलनाडु में मेडीकल कालेज खोलना

591. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तमिलनाडु में कुछ और मेडिकल कालेज खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां कोई अस्पताल, मेडिकल दुकान नहीं है और इन गावों के निवासियों को चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण मरना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक गांव में छोटे अस्पताल और चलते-फिरते अस्पताल खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो गांवों में भी चिकित्सा लाभ उपलब्ध करने के लिए किन अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :(क) जी, नहीं, चौथी पंच-वर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत देश में मेडिकल कालेजों के खोलने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) देहाती इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों तालुक और जिला स्तर के अस्पतालों के माध्यम से दी जाती है और सभी नागरिक इन सुविधाओं का लाघ उठा सकते हैं ।

(ग) और (घ) प्रत्येक गांव में छोटे अस्पताल या गश्ती अस्पताल खोलने का भारत सरकार का कोई विचार नहीं है । जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार देहाती इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की नई योजनाएं बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

IMPOSITION OF DAMAGES FOR NOT DEPOSITING THE AMOUNT OF PROVIDENT FUND

592. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether hundred per cent damage is imposed for not depositing the amount of provident fund in time;

(b) whether there is no provision to waive the damages nor any definite policy has been laid down in this regard and the discretion of the Provident Fund Officers is supreme;

(c) if so, whether Government propose to formulate a definite policy to put an end to such practices of waiving the damages; and

(d) whether such damages have been imposed on many establishments which was waived ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) :

(a) Section 14B of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 empowers the Central and Regional Provident Fund Commissioners to impose on defaulting Employers' damages not exceeding the amount of arrears.

(b) and (d). The damages imposed by the Regional Provident Fund Commissioner in certain circumstances are reviewed by the higher authority according to a policy laid down in this behalf.

(c) Does not arise since there is a definite policy.

नेपाल, बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करना

593. श्री सुशील कुमार धारा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल, बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं ;

(ख) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या वह निकट भविष्य में इनमें से किसी देश का दौरा करेंगे ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारत सरकार, अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता की नीति के अनुरूप, नेपाल और बंगलादेश के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने तथा पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती रहेगी।

(ख) इस प्रक्रिया के एक अंग के रूप में भारत सरकार ने इन देशों के साथ चली आ रही कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए हाल में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

जहां तक नेपाल का प्रश्न है, नेपाल नरेश की हाल की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि भारत सरकार की नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई मंशा नहीं है और भारत सरकार सौहार्दपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों और आपसी सम्मान पर आधारित सहयोग को संवर्धित करने की कोशिश करेगी।

फरक्का समस्या के बारे में बंगलादेश के साथ एक सहमति हो गयी है और अब एक व्यापक समझौता करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। हमने पाकिस्तान सरकार को भी यह सूचना दे दी है कि हम सलाल परियोजना और समुद्री सीमा के बारे में बाचचीत करने के लिए तैयार हैं।

(ग) विदेश मंत्री की पाकिस्तान या बंगलादेश की यात्रा की अभी कोई योजना नहीं है। नेपाल-यात्रा का एक औपचारिक निमंत्रण प्राप्त हुआ है परन्तु पहले किए गए कुछ अन्य वायदों के कारण इस निमंत्रण पर अमल कर पाना अभी संभव नहीं हो पाया है।

विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली की राशियों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें

594. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके योगाश्रम को अनुदान तथा ऋण के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई।

(ख) आश्रम के धन के दुरुपयोग के बारे में सरकार के ध्यान में आई शिकायतों का व्यौरा क्या है :

(ग) सरकार द्वारा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है :

(घ) क्या सरकार का योगाश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का विचार है: और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या उपाय किये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) विश्वायतन योगाश्रम और केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान को कुल 42.69 लाख रुपये के अनुदान दिए गये हैं।

(ख) इन दो योग संस्थाओं के धन के उपयोग के बारे में सरकारी धन के गबन, जालसाजी और गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं।

(ग), (घ) और (ङ). विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली और इसके कटरा वैष्णो देवी स्थित केन्द्र तथा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, जो नई दिल्ली स्थित योगाश्रम के परिसार में भी चल रहा है, का प्रबंध 25 मई, 1977 को केन्द्रीय सरकार ने योग उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1977—1977 का 8 के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया है और सरकार ने इन दो संस्थाओं के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया है।

NON-DEPOSIT OF P.F. BY M/S. GLOBE MOTORS LTD. DELHI

595. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether M/s. Globe Motors Ltd. have been defaulters many times in regard to deposit of provident fund;

(b) whether their Chief Accountant is responsible for deducting the contribution of provident fund of employees/employers and for depositing the same with Government in time; and

(c) the action taken by the Commission of Provident Fund for not depositing the contribution of Provident Fund, particularly the amount deducted from employees' wages in time ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (c) The Provident Fund authorities have reported that the establishment is presently in default of provident fund contributions from June, 1976 onwards till its liquidation on the 15th April, 1977 under an order of the High Court of Delhi. Action to recover the dues for the period June 1976 to October 1976, as arrears of land revenue was initiated, but the same was stayed by the High Court on an application filed by the establishment. In view of this no prosecution could be launched against the establishment. Now that the company has gone into liquidation, the claims for the statutory dues are to be filed with the Official Liquidator.

(b) Under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, the responsibility for compliance with the statutory provisions is that of the employer.

पांचवीं योजना में नये इस्पात संयंत्र

596. **श्री गणनाथ प्रधान**
श्री के० ए० राजन } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाचवीं पंचवर्षीय योजना में नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वे संयंत्र किन राज्यों में स्थापित किये जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : तीन नये इस्पात कारखानों के कार्य की प्रगति की स्थिति नीचे दी गई है :—

(1) सेलम इस्पात कारखाना, तमिलनाडु :
प्रथम चरण—कार्य चल रहा है

(2) विजय नगर इस्पात परियोजना, कर्नाटक—विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सेल के विचाराधीन है।

(3) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना, आन्ध्र प्रदेश—सलाहकार विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं।

REDUCTION IN SUPPLY ORDER FOR MANUFACTURE OF POSTAL SEALS

†597. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the number and varieties of seals used in the post offices have been reduced recently, resulting in reduction in the supply order for their manufacture to the Postal Seals Co-operative Society of Aligarh;

(b) if so, the varieties of seals discontinued now and the reasons therefor; and

(c) whether th Co-operative Society has sent a deutation demanding the restoration of this reduction and the decision taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF COMMUNICATONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) Yes. Sir.

(b) In Branch Post Offices the date seals have been replaced by the name seals. In Sub-Post Offices and Head Post Offices the number of seals to be used has been restricted to the number of operators and one insurance seal. These seals would replace the earlier seals which were prepared department-wise. New orders have been issued with a view to eliminate wasteful operations in the use of a large number of seals by the postal staff and to effect economy in expenditure consistent with efficiency.

(c) There was no deputation from the Society specifically demanding the restoration of this reduction. The question of taking a decision thereon does not, therefore, arise.

त्रिपक्षीय सर्वोच्च निकाय (अपेक्स बाडी) को जारी रखना

598. **श्री चित्त बसु :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात् स्थिति के दौरान देश में औद्योगिक सम्बन्धों पर निगरानी रखने के लिए एक त्रिपक्षीय सर्वोच्च निकाय (अपेक्स बाडी) गठित किया गया था;

(ख) क्या वह निकाय अभी काम कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) आपात् स्थिति के दौरान एक द्विपक्षीय (और न कि त्रिपक्षीय) राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय गठित किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजनियक पदों में परिवर्तन

599. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च स्तर के राजनयिक पदों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख). विदेशों में उच्च-स्तरीय राजनयिक पदों पर नियुक्ति का विषय चूंकि काफी महत्वपूर्ण है इसलिए देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश सेवा से या सार्वजनिक क्षेत्र में से उपयुक्त व्यक्तियों को भेजने के प्रश्न पर प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री का ध्यान बराबर रहता है, इस मामले में, जन हित में, समय-समय पर परिवर्तन किये जाते हैं।

आपात के दौरान जब्त किये गये पारपत्र

600. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कितने पारपत्र जब्त किये गये ;

(ख) उनमें से कितने राजनीतिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों के थे ;

(ग) उनमें से कितने व्यापारियों के थे ; और

(घ) क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और जब्त किये गये पारपत्र संबंधित व्यक्तियों को वापस कर दिये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख), (ग) और (घ). आपात काल के दौरान पारपत्र अधिनियम, 1967 की सार्वजनिक हित से संबंधित व्यवस्था के अनुसार राजनीतिक या आर्थिक कारणों से, जिन लोगों के पारपत्र जब्त किये गए थे या जिन्हें पारपत्र की सुविधाएं अस्वीकार कर दी गई थीं, उनकी कुल संख्या 2023 थी ; आपातकाल विरोधी गतिविधियों जैसे राजनीतिक कारणों की वजह से 237 लोगों के पारपत्र जब्त कर दिये गए या उन्हें पारपत्र सुविधाएं अस्वीकार कर दी गई थीं ? विदेशी मुद्रा परिरक्षण एवं तस्कर गतिविधियों पर रोक अधिनियम के अधीन आर्थिक कारणों की वजह से, 1786 मामलों में परिपत्र सुविधाएं वापिस ले ली गई या रोक दी गई थीं । 256 मामलों में जब्ती और मनाही के आदेश रद्द कर दिये गए हैं । 1767 व्यक्तियों के पारपत्र अभी तक लौटाए नहीं गए हैं क्योंकि ये मामले विचाराधीन हैं । पारपत्र जब्त करने या पारपत्र सुविधाओं को रोके रखने की कार्यवाही संबद्ध मंत्रियों की स्वीकृति एवं उनके प्राधिकार के अधीन की गई थी ।

भारत में शिक्षित तथा अनपढ़ बेरोजगार व्यक्ति

601. **श्री बी० एम० सुधीरन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, राज्यवार, शिक्षित तथा अनपढ़ दोनों प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है: और

(ख) उनको रोजगार देने हेतु सरकार की दीर्घावधि तथा अल्पावधि योजनाएं क्या हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्दर वर्मा): (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दिए गए रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या के संबंध में है।

(ख) सरकार को बेरोजगारी समस्या की गम्भीरता की जानकारी है और वह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग के विकास पर उचित बल के साथ रोजगारोन्मुख कौशल का अनुसरण करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं और समूचे ग्रामीण विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

विवरण

(आंकड़े) हजारों (में)

राज्य/संघ-शासित क्षेत्र	31-12-1976 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या		
	अशिक्षित	शिक्षित	कुल
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	349.9	317.5	667.4
2. असम	106.0	89.0	195.0
3. बिहार	481.2	505.4	986.6
4. गुजरात	170.9	208.5	379.4
5. हरियाणा	104.5	138.0	242.5
6. हिमाचल प्रदेश	47.5	36.5	84.0
7. जम्मू व काश्मीर	32.3	20.3	52.6
8. कर्नाटक	181.9	274.5	456.4
9. केरल	344.2	409.4	753.6
10. मध्य प्रदेश	316.1	256.3	572.4
11. महाराष्ट्र	391.2	479.5	870.7
12. मणिपुर	24.5	23.4	47.9
13. मेघालय	6.9	5.1	12.0
14. नागालैण्ड	1.4	0.6	2.0
15. उड़ीसा	221.8	132.6	354.4
16. पंजाब	153.0	168.9	321.9
17. राजस्थान	136.8	135.2	272.0
18. सिक्किम*	—	—	—
19. तमिलनाडु	421.0	409.9	830.9
20. त्रिपुरा	23.2	28.9	52.1
21. उत्तर प्रदेश	470.2	633.7	1112.9
22. पश्चिम बंगाल	588.2	614.0	1202.2

1	2	3	4
संघ-शासित क्षेत्र:			
1. अण्डेमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.0	0.7	3.7
2. अरुणाचल प्रदेश*	—	—	—
3. चण्डीगढ़ .	18.0	21.0	39.0
4. दादरा व नागर हवेली*	—	—	—
5. दिल्ली	46.2	168.0	214.2
6. गोग्रा	14.6	16.8	31.4
7. लक्षद्वीप	1.6	0.7	2.3
8. मिजोरम	3.8	1.5	5.3
9. पाण्डिचेरी	11.3	8.3	19.6
योग . . .	4680.2	5104.1(स)	9784.3(स)

नोट : अनपढ़ों सहित मैट्रिक से नीचे।

मैट्रिकुलेशन तक और इससे ज्यादा शिक्षा प्राप्त।

1. *इन राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2. चालू रजिस्टर में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं हैं।
3. दिल्ली और महाराष्ट्र के सिवाय विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर।
4. राऊडिंग आफ के कारण आंकड़ों को योग में जोड़ा जा सके।
5. स: संशोधित।

TELEPHONE CONNECTIONS TO MARUTI LTD. AND ITS ASSOCIATED COMPANIES

†602. SHRI KARPOORI THAKUR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of telephone connections provided to Maruti Ltd. and its associated companies in Gurgaon (Haryana) and the date on which each telephone connection was provided;

(b) whether applications of other factories located within 5 kilometers around the Maruti Ltd., have been pending for a long time for new telephone connections and if so, the total number of such applications; and

(c) the action being taken by Government for providing new telephone connections to the applicants in the said area ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) 12 connections have been provided to Maruti Ltd. and its associated companies in Gurgaon. 8 of these are connected to the Delhi Telephone system and 4 to the Gurgaon Exchange. one connection was provided in September 1971, 3 in May 1972, 4 in June 1972, one in March 1973 and three in January 1977. Out of 8 connections from Delhi provided to the Maruti Ltd. and its associates, 5 were provided prior to 1977, *i.e.*, in 1971-72. These were provided on out-of-turn priority without OXT under Government

powers. DGP&T reference is F. 18-12/73-PHA (TR. 1177/73-PHA) dated 8-11-73. The remaining 3 connections were provided in January, 77. These demands were registered on 22-10-75. Maruti Ltd. was having a 5-20 line PBX which they wanted to be replaced by 8+50 line PABX and these three connections were for additional junctions for the higher capacity board.

(b) Yes, Sir. There are 43 such applications pending. 13 are for telephone connections from Delhi and 30 from Gurgaon exchange.

(c) The capacity of the Gurgaon Exchange is being increased and underground cables are being laid. The connections from Gurgaon are likely to be provided by middle of 1978.

The connections from Delhi are expected to be provided by the middle of 1979 when the capacity of the Delhi Cantt. Exchange is increased.

TELEPHONE FACILITIES TO SHRI DHIRENDRA BRAHMACHARI'S ASRAM NEAR MANTALAI

†603. SHRI G. S. TOHRA : Will the MINISTER OF COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) Whether telephone facilities were made available to Shri Dhirendra Brahmachari at his Ashram near Mantalai (J & K) in contravention of rules of Communication Department;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the expenditure incurred thereon ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) No, Sir. The telephone connection was provided in accordance with the rules of the Department.

(b) An extension from a long distance P.C.O. has been provided on 5-3-73 on rent and guarantee basis.

(c) The expenditure on the work for providing the extension was Rs. 7,400/- and the annual rental of Rs. 1,456/- is based on this expenditure. The P.C.O. itself was opened on 4-3-73 at a cost of Rs. 84,715/-.

वर्ष 1977 के दौरान सलेम इस्पात संयंत्र में हुई प्रगति

604. श्री सी० एन० विश्वनाथन
श्री के० राममूर्ति } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1977 के के दौरान सलेम इस्पात संयंत्र में कितनी प्रगति हुई और क्या संयंत्र को पूरा करने के लिए और धनराशि आबंटित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मार्च, 1977 में सरकार ने सलेम इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी जिस पर 126.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्य तथा अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य लगभग पूरा हो गया है । अब तक इस प्रायोजना पर 13.30 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

बेदाग इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय निर्माताओं से उत्पादन सम्बन्धी जानकारी देने के बारे में प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं ।

चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिये 13.07 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है ।

डाक तथा तार विभाग में "रीएलाइनमेंट स्कीमें" फिर से चालू करना

605. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार ने 1968 की हड़ताल के तत्काल पश्चात एक समान्तर संगठन बना कर मनमाने ढंग से "री-एलाइनमेंट स्कीम" का उल्लंघन किया जबकि सरकार तथा डाक-तार यूनियनें 1954 में उससे सहमत हुए थीं और जिसके अनुसार, डाक-तार विभाग में 9 सम्बद्ध यूनियनों के साथ एक फेडरेशन बना,

(ख) यदि हां, तो क्या नई सरकार का डाक-तार विभाग में "री-इलाइनमेन्ट स्कीम" को बहाल करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एम्पलाइज के चुने हुए पदाधिकारियों तथा इसके कुछ सम्बद्ध घटकों की मान्यता को, जिसे पिछली सरकार ने वापस ले लिया था और समान्तर संगठनों को मान्यता दे दी थी, फिर से बहाल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं । "री-एलाइनमेंट स्कीम" के बारे में 1954 में सहमति हुई थी । सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद, जब एन० एफ० पी० टी० ई० और उससे संबद्ध संघों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी, तो कर्मचारियों ने अपने को नए संघों में संगठित कर लिया इन संघों ने अपने को नये फैडरेशन एफ० एन० पी० टी० ओ० से संबद्ध कर लिया । बाद में नवम्बर, 1969 में एन० एफ० पी० टी० ई० को फिर से मान्यता दे दी गई । किन्तु एफ० एन० पी० टी० ओ० और उससे संबद्ध संघ पहले से ही मौजूद थे, इसलिए उनकी मान्यता बरकरार रही ।

(ख) ऐसी कोई कार्रवाई विचाराधीन नहीं है ।

(ग) एन० एफ० पी० टी० ई० और उससे सम्बद्ध चार संघों के बीच विवाद था । एन० एफ० पी० टी० ई० और उसके दो सम्बद्ध संघों के बीच का विवाद समाप्त हो गया है । अन्य दो संघों का विवाद भी धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है ।

ADULTERATION IN FOOD STUFFS

606. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the retailor or the company would be hold responsible for the aduiteration in the food stuffs prepared and packed in tins in the factory;

(b) whether under the present law only the retailer is held responsible whereas he has no knowledge of the adulteration inside the tin and if so, whether Government propose to make suitable amendment in the law; and

(c) whether Government propose to consider holding the Government inspector who supervises the packing of the tins. also responsible for the adulteration ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) & (b) Under Section 19(1) of the prevention of Food Adulteration Act, 1954, it shall be no defence in a prosecution for an offence pertaining to the sale of any adulterated or misbranded article of food to allege merely that the vendor was ignorant of the nature, substance or quality of the foods sold by him. However, under Section (19)2 of the said Act a vendor shall not be deemed to have committed an offence pertaining to the sale of any adulterated or misbranded article of food if he proves that he puchased the article of food

with a written warranty in the prescribed form and that the article of food, while in his possession, was properly stored and that he sold it in the same state as he purchased it.

(c) Supervision of the packing of the tins does not fall within the duties of the Food Inspectors appointed under the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

हैदराबाद टेलीफोन्स डिस्ट्रिक्ट एम्प्लाइज कोआपरेटिव कन्ज्यूमर सोसाइटी लिमिटेड का धन उन्हें वापस न दिया जाना

607. **श्री सदासर साहा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाप्रबंधक टेलीफोन्स, हैदराबाद ने हैदराबाद टेलीफोन्स डिस्ट्रिक्ट एम्प्लाइज कोआपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी लिमिटेड के लगभग 60,000 रुपये गत 5 महीनों से सहकारिता के रजिस्ट्रार के इस निदेश के बावजूद, कि यह राशि इस सोसाइटी को दे दी जाय, रोक रखे है;

(ख) क्या महाप्रबंधक, टेलीफोन ने सदस्यों के वेतन बिलों से वसूल की गयी राशि से समायोजित करके 2,500 रुपये के विभागीय शेयर वापस ले कर सोसाइटी के सांविधिक उपबंधों का पालन नहीं किया है; और

(ग) क्या रोकी गयी राशि सोसाइटी को देने के लिए महाप्रबंधक, टेलीफोन्स, हैदराबाद को आदेश दिए जाएंगे?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) हैदराबाद टेलीफोन के जनरल मैनेजर द्वारा रोकी गयी कुल रकम 50,934.84 रुपये है। वसूल की गयी रकम भेजने के संबंध में समिति की याचिका उच्च न्यायालय द्वारा नामंजूर कर देने के फलस्वरूप रजिस्ट्रार से वह रकम सहकारी समिति में जमा करने का निर्देश मिल जाने के बाद टेलीफोन के जनरल मैनेजर और रजिस्ट्रार के बीच आगे और पत्र व्यवहार हुआ। रजिस्ट्रार का निर्णायक मत यह था कि जब तक मुख्य याचिका का अंतिम रूप से निपटारा न हो जाए तब तक इस मामले में इनका हस्तक्षेप करना उचित न होगा।

(ख) 2,500 रुपये मूल्य के विभागीय शेयर वापस ले लिए गए हैं। प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत व्यौरों की जांच की जा रही है।

(ग) रोकी गयी रकम वापस देने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।

पारादीप पत्तन द्वारा संविद श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 को कार्यान्वित किया जाना

608. **श्री सरत कार :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन द्वारा संविश्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 को कार्यान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पारादीप पत्तन यें डम्पर हाउस में सम्बद्ध काम करने वाले ठेकेदार द्वारा कर्मगार नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख): नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, डम्पर हाउस का कार्य मैसर्स ब्रैथवाइट वर्न एण्ड जेस्सेप कंस्ट्रशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठेकेदारों के प्रतिष्ठान ने ठेके के 100 श्रमिकों को नियोजित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद को 100 और श्रमिकों के लिए लाइसेन्स के लिए प्रार्थना की थी जिस पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की ओर से संदेश

609. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान विदेश कार्यालय का एक बड़ा अहलकार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का निजी संदेश देने के लिए भारत आया था जैसा कि दिनांक 5 अप्रैल, 1977 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो संदेश क्या है तथा उसमें क्या कहा गया है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय में अपर विदेश सचिव, श्री एस० शाह नवाज ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में 4 से 7 अप्रैल, 1977 तक नई दिल्ली की यात्रा की। वे 6 अप्रैल को प्रधान मंत्री से मिले और श्री भुट्टो का पत्र उन्हें दिया।

(ख) दोनों सरकारों के बीच हुआ पत्र-व्यवहार गोपनीय है। तथापि, मोटे तौर पर, श्री भुट्टो ने दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया को जारी रखने की इच्छा प्रकट की है।

हिमाचल प्रदेश में जबरन नसबंदी के कारण मृत्यु आदि

610. **श्री बालक राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातस्थिति में हिमाचल प्रदेश में और विशेष रूप से शिमला जिले में कथित गैर-सरकारी पांच सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जबरन नसबंदी के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई अथवा कितने शारीरिक रूप से अपंग हुए;

(ख) मरने वालों अथवा शारीरिक रूप से अपंग होने वाले व्यक्तियों के परिवारों को यदि कोई मुआवजा देने का विचार है तो कितना; और

(ग) सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल मंडल, कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल के विरूद्ध आरोपों की जांच

611. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट मास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल मंडल, कलकत्ता द्वारा राजनैतिक आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध बदले की भावना से कार्यवाही की शिकायतें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक तथा तार विभाग पोस्टमास्टर जनरल के विरुद्ध कथित आरोपों के बारे में जांच करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है; और

(ग) क्या सरकार निष्पक्ष जांच की दृष्टि से उक्त पोस्टमास्टर जनरल को पश्चिम बंगाल मंडल से स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासन के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली थीं । तथापि, जांच करने से पता चला है कि पोस्टमास्टर जनरल ने राजनैतिक आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मारुति को सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों से इस्पात की सप्लाई

612. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड हरियाणा को आरंभ से लेकर अब तक सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों द्वारा कुल कितना इस्पात सप्लाई किया गया।

(ख) कंपनी ने इस मात्रा में इस्पात का उपयोग किस प्रकार किया,

(ग) क्या कंपनी पर इस्पात के मामले में अनियमितता और दुरुपयोग के आरोप लगाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही किये जाने का विचार है तो क्या ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र में स्थित इस्पात संयंत्रों का कार्यकरण

613. **श्री एस० आर० दानाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 के अन्त में सरकारी क्षेत्र में स्थित इस्पात संयंत्रों का कार्यकरण क्या रहा और गत दो वर्षों की तुलना में यह कैसा रहा,

(ख) क्या मांग की कमी के कारण माल इन संयंत्रों के पास जमा हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो माल जमा होने की वास्तविक अद्यतन स्थिति क्या है, मांग की कमी के क्या कारण हैं और उसके शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात कारखाने की वार्षिक स्थापित क्षमता तथा वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में इस्पात पिन्ड और विक्रेय इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है :—

कारखाना	वार्षिक क्षमता	वास्तविक उत्पादन 1974-75	1975-76	1976-77
1	2	3	4	5
		इस्पात पिण्ड		
भिलाई .	2500	2001	2209	2302
दुर्गापुर .	1600	819	1001	1091
राउरकेला .	1800	1066	1282	1503
बोकारो	**	122	342	956
इस्को	1000	532	630	667
		विक्रेय इस्पात		
भिलाई .	1965	1693	1850	2019
दुर्गापुर	1239	520	751	901
राउरकेल	1225	812	1041	1174
बोकारो .	**	——	150	736
इस्को . . .	800	414	500	542

**जिन कारखाने का निर्माण कार्य/स्टेशन अवधि चल रही है ।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में इस्पात की मांग कम रही है । 31 मार्च, 1977 को सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के पास कुल स्टाक (मार्गस्थ तथा स्टाकयार्डों और निर्यात के स्टाक को मिला कर) 13.8 लाख टन था 31 मई, 1977 को यह स्टाक घटकर 12.4 लाख टन रह गया था। स्टाक जमा हो जाने के मुख्य कारणों में पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में वृद्धि होना, निर्माण गतिविधियों की गति धीमी होना तथा रेल डिब्बों, गाड़ियों और सिंचाई परियोजनाओं की खरीद में कमी होना है ।

ऐसी संभावना है कि जब तक निर्माण गतिवविधियों में तेजी नहीं आ जाती और परियोजनाओं द्वारा खरीद नहीं बढ़ती तब तक स्टाक में धीरे-धीरे कमी होने की वर्तमान प्रवृति बनी रहेगी । निर्यात में और अधिक वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

स्टेट्समैन दिल्ली के प्रबन्धकों द्वारा यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को काम पर वापस लेना ।

614. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे? कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित स्टेट्समैन के प्रबन्धकों ने यूनियन के 18 कार्यकर्ताओं को, जिनमें प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, जनरल सैक्रेटरी, आर्गेना इजेशन सैक्रेटरी आदि सम्मिलित हैं, मई-अगस्त, 1974 में निलम्बित कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें काम पर वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख): यह मामला वस्तुत: राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यह पता चला है कि प्रबन्धकों ने स्टेट्समैन एम्प्लाइज़ यूनियन के 18 कर्मकारों को अभिकथित कदाचार, हिन्सापूर्ण व्यवहार आदि के कारण मुअत्तल कर दिया है। इन 18 कर्मकारों में से 3 ने प्रबन्धकों से अपना हिसाब पूर्णत: चुकता कर लिया है । पदच्चुत किए गए अन्य दो कर्मकारों के संबंध में प्रबन्धकों द्वारा दायर किए गए अनुमोदन आवेदन-पत्र अतिरिक्त औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष अनिर्णीत पड़े थे । बताया जाता है कि एक और कर्मचारी ने, जिसकी सेवा लगातार अस्वस्थता के कारण समाप्त कर दी गई थी, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मुआवज़ा प्राप्त कर लिया है। शेष 12 कर्मकारों के संबंध में जांच कार्यवाही चल रही थी और बताया जाता है कि संबंधित कर्मकारों को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार मुअत्तली भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

छात्रों के लिए केरल सरकार की योजना ।

615. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाषण देते हुए केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के सभी शिशुओं को टीका लगाने तथा उस राज्य में समस्त छात्रों के स्वास्थ्य की परीक्षा करने तथा उनका उपचार करने सम्बन्धी केरल सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी, यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) इस राज्य का विचार है कि 5 वर्षों की आयु के नीचे की सारी जनसंख्या को तीन वर्ष के अन्दर चेचक, यक्ष्मा, डिफ्थीरिया, टेटनस और काली खांसी से प्रतिरक्षित कर दिया जाए । राज्य का यह भी विचार है कि 12,000 से भी अधिक स्कूलों के 55 लाख बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चला कर उसके अंतर्गत लाया जाए।

(ग) अनुमान है कि प्रतिरक्षण पर कुल 85 लाख रुपये खर्च आयेंगे। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर कुल 55 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है। इन योजनाओं के ब्यौरे हाल ही में मिले ह और उन की जांच की जा रही है।

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले ही चेचक के खिलाफ प्रतिरक्षण कार्यक्रम चला कर इस रोग को मिटा दिया है। सरकार चेचक के खिलाफ इस प्रतिरक्षण कार्य को चलाए रखेगी। यक्ष्मा के खिलाफ प्रतिरक्षण कार्यक्रम भी सभी राज्यों में राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जाता है। डिफथीरिया, काली खांसी और टेटनस के खिलाफ भी केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सीमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।

EXPENDITURE INCURRED ON TELEPHONE CALLS BY FORMER MINISTERS

†616. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the expenditure incurred on telephone calls made by each former Minister separately from his office as well as residence after the announcement of elections for the Sixth Lok Sabha and whether the entire expenditure was borne by Government ?

MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : Information is being collected from the Ministries and will be placed on the table of the House as soon as received.

डाक-तार विभाग के सेवा से निकाले गये कर्मचारियों को काम पर वापस लेना

617. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत हड़तालों में डाक-तार विभाग के सेवा से निकाले गये कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को वापस ले लिया गया है तथा कितनों को अभी लेना शेष है;

(ग) क्या बर्खास्तगी और बहाली के बीच की अवधि को काम पर होना माना जायेगा तथा उस अवधि का पारिश्रमिक दिया जायेगा और इस कारण कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) क्या बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के बाद वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी, यदि नहीं तो उनको किस प्रकार खपाया जाएगा ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) जी हां, केवल एक मामले को छोड़कर जिस पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से कार्यवाही चल रही है।

(ग) इस बारे में, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श करके हिदायत जारी करने के मामले में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) इसमें छंटनी का कोई मामला सम्मिलित नहीं है।

बच्चों का शोषण

618. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि व्यापक स्तर पर बच्चों से काम कराया जाता है तथा स्वयं राजधानी में 25,000 बाल श्रमिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) बच्चों के शोषण को समाप्त करने के लिये सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) 1971 की जनगणना के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों की कुल संख्या 107.4 लाख थी, जिसमें दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र के 17,000 श्रमिक भी शामिल थे।

बालकों का नियोजन विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन विनियमित/प्रतिषिद्ध किया गया है, जैसे:--

(1) बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933।

(2) बालक नियोजन अधिनियम, 1938।

(3) कारखाना अधिनियम, 1948।

(4) बागान श्रम अधिनियम, 1951।

(5) खान अधिनियम, 1952।

(6) बीडी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम 1966।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के समाज कल्याण विभाग द्वारा अप्रैल, 1974 में गठित बालक नियोजन संबंधी कार्यकारी दल ने इस विषय पर कुछ सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

डाक-तार विभाग में डाकिया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद बनाया जाना

619. **श्री भगत राम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया पोस्टल एम्प्लाईज यूनियन पोस्टमैन एंड क्लास फोर ने अपने जनरल सैक्रेटरी द्वारा गहन अध्ययन करने के बाद वर्ष 1966-67 में "डाकिया तथा चतुर्थ श्रेणी के पद बनाने के लिये स्टेंडर्ड" प्रस्तुत किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक-तार बोर्ड ने यूनियन के उपर्युक्त सुझावों पर विचार किया है;

(ग) क्या नई सरकार तदर्थ स्टेंडर्ड को रद्द करने तथा यूनियन द्वारा सुझाये गए स्टेंडर्ड को परस्पर विचार-विमर्श करके स्वीकार करने पर विचार कर रही है?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) तक--अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन पोस्टमैन और चतुर्थ श्रेणी ने वर्ष 1966-67 में डाकियों और चतुर्थ श्रेणी के पदों की रचना के लिए कुछ मानदंडों का सुझाव दिया था। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए

कार्य अध्ययन यूनिट ने कुछ मानदण्ड निर्धारित किये थे । डाक-तार बोर्ड की स्वीकृति के बाद इन मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए चतुर्थ श्रेणी (डाक) कर्मचारियों के लिए 1974 में और डाकियों के लिए 1975 में आदेश जारी किए गए थे । इन मानदंडों के रद्द किये जाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये रोलिंग मिल

620. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए भारत में ही रोलिंग मिल के निर्माण का निर्णय किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की 40 लाख टन की क्षमता को पूरा करने में इससे कोई विलम्ब होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां, जहां तक बोकारो इस्पात कारखाने (40 लाख टन चरण) की ठण्डी बेलन मिल (कोल्ड रोलिंग मिल कम्पलेक्स का सम्बन्ध है।

(ख) ऐसा महसूस किया जाता है कि मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स) (इंडिया) लि० इंजीनियरिंग प्रोजैक्टस (इंडिया) लि० भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० जैसे भारतीय संगठन तथा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अन्य भारतीय निर्माता पारस्परिक रूप से से कम विदेशी सहायता से यह कार्य निष्पक्ष करने में सक्षम हैं । यह कार्य उनको सौंपने से न केवल तकनीकी आधार मजबूत होगा अपितु इस्पात उद्योग में अत्यन्त आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक आत्म निर्भरता भी प्राप्त होगी ।

(ग) जी, नहीं।

इस्पात और लोहा उत्पादों के समान मूल्य

621. **श्री रामजी लाल यादव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाक यार्डों से अधिक माल उठाने वाले, एक रैंक तथा रैक से माल उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए लोहा और इस्पात उत्पादों के मूल्य एक समान नहीं हैं ।

(ख) यदि नहीं, तो क्या उस नीति से बड़े उपभोक्ताओं को मूल्य संबंधी लाभ नहीं हुआ है, और

(ग) क्या लोहा और इस्पात के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक समान नीति का अनुसरण करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार जबकि ऐसे उपभोक्ता जिनकी इस्पात की आवश्यकता पूरी गाड़ी की होती है, संयुक्त

समिति के मूल्य पर सीधे इस्पात कारखानों से माल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएं उत्पादकों से स्टाक यार्डों से स्टाक यार्ड मूल्य पर खरीद कर माल पूरी करते हैं। सामान्यत: ये मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों से अधिक होते हैं। फिर भी, राज्य लघु उद्योग निगमों रेलवे, तथा प्रतिरक्षा संस्थानों को संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य पर सीधे इस्पात कारखानों से माल प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है, भले ही उनकी आवश्यकता वैगन की ही क्यों न हो।

(ग) जी, नहीं।

NUMBER OF BOGUS STERILISATION CASES IN U.P.

622. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the number of bogus sterilisation cases in Uttar Pradesh in respect of which complaints have been received by him during the period from 15th April, 1977 to 15th May, 1977 and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : Three complaints regarding bogus Sterilisation in Uttar Pradesh have been received in this Ministry so far during the period mentioned. This includes one complaint alleging 26 bogus Sterilisations in Shahjahanpur District of Uttar Pradesh in 1976 and received from Shri Surendra Bikram. M.P. The same has been sent to State Government of Uttar Pradesh on 7-5-77 for enquiry and necessary action.

कानपुर अस्पताल में ग्लूकोस से मृत्यु के के सम्बन्ध में नये सिरे से जांच का प्रस्ताव

623. **श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग तीन वर्ष पूर्व कानपुर अस्पताल में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जिन्हें इंजेक्शन द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से ग्लूकोस दिया गया था जिसे तब 'किलर ग्लूकोस' (घातक ग्लूकोस) कहा गया था ;

(ख) क्या भूतपूर्व सरकार ने उस मामले की कोई जांच कराई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि यदि जांच आरंभ भी की गई थी तो उसे बीच में रोक दिया गया था ?

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार नये सिरे से जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कोई जांच नहीं की।

(ग) और (घ) यह प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। औषधियों के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण रखने का काम औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमावली के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिये यह जांच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी और अपराधियों को सेशन कोर्ट में हाजिर किया गया था। यह मामला अभी न्यायाधीन है।

अतिरिक्त विभाग व्यवस्था के बारे में मदन किशोर समिति की सिफारिशें

624. **श्री रेणुपद दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त विभाग व्यवस्था के बारे में मदन किशोर समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या नई सरकार इस संबंध में पूर्व निर्णय के पुनर्विलोकन पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां।

(ख) पहले जो निर्णय लिया गया था उसकी पूरी तरह समीक्षा नहीं की गई है। दो मामलों में पहले लिए गए फैसले पर पुर्नविचार किया गया है। पुर्नविचार करने पर एक मामले में जिसमें पहले सिफारिश मंजूर नहीं की गई थी, अब मंजूर कर ली गई है और विभागेतर वितरण एजेंटों को ग्रामीण डाकियों की तरह रजिस्ट्री डाक वस्तुएं बुक करने के अधिकार दे दिए गए हैं। अशक्तता के कारण सेवा छोड़ देने की स्थिति में विभागेतर एजेंटों को ग्रेच्यूटी मंजूर करने से संबंधित अन्य मामले पर पुर्नविचार किया जा रहा है।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के कार्य को नया रूप देना

625. **श्री एस० कुन्डु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के कार्य को नया रूप देने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) भारतीय मिशनों की कार्य-पद्धति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है और जब भी आवश्यकता होती है, मिशनों को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के उपयुक्त निर्देश दिये जाते हैं।

दूर संचार विभाग के चौकीदारों (वाचमैन) के काम के घंटे कम करना

626. **डा० सरदीश राय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग दूर-संचार विभाग में काम कर रहे चौकीदारों से 12 घंटे ड्यूटी ले रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दूर-संचार विभाग के चौकीदारों के काम के घंटे कम करने के लिए प्राधिकारियों को आदेश जारी करने का विचार है ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) चौकीदारों (वाचमैनों) की ड्यूटी कितने घंटे की होनी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी ड्यूटी किस प्रकार की है। चौकीदार संपत्ति और भंडार की आम देख-भाल करते हैं। वे रात्रि के समय भी

भवनों की निगरानी करते हैं । ऐसे चौकीदारों को सामान्यतः 12 घंटे प्रतिदिन की ड्यूटी दी जाती है । दूसरी ओर जब चौकीदारों को संपत्ति या भंडार की सक्रिय निगरानी रखनी पड़ती है, जिसमें उन्हें मानसिक और/या शारीरिक काम करना पड़ता है और/या चौकसी से रहना पड़ता है तो उन्हें सप्ताह में 48 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है । उन्हें आमतौर पर प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी सौंपी जाती है ।

(ख) चौकीदारों के ड्यूटी के समय के मामले की जांच की जा रही है ।

PENDING APPLICATIONS FOR TELEPHONE CONNECTIONS

†627. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of applications pending for telephone connections throughout the country as on the 30th April, 1977;

(b) the time by which telephone connections will be provided to the subscribers on the waiting list; and

(c) the difficulties in the way of meeting the demand for telephone connections immediately ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) 1,90,477.

(b) Except in the case of large telephone Districts, present waiting list is expected to be cleared during 1977-78. In the case of large telephone Districts, it is expected to be cleared by 1984.

(c) The difficulties in meeting for telephone demands immediately vary from place to place. Some of the important difficulties are :

(i) Shortage of automatic exchange equipment.

(ii) Time taken in construction of large telephone exchange buildings and installation of exchange equipment thereafter.

(iii) non-availability of suitable sites for telephone exchange buildings in certain cases.

Steps are being taken to get over these difficulties in a phased manner.

गुट-निरपेक्षता के बारे में भारत-ब्रिटेन के बीच बातचीत

628. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में लंदन में कोई बातचीत हुई थी जिसमें विश्व मामलों में भारत की वास्तविक गुट-निरपेक्षता की इच्छा को अपनाये जाने की बात को दोहराया गया था; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों पक्षों में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय और द्वि-पक्षीय मसलों पर विचार-विनिमय हुआ । इसके परिणामस्वरूप एक-दूसरे की नीतियों और स्थितियों को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सका ।

SANCTION OF COMPREHENSIVE HEALTH AND CHILD WELFARE PROGRAMME FOR RURAL AREAS

629. SHRI RAMJIWAN SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether a comprehensive health and child welfare time-bound programme has been sanctioned for rural areas; and

(b) if so, the time by which this Programme is likely to be undertaken ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) and (b) A comprehensive 'Rural Health Scheme' has been drawn up and its details are under examination of Finance Ministry and Planning Commission. It is proposed to launch this Programme on 2nd October, 1977.

अहमदाबाद के ग्रामों में टेलीफोन की सुविधाएं देना

630. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने इस वर्ष अहमदाबाद के अन्य 2,000 ग्रामों में टेलीफोन सेवा प्रदान करने की योजना आरंभ कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो कितने ग्राम इस सेवा से अभी वंचित रह जायेंगे ?

(ग) केवल अहमदाबाद ही में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अप्रैल, 1977 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(घ) उक्त कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(ङ) गुजरात राज्य के प्रत्येक ग्राम में टेलीफोन सेवा सरकार कब तक उपलब्ध करायेगी ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी नहीं । अहमदाबाद राजस्व जिले में 51 गांवों में टेलीफोन की सुविधा दे दी गई है और 1977-78 के दौरान एक अन्य गांव में भी यह सुविधा देने का प्रस्ताव है ।

(ख) वर्ष 1977-78 के अंत में 653 गांव ऐसे रह जाएगे जहां यह सुविधा नहीं दी जा सकेगी ।

(ग) अप्रैल, 1977 के अंत में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बकाया अर्जियों की कुल संख्या 8,359 थी ।

(घ) टेलीफोन की उपर्युक्त मांगें काफी हद तक पूरी करने के लिए वर्ष 1977-78 में अहमदाबाद टेलीफोन प्रणाली का पर्याप्त विस्तार करने की योजना बनाई गई है ।

(ङ) गुजरात राज्य में लगभग 18500 कस्बे और गांव हैं । देश के पिछड़े और देहाती इलाकों में दूर-संचार के विकास की गति तेज़ करने के लिए सरकार विशेष प्रयत्न कर रही है । वर्तमान नीति यह है कि सभी जिला उप-मंडल तहसील/उप-तहसील/खण्ड मुख्यालय और उन स्थानों में जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो टेलीफोन की सुविधा दी जाये चाहे उससे आमदनी कुछ भी हो । उन स्थानों पर जहां की आबादी 5,000 या इससे अधिक है और जो किसी मौजूदा एक्सचेंज से 12.5 किलोमीटर के भीतर स्थित हों, टेलीफोन की सुविधा देने की योजना है बशर्ते कि अनुमानित राजस्व उसके वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 25 प्रतिशत हो । पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के मामलों में जनसंख्या

की सीमा घटाकर 2,500 और वार्षिक आवर्ती व्यय का न्यूनतम राजस्व घटाकर क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है । सामान्य क्षेत्रों के मामले में यदि न्यूनतम राजस्व वार्षिक आवर्ती व्यय के 25 प्रतिशत से अधिक हो और वे स्थान किसी मौजूदा एक्सचेंज से 40 किलोमीटर से अधिक दूर हो तो उन स्थानों पर भी टेलीफोन सुविधा देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है । पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के संबंध में राजस्व की यह सीमा घटाकर क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दी गई है । उन मामलों में भी टेलीफोन सुविधा दी जाएगी जहां के प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से लाभकर हों ।

कर्मचारियों की बहाली

631. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में जनता सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद राज्यवार और उद्योग-वार कुल कितनी संख्या में औद्योगिक कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से बहाल किया गया ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

RECANALISATION IN CASES OF UNSUCCESSFUL VASECTOMY OPERATIONS

632. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have issued orders to State Governments to assess the number of persons whose vasectomy operations had not been successful and who are now unable to earn their livelihood;

(b) if so, the number of such persons State-wise, and the policy Government have adopted toward them;

(c) whether recanalization is possible in respect of the persons sterilized, and

(d) if so, the process thereof as also the places in the country where such facilities are available ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) and (b) No. However, instructions have been issued to provide free treatment to all cases of complications due to sterilisation operation. Technically no complication of sterilisation leads to such a physical incapacity as to make persons unable to earn their livelihood.

(c) Yes.

(d) By another operation the cut ends of the Vas are joined together. The list of places state-wise where facilities for recanalisation are available is attached.

[Placed in Library. *See* No. L.T.-362/77]

केन्या से भारतीयों को निकाला जाना

633. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्या सरकार ने बीस भारतीयों—बोहरा जाति के मुख्य पादरी डा० सैयदना बुरानुद्दीन के भाई डा० युसुफ नजामुद्दीन और उनके 19 सदस्यों के एक दल को सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 15 मार्च, 1977 अथवा इसके आस-पास देश से निकाल दिया था; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) डा० नाजमुद्दीन और 11 सदस्यों का उनका दल 21 दिसम्बर, 1976 को कीनिया पहुंचा । उन्होंने बोहरा जाति के कई समारोह में भाग लिया जिसमें कीनिया के विदेश मंत्री द्वारा एक नए जमाइत हाल का उद्घाटन भी शामिल है । मोम्बासा की यात्रा के अवसर पर 26 मार्च, 1977 को इस दल के अतिथि-परमिट रद्द कर दिए गए थे । लेकिन बाद में कीनिया प्राधिकारियों द्वारा उन्हें निवास अवधि में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी और वास्तव में दल ने 23 मार्च, 1977 को नैरोबी के लिए प्रस्थान किया ।

नैरोबी में हमारे हाई कमिश्नर इस घटना की सूचना सरकार को देते रहे हैं । इस दल के अतिथि-परमिट रद्द करने का कोई कारण तो नहीं बताया गया था लेकिन यह विश्वास किया जाता है कि कीनिया के प्राधिकारियों को यह भय था कि डा० नाजमुद्दीन के निरंतर वहां बने रहने से बोहरा जाति के विरोधी वर्गों के बीच अशान्ति पैदा हो जाएगी । हमारी सूचना के अनुसार डाक्टर नाजमुद्दीन और उसके दल पर न तो किसी समाज विरोधी गतिविधियों का अभियोग लगाया गया और न उन्हें निर्वासित किया गया

APPLICATIONS FOR PASSPORTS RECEIVED IN GUJARAT

†634. SHRI DHARAMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of applications for passports received in Gujarat during the period from 1st April, 1976 to 31st March, 1977;

(b) the number of persons issued passports; and

(c) the number of applications pending in Gujarat at present and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) 78,559 applications for new passports were received in Gujarat from persons who were not previously holding passports, during the period from 1st April, 1976 to 31st March, 1977.

(b) 61,393 passports were issued to such applicants during the period.

(c) The number of applications pending in Gujarat as on 30th April, 1977 was 25,129. Of these, 3,693 cases were pending for want of additional information from the applicants who have been asked to furnish them and 500 applications were pending for want replies from other organisations. Approximately 16,000 applications were pending due to inadequacy of staff to cope with the nearly 40 per cent increase in the volume of work during the period from 1st January, 1977 to 31st May, 1977 as compared to the corresponding period in 1976.

OPENING OF SUB-POST OFFICES IN BLOCK HEADQUARTERS IN DISTRICT KATIHAR, BIHAR

†635. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there are no sub-post offices in Block Headquarters in Ahmedabad, Pranpur, Azamgarh, Bairampur, Kodha, Jhalka and Kadwa in Katihar district of Bihar;

(b) whether all these Blocks are in backward areas and these being flood effected, the people there experience great difficulty;

(c) whether the Government are committed to the policy of paying special attention to and making special arrangements for the convenience of the people of backward regions; and

(d) if so, the time by which sub-post offices will be opened in the above Block Headquarters and in case it is not proposed to do so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) All these block headquarters have Branch Post Offices which provide basic postal facilities. They do not, however, have Sub Post Offices.

(b) These blocks have not been declared very backward for purposes of postal development.

(c) The Ministry pays special attention to extending of postal facilities in very backward areas.

(d) There are Branch Post Offices at these block headquarters. Their upgradation to Sub Offices is not justified according to Departmental norms, at present.

DEMAND OF MARUTI WORKERS

636. SHRI UGGRASEN : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Maruti Workers Union went on a hunger strike during the later half of May, 1977 in front of the Prime Minister's house demanding re-instatement of retrenched workers;

(b) what are the other main demands of the Union; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Yes.

(b) Other main demands of the Union are :

(i) Nationalisation of the Company without further delay.

(ii) Re-employment of workers who were forced to resign.

(iii) Suitable action against management of the Company for violations of labour laws.

(c) Haryana Government have been requested to examine the alleged violation of Labour Laws by the management and to take appropriate action in the matter. That Government has informed that cases of 37 workers who had made specific representations about alleged wrongful termination of their services have been referred to adjudication under the Industrial Disputes Act.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की विदेशी यात्राओं पर व्यय

638. **श्री के० रामर्मूति :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महा-निदेशक श्री टी० एन० लक्ष्मीनारायणन द्वारा की गई बहुत सी विदेश यात्राओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) उनके इस खर्च को किस निकाय ने वहन किया ; और

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की भलाई के लिए उनकी विदेश यात्राओं की उपादेयता क्या है तथा इस संबंध में यदि महा-निदेशक द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1,29,130.82 रु० (अप्रैल 1973 से अप्रैल, 1977 तक) ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा एसोसिएशन परिषद्, जनेवा के लिए भारत की ओर से नामधारी प्रतिनिधि हैं, ईसा की विभिन्न बैठकों में भाग लेते रहे हैं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समाज सुरक्षा विशेषज्ञों की जनेवा में हुई बैठक में भी भाग लिया। इन बैठकों से अन्य देशों के विशेषज्ञों व बैठकों में भाग लेने वालों में जानकारी के उपयोगी आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध होते हैं। जानकारी का ऐसा आदान-प्रदान बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है, विशेषतः निगम द्वारा प्रारम्भ किये गये बड़े पैमाने के विस्तार कार्यक्रम की क्रियान्विति में।

CRITICISM OF INDIAN LEADERS BY PRIME MINISTER OF NEPAL

†639. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in a local daily dated the 25th May, 1977 wherein the Prime Minister of Nepal is reported to have criticised Indian leaders, newspapers and mass media; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the efforts being made to remove the misunderstanding prevalent in Nepal and establish friendly relations ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement was made by the official spokesman of the Ministry of External Affairs expressing our unhappiness with remarks made by the Prime Minister of Nepal. Our Spokesman's statement which *inter-alia,* also refers to the efforts being made by the Government to remove misunderstandings with Nepal was carried in full in the Indian press on 26th May 1977.

उद्योग में शाप फ्लोर और संयंत्र स्तर पर श्रमिकों का भाग लेना

640. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग में शाप फ्लोर और संयंत्र स्तर पर श्रमिकों के भागीदारी की योजना को लागू करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) प्रबन्धकों ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) उद्योग में शाप फ्लोर और संयंत्र स्तर पर श्रमिकों की भागीदारी की योजना सरकार द्वारा अपने 30 अक्तूबर, 1975 के संकल्प द्वारा आरंभ की गई थी जिससे सारे देश में विनिर्माण तथा खनन उद्योगों में 500 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके। इस योजना में परिकल्पित शाप परिषदें, तथा संयुक्त परिषदें गठित करने के प्रयोजन के लिए संकल्प की प्रतियां सभी राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों, केन्द्रीय मंत्रालयों, लोक उद्यम ब्यूरो और नियोजकों तथा श्रमिक के केन्द्रीय संगठनों को भेजी गई थीं। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने भी इस योजना को कार्यान्वित कराने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों और राज्य श्रम मंत्रियों को लिखा। इस योजना का रेडियो, टेलीवीजन आदि विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त प्रचार करने के लिए आवश्यक उपाय भी किए गए थे ताकि श्रमिकों और प्रबन्धकों को योजना के मूल सिद्धान्तों से अवगत कराया जा सके। योजना के

कार्य-करण में सुधार लाने के लिए 1976 के दौरान इस योजना की मुख्य मंत्रियों तथा श्रम मंत्रियों के सम्मेलनों में पुनरीक्षा की गई थी । कुल मिला कर योजना का देश में अच्छा स्वागत किया गया है । कई राज्यों में, इस योजना को 500 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले एककों पर लागू करने के लिए संशोधित किया गया है । मई, 1977 के अन्त तक 25 राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के 2013 एककों ने योजना लागू की है या ऐसा करने के लिए कदम उठाए हैं । या इसे कार्यान्वित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं ।

प्रत्येक गांव में डाकघर की व्यवस्था करने संबंधी योजनाएं

641. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आबादी की अपेक्षित संख्या को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक गांव में डाकघर की व्यवस्था करने की कोई योजनाएं हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन ग्रामीणों की कठिनाईयों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें पांच मील की दूरी के भीतर डाकघर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी नहीं ।

(ख) जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं, वहां डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) सभी देहाती डाकियों और विभागेतर वितरण एजेंटों को गश्त के दौरान अब ग्रामवासियों को बेचने के लिए अपने साथ डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री रखनी होती है ।

(ii) भारत के लगभग 96% गांव दैनिक डाक वितरण योजना के अंतर्गत आ गए हैं । वर्ष 1977-78 के दौरान शेष गांवों को भी इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(iii) जिन गांवों में कोई भी डाकघर नहीं है, वहां कमीशन के आधार पर डाक टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचने के लिए एजेंट नियुक्त किए गए हैं । वर्ष 1977-78 में ऐसे और एजेंट नियुक्त किए जायेंगे ।

(iv) जिन गांवों में डाकघर लेटर बक्स नहीं हैं, वहां और लेटर बक्स लगाए जा रहे हैं ।

देश के अस्पतालों में योग चिकित्सा प्रणाली की व्यवस्था

642. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अस्पताल में पहली बार योग चिकित्सा प्रणाली की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में योग चिकित्सा प्रणाली के लिए कितने केन्द्र हैं; और

5—437LSS/77

(ग) क्या सरकार ने समस्त देश में विभिन्न अस्पतालों में योग चिकित्सा प्रणाली की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ने योग चिकित्सा प्रणाली की व्यवस्था अस्पतालों में नहीं की है बल्कि इसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एक औषधालय में की गई है । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को योग चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, चित्रगुप्त रोड, में एक नियमित योग केन्द्र खोल दिया गया है । केन्द्रीय सरकार ने देश भर के विभिन्न अस्पतालों में योग चिकित्सा प्रणाली उपलब्ध करने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है । इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य राज्य का विषय है । अत: अपने क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में योग केन्द्र खोलने के बारे में योजना बनाने/स्थापित करने की आवश्यकता की जांच करना राज्य/संघ शासित सरकारों का ही काम है । वैसे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंग के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जरिये योग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने का विचार है ।

भूटान नरेश की भारत यात्रा

643 **श्रीमती मृणाल गोरे**
डा० बापू कालदते } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान नरेश ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां । भूटान नरेश ने 23 से 25 अप्रैल, 1977 तक भारत की अनौपचारिक यात्रा की ।

(ख) इस अवसर पर भारत और भूटान राज्य के बीच अत्यधिक मित्रतापूर्ण हार्दिक और विशिष्ट संबंधों की पुन: पुष्टि का मौका मिला ।

कुपोषण की समस्या

644. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुपोषण की समस्या गंभीर है जो माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु, रुगणता तथा अंधता का एक बड़ा कारण है;

(ख) क्या हमारे अनुसंधान संस्थानों ने एक सस्ता परन्तु पोषक आहार बनाया है जो निर्बल वर्गों के पहुंच के भीतर हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ग को ऐसा आहार उपलब्ध कराने में कहां तक सफलता मिली है; और

(घ) कुपोषण की गंभीर समस्या का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) अत्यधिक कुपोषण के कारण होने वाली अनुमानित 5 लाख बच्चों की मौतें और उन मौतों को जो काफी हद तक

कुपोषण से उत्पन्न आन्त्रशोध, खसरा, काली खांसी, क्षय रोग आदि जैसे रोगों के कारण होती है, हमारे कुल बच्चों में से लगभग 7% बच्चों को 5 वर्ष से कम आयु में अंधापन हो जाने और गर्भवती स्त्रियों में से 50% को खून की कमी की शिकायत होने की बातों को ध्यान में रखते हुए कुपोषण की समस्या को यदि गंभीर नहीं, तो बड़ी समस्या कही जा सकती है ।

(ख) जी हां, किन्तु गरीब लोगों में से बहुत से लोग अपनी क्रय शक्ति सीमित होने के कारण इस आहार को नहीं अपना सकते हैं ।

(ग) पोषक आहार के नए मानकों का लोगों में प्रचार विभिन्न मंत्रालयों के विस्तार प्रभागों और विभिन्न पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है । यदि लोगों में ऐसा करने का सामर्थ्य हो तो वे इन मानकों को स्वतंत्रतापूर्वक अपना सकते हैं । आर्थिक दुर्दशा और खानपान की आदतों को न बदलने की प्रवृति के कारण खानपान की आदतों में अभी तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है ।

(घ) कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं । इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है ।

विवरण

कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं

1. व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम को सामुदायिक विकास विभाग यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य तथा कृषि संगठन की मदद से चला रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और स्कूल-पूर्व बच्चों जैसे कमज़ोर समुदाय की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना है जो हरी सब्ज़ियों जैसे संरक्षक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर और उनका अधिकाधिक सेवन कराकर पूरी की जाएंगी । सामुदायिक बगीचे, मुर्गी पालन एकक और मछली-उद्योग का विकास करना उत्पादन के मुख्य अंग हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1,180 सामुदायिक विकास खंडों को लाया गया । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके अंतर्गत 700 अतिरिक्त खंडों को लाने की आशा है ।

2. विशेष पोषण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम को समाज कल्याण विभाग केन्द्रीय कार्यक्रय के रूप में चला रहा है । विश्व खाद्य कार्यक्रम और केअर इस कार्यक्रम में खाद्य पदार्थों से सहायता करते हैं । इस कार्यक्रम से जो लोग लाभ उठा रहे हैं उनमें स्कूलपूर्व बच्चे और गर्भवती स्त्रियाँ और दूध पिलाने वाली माताएं भी शामिल हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 60 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने की आशा है ।

3. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चला रहा है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें 50 लाख बच्चों को शामिल करने की आशा है ।

4. बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन की रोकथाम

यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) चला रहा है । इसमें एक से छः वर्ष की आयु के कमज़ोर वर्ग के बच्चे शामिल हैं । बच्चों को हर छः महीने में एक बार 2,00,000 आई० यू० की भारी खुराक खिलाई जाती है पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 6 करोड़ बच्चों को शामिल करने की आशा है ।

5. पोषण की कमी के कारण होने वाली रक्तअलपता को दूर करने का कार्यक्रम

इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण विभाग गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों के लाभ के लिए कार्यान्वित कर रहा है । आइरन और फौलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य एजेन्सियों के माध्यम से बांटी जा रही हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ लाभार्थियों को इसमें शामिल करने की आशा है ।

सलाहकार परिषदों का विघटन

645. **श्री के० मालन्ना :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपनी सलाहकार परिषदें भंग कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है, जो उन परिषदों में नियुक्त थे और उनके क्या कर्तव्य थे ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी नहीं । संचार मंत्रालय में केवल एक केन्द्रीय डाक-तार सलाहकार परिषद है । पिछली केन्द्रीय डाक-तार सलाहकार परिषद का कार्यकाल 15-2-1977 को समाप्त हो गया । उस परिषद के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया है कि वे उस तारीख से परिषद के सदस्य नहीं रहे ।

(ख) संचार मंत्री (और राज्य मंत्री व उप-मंत्री, यदि कोई हों तो) के अलावा इस परिषद में 65 सदस्य होते हैं, जिनमें डाक-तार बोर्ड के अध्यक्ष व 6 सदस्य 22 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, डाक-तार सेवाओं के 5 प्रमुख सरकारी उपभोक्ता (अर्थात रेलवे बोर्ड, रक्षा, आकाशवाणी, पत्र सूचना ब्यूरो और विशेष संचार सेवायें), डाक-तार विभाग के कार्यकरण से निकट संबंध रखने वाले भारत सरकार के चार मंत्रालय (अर्थात जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय, उद्योग व नागरिक पूर्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और योजना आयोग), 10 संसद सदस्य, इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया के 2 प्रतिनिधि, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के 4 प्रतिनिधि, प्रेस व समाचार एजेंसियों के 5 प्रतिनिधि, फिलाटली हितों का एक प्रतिनिधि, डाक-तार कर्मचारी महासंघों के 2 प्रतिनिधि और संचार मंत्री द्वारा नामजद 3 व्यक्ति शामिल होते हैं।

इस परिषद के गठन का उद्देश्य यह है कि डाक-तार विभाग और डाक-तार सेवाओं के प्रमुख उपभोक्ताओं के बीच विभाग द्वारा जाने वाली सेवाओं से संबंधित अखिल भारतीय किस्म के मामलों में निकट का संबंध स्थापित किया जा सके, और ऐसी सेवाओं को कार्य-कुशलता में सुधार लाया जा सके । यह सिर्फ सलाह देने वाली एक निकाय है ।

नियमित पदों पर टेलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति

646. **श्री जगन्नाथ प्रसाद स्वतन्त्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन विभाग ने जुलाई, 1976 में हुई परीक्षा के आधार पर कितने टेलीफोन आपरेटरों का चुनाव किया ?

(ख) सफल उम्मीदवारों में से कितने लोगों को नियमित पदों पर तत्काल नियुक्त कर लिया गया ?

(ग) कितने उम्मीदवारों को ''दैनिक मजदूरी कर्मचारी'' के आधार पर नौकरी दी गई, और

(घ) इन सभी लोगों को कब तक नियमित पदों पर नियुक्त कर लिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जुलाई, 1976 में हुई परीक्षा के आधार पर 271 महिला और 98 पुरुष उम्मीदवार चुने गये थे ।

(ख) नियमित

	महिलाएं	186
	पुरुष	65
(ग)	महिलाएं	85
	पुरुष	कोई नहीं ।

(घ) शार्ट ड्यूटी आपरेटरों को खपाए जाने के लिए समय की कोई सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि :

(i) सभी शार्ट ड्यूटी टेलीफोन आपरेटरों को नियमित टेलीफोन आपरेटर के तौर पर खपाना अनिवार्य नहीं है ।

(ii) उन्हें आगामी वर्ष की भर्ती अर्थात 1977 के खाली स्थानों में से 20 प्रतिशत स्थानों पर खपाया जाना है बशर्ते कि उन्होंने खपाए जाने से पहले के छ: महीनों की अवधि में शार्ट ड्यूटी टेलीफोन आपरेटर के तौर पर 120 दिन की सेवा की हो ।

हरी नगर, नई दिल्ली में डी० डी० ए० फ्लेटों के निकट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोला जाना

647. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरी नगर, नई दिल्ली में डी० डी० ए० (निम्न आय समूह) फ्लेटों (क्षेत्र बी) के निकट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह औषधालय कब तक खोला जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

TELEPHONE SCHEME FOR KHARGONE DISTRICT OF MADHYA PRADESH

†648. SHRI RAMESHWAR PATIDAR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a telephone scheme had been sanctioned for Dawana, Kuwan, Dewla and Talwaradeb villages in Rajpur Tehsil of Khargone district in Madhya Pradesh and the telephone connection applicants had made the requisite deposits in 1976; and

(b) if so, the time by which they are likely to be given telephone connections ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) A small automatic exchange has been sanctioned for Dawana. A local P.C.O. will be approved for Kuwan and will be provided along with the commissioning of the SAX at Dawana. No proposals have been sanctioned for PCOs at Dewla and Talwaradeb. Eighteen applicants have deposited money in 1976 for telephone connections at Dawana.

(b) The connections are expected to be given in 6 months' time.

PROPOSAL BY KHARGONE DISTRICT ADVISORY COMMITTEE FOR OPENING PUBLIC CALL OFFICES

†649. SHRI RAMESHWAR PATIDAR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the names of villages in the district of Khargone of Madhya Pradesh in respect of which schemes for opening of public call offices were received in 1975-76 and 1976-77 for approval; and

(b) the names of villages in case of which schemes for opening of the same have been approved ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) The names of the places for which proposals for opening of P.C.O's have been received are given below year-wise :—

1975-76	1976-77
1. Jhopli	1. Talwad-Buzurg
2. Patti	2. Mohammadpur
3. Jhirnia	3. Dhulkot
4. Andor	4. Barud
5. Mahadwara	5. Bhagwanpura
6. Tiplia Buzurg	6. Bedia
	7. Bisthan
	8. Lonara
	9. Bamnola
	10. Bagod
	11. Mortalai

(b) Proposals for opening of P.C.O's at stations appearing at Sl. Nos. (1) to (3) of 1975-76 and Sl. Nos. (1) to (9) of 1976-77 list have been approved.

ALLEGED FORCED STERILISATION OF UNMARRIED PERSONS IN M.P.

650. SHRI RAMESHWAR PATIDAR : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) names of the districts in Madhya Pradesh from where cases of forced sterilisation of unmarried persons during emergency have been reported;

(b) the names of officers who conducted enquiry into these complaints, and

(c) the action taken against the guilty officers ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Madhya Pradesh Government has reported that two complaints regarding alleged forced sterilisation were received each from Districts of Bhopal and Betul.

(b) Enquiries were conducted in respect of Bhopal case by Dr. Hisamuddin, Joint Director of Health Services, and in respect of Betul case by Dr. B. P. Tiwari, District Family Welfare Officer Betul.

(c) Madhya Pradesh Govt. have reported that Bhopal case was self motivated and as such no other person is responsible for it. Betul case was motivated by a teacher and the State Director of Education has been directed to take action in this regard.

EXTENSION OF POSTAL SERVICES IN RURAL AREAS OF RAJASTHAN

†651. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of villages in Rajasthan and the number of villages out of them having Post Offices; and

(b) the schemes being formulated to provide facilities to the villages by further extension of postal services in the rural areas of Rajasthan?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) There are reported to be 33305 villages in Rajasthan; of these, 7082 villages are having Post Offices.

(b) It is proposed to open 150 new Branch Post Offices in the rural areas of Rajasthan during 1977-78. It is also proposed to extend Postal Counter Service to more villages through mobile Post Offices, plant more letter boxes and appoint agents for sale of postage stamps and stationery in villages.

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जमा राशि पर ब्याज दिया जाना

652. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के वर्तमान नियमों के अनुसार टेलीफोन लगाने के इच्छुक आवेदकों को पंजीकरण के समय विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 1 हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक की राशि जमा करानी पड़ती है ;

(ख) क्या उस राशि पर जमाकर्त्ताओं को जब तक उन्हें टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलता तब तक वार्षिक ब्याज दिया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार के समक्ष डाक तथा तार विभाग के सम्बद्ध नियमों का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इस जमा राशि पर वार्षिक ब्याज दिया जा सके क्योंकि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कुछ श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन लगने में अनेक वर्ष लग जाते हैं ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जिस दिन से पेशगी जमा की रकम जमा करायी जाती है उसी दिन से प्रत्येक पूरे महीने के लिए उस पेशगी जमा रकम पर उसी दर से ब्याज मिलना शुरू हो जाता है जिस दर से स्टेट बैंक आफ इंडिया सावधि जमा पर अदा करता है । जब टेलीफोन कनेक्शन मंजूर हो जाता है तो जो ब्याज पेशगी जमा पर इक्टठा होता है वह टेलीफोन कनेक्शन पर लगने वाले पहले चार्ज में समायोजित किया जाता है । जो रकम समायोजित करने से शेष रह जाती है उसे बाद वाले बिलों में समायोजित कर लिया जाता है । इस पद्धति में परिवर्तन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को पीड़ित करना

653. **ला० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा बिना ठोस कारणों से पीड़ित तथा परेशान किया गया था ;

(ख) क्या कुछ डाक्टरों को मनमाने ढंग से बहुत दूर स्थानान्तरण कर दिया गया था और वरिष्ठ डाक्टरों को अनियमित तरीके से कनिष्ठ डाक्टरों के अधीन कार्य करना पड़ता था ; और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और क्या निदेशालय के ढांचे का पुनर्गठन करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है जिससे औषधालयों में सुचारू ढंग से कार्य सुनिश्चित किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे किसी भी डाक्टर का मनमाने ढंग से दिल्ली से बाहर/बहुत दूर स्थानों में स्थानान्तरण करने की सिफारिश नहीं की गई है । वरिष्ठ डाक्टरों को कनिष्ठ डाक्टरों के अधीन कार्य करने के लिए तब तक तैनात नहीं किया जाता है जब तक कि वह इंचार्ज बनने से स्वयं इंकार नहीं कर देते या उन्हें चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज के पद के लिए अयोग्य पाया गया हो ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में जी० डी० ओ० के रूप में काम कर रहे भूतपूर्व कमीशनप्राप्त अधिकारी

654. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए जाने के बाद सेना के कुछ भूतपूर्व कमीशनप्राप्त अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में जी० डी० ओ० के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या उक्त डाक्टरों द्वारा सेना में की गई सेवा को उनके वेतन निर्धारित करने तथा अन्य लाभों जैसे उपदान और पेंशन के लिए शामिल नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय को प्रभावित डाक्टरों से हाल ही में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनावरत सेवा के लाभ की मांग की गई है, यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(क) से (घ) सशस्त्र सेना के भूतपूर्व कमीशनप्राप्त अधिकारियों से जैसे ही अभ्या-वेदन प्राप्त होते हैं, उनकी जांच वर्तमान नियमों के अन्तर्गत की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों तथा अन्य सहयोगी संगठनों में जनरल ड्यूटी अधिकारियों के रूप में उनके नियुक्त हो जाने पर संबंधित अधिकारियों को वेतन आदि के नियतन का लाभ जहां स्वीकार्य हो, दिया जाता है ।

श्रम कानून में डिप्लोमा कोर्स

655. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली श्रम कानून में एक डिप्लोमा कोर्स चला रहा है और इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं विधि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर रखी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने की अर्हता स्नातकोत्तर रखने के क्या कारण हैं जब कि उसी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अन्य डिप्लोमा कोर्सों की न्यूनतम अर्हता केवल स्नातक है; और

(ग) क्या सरकार श्रम कानून में डिप्लोमा में प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) भारतीय विधि संस्थान, श्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है । तथापि, श्रम मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि श्रम अधिकारियों के केन्द्रीय पूल में नियुक्ति के लिए अर्हता के रूप में इस संस्थान के श्रम कानून डिप्लोमे को मान्यता देने के प्रयोजन के लिए, इस डिप्लोमा कोर्स में भर्ती के लिए अर्हता अवश्य ही विधि स्नातक या समाज शास्त्र में एम० ए० डिग्री होनी चाहिए ।

राजस्थान में रां साल्टपीटर की बिक्री

656. **श्री दुर्गा चन्द : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में हनुमानगढ़ तहसील में रां साल्टपीटर का ठेका सार्वजनिक नीलामी द्वारा नहीं दिया गया है बल्कि उस पर कुछ चेहते लोगों का एकाधिकार है ;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेका न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक नीलामी द्वारा उक्त ठेका दिए जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) व (ग) साल्टपीटर एक ऐसा खनिज है जो खनिज रियायत नियमावली, 1960 से प्रशासित नहीं होता अपितु सम्बद्ध राज्य सरकार की गौण खनिज अनुदान नियमावली से शासित होता है ।

राजस्थान की गौण खनिज अनुदान नियमावली, 1959 के नियम 20 में यह प्रावधान है कि गौण खनिजों के पट्टे सार्वजनिक नीलामी द्वारा या टेंडर मंगाकर दिए जाने चाहिएं जो

स्वीकृति के लिए पट्टा मंजूरी हेतु राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएं। राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि हनुमानगढ़ तहसील में साल्टपीटर निक्षेपों की अधिसूचना 15 अक्तूबर, 1970 के राजस्थान गजट में प्रकाशित की गई थी तथा 2 दिसम्बर, 1970 को नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के पक्ष में पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टा देने का निर्णय हुआ। ये पट्टा 22 मार्च, 1971 से शुरू हुआ। पट्टाधारी ने राजस्थान गौण खनिज अनुदान नियमावली के नियम 16(बी) के अधीन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन किया। इस नियम के अनुसार राज्य सरकार को मूल पट्टे की अवधि के बराबर की अवधि के लिए पट्टे के नवीकरण का अधिकार है और यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि पट्टाधारी ने खानों में सुधार किया है तथा मशीनों और यंत्रों पर काफी पूंजी लगायी है तो वह मूल पट्टे की अवधि के बराबर दूसरी, तीसरी और चौथी बार नवीकरण मंजूरी कर सकती है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परिणामस्वरूप पट्टा वाले क्षेत्र की पुनः नीलामी का सवाल नहीं उठता और उनके मत से पट्टाधारी ने प्रश्नगत क्षेत्र का विकास किया है, काफी पूंजी लगाई है तथा इस खनिज पर आधारित उद्योग भी स्थापित किया है।

इंगलैंड से दवाई की गोलियां आयात करने के लिए महाराष्ट्र द्वारा अभ्यावेदन

657. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च और अप्रैल, 1977 में महाराष्ट्र राज्य की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इंग्लैंड से दवाई की गोलियां आयात करने की अनुमति मांगी गई है ;

(ख) क्या उक्त गोलियां जो कान के रोगों के लिए लाभप्रद है भारत में उपलब्ध नहीं है; और

(ग) उपर्युक्त अभ्यावेदन के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, पालघाट, केरल के कर्मचारियों की मांगे

658. **श्री वयालार रवि :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, पालघाट, केरल के कर्मचारियों ने प्रबन्धकों को कोई मांगें भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार (मंत्री श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां। ये मांगें पिछले महीने प्राप्त हुई हैं।

(ख) मांगें मुख्य रूप से वेतन-मान, मंहगाई भत्ता, छुट्टी और यात्रा नियमों आदि में संशोधन के बारे में है। इन पर समुचित विचार किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधायें

659. **श्री प्रदयुम्न बाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को इस समय देश भर में फैले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। देहातों में दी जा रही इन सेवाओं में और सुधार करने के उद्देश्य से सरकार 'ग्रामीण स्वास्थ्य योजना' पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को समुदाय ही चुनेगा। ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्तर पर रोगों की रोकथाम करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने, लोगों का इलाज करने की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक सेवाओं का स्तर सुधारने की भी व्यवस्था है जिसे बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ताओं की संख्या बढ़ाकर, देहाती इलाकों में बड़ी संख्या में डाक्टर तैनात कर और चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य संबंधी सारे काम के लिए मेडिकल कालेजों को जिम्मेदार बना कर किया जाना है। इसमें दो वर्ष की अवधि में लगभग 5 लाख 80 हजार सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने और इतनी ही दाइयों को प्रशिक्षित करने का विचार है ताकि वे देहाती इलाकों में प्रसव में, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद की सेवाएं प्रदान कर सकें। इस योजना के ब्यौरे पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग विचार कर रहे हैं।

गंगा जल के बारे में भारत-बंगलादेश करार

660. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्**
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
श्री निहार लास्कर
श्री जनेश्वर मिश्र
: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच गंगा जल के बंटवारे के प्रश्न पर कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में नौवहन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) ढाका में 15 से 18 अप्रैल, 1977 तक मंत्रिस्तर पर जो बातचीत हुई थी, उसकी समाप्ति पर, इस बारे में दोनों देशों के बीच संभावित समझौते के तत्वों पर सहमति हो गई थी।

(ख) दोनों देशों के बीच अधिकारी-स्तर की बातचीत में इस समझौते के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। नई दिल्ली में 7 से 11 मई, 1977 तक अधिकारियों के स्तर पर जो

बातचीत हुई थी उसमें समझौते की दिशा में काफी व्यापक आधार लेकर विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) फरक्का बांध हुगली नदी में नौवहन की सुविधा को विकसित करने की दृष्टि से बनाया गया है जिससे कि कलकत्ता बंदरगाह की सुरक्षा हो सके । इस विषय पर अब तक हुई बातचीत में इस पहलू को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है ।

'इंटलसेट' की भारत की सदस्यता

661. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश 'इंटलसेट' का सदस्य है ; और

(ख) उक्त संगठन का सदस्य होने के क्या लाभ हैं ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां ।

(ख) इण्टलसेट-अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन एक व्यापारिक संगठन है इसका मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरीका में है । संगठन, संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए बनाया गया है । इण्टलसेट ने अन्ध-महासागर, प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर पर उपग्रह स्थापित किये हैं । हिन्द महासागर पर स्थिर उपग्रह के माध्यम से भारत विदेश संचार-संपर्क स्थापित कर सकता है । यह उपग्रह योरूप, अफ्रीका, एशिया के सभी देशों और आस्ट्रेलिया में भी देखा जा सकता है । भारत के अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन का लगभग 99 प्रतिशत परियात अब इण्टलसेट उपग्रह के माध्यम से निपटाया जाता है ।

एक मार्च, 1977 को इण्टलसेट के 95 सदस्य थे । सदस्य होने के नाते इण्टलसेट में भारत ने भी पूंजी लगाई है । यह रकम 31 मार्च, 1977 को 1.2 करोड़ रुपये थी । इस निवेश पर भारत को 14 प्रतिशत मिलता है । इसके अलावा, भारत उन सभी तकनीकी प्रलेखों का प्रयोग कर सकता है जो उपग्रह संचार के क्षेत्र में ज्ञानवृद्धि के लिए उपयोगी ह । भारत का नाम उपस्कर की सप्लाई के लिए इण्टलसेट की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली लगाने वालों की सूची में भी शामिल है ।

फार्म मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी

662. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्म मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने संबंधी कानून की क्रियान्विति न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उनकी शीघ्र क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस विषय पर नवीनतम स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-363/77**]

(ख) ऐसी न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन प्रधानता राज्य के क्षेत्र में आता है । राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती रही है कि वे अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के

कार्यान्वयन के लिए कारगर कार्रवाई करें । राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी विवरण संलग्न है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

663. श्री **कृष्णचन्द हाल्दर**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो स्थित इस्पात कारखानों और कार्यालयों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो तीन वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं, परन्तु जिन्हें क्वार्टर नहीं मिले हैं ।

(ख) क्या सरकार यह समस्या हल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, और बोकारो इस्पात कारखानों के उन कर्मचारियों की संख्या जो 3 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं, परन्तु जिन्हें अभी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं नीचे दी गई है:—

कारखाना	कर्मचारियों की संख्या
भिलाई इस्पात कारखाना	19,959
दुर्गापुर इस्पात कारखाना . . .	13,486
मिश्र इस्पात कारखाना . .	3,784
बोकारो स्टील लि०	10,486

राउरकेला इस्पात कारखाने के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) सरकार को इस्पात कारखानों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की कमी की समस्या के बारे में मालूम है और इस काम के लिए उपलब्ध समिति साधनों के अनुसार अतिरिक्त मकान बनाये जा रहे हैं । इस समय निर्माणाधीन मकानों की स्थिति नीचे दी गई है:—

कारखाना	निर्माणाधीन मकान
भिलाई इस्पात कारखाना . . .	504
राउरकेला इस्पात कारखाना . . .	608
दुर्गापुर इस्पात कारखाना .	321
मिश्र इस्पात कारखाना .	498
बोकारो स्टील लि० .	5580*

*इसके अलावा 800 लोगों के लिए होस्टल बनाया जा रहा है जिसमें एक-एक कमरे वाले 204 और दो-दो कमरे वाले 596 सेट होंगे।

वर्ष 1977-78 के लिए इन कारखानों की बस्तियों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 12.71 करोड़ रूपए है जबकि वर्ष 1976-77 में इस काम पर लगभग 5.34 करोड रुपए खर्च किए गए थे।

वर्तमान वेतन-समझौते की शर्तों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें मकान नहीं दिए गए हैं संशोधित वेतन से पहले मिलने वाले वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया-भत्ता मिलता है। अधिकतम भत्ता 65 रुपये प्रति मास है।

बोकारो स्टील लि० ने अपने कर्मचारियों के लिए बोकारो इस्पात नगर में जमीन खरीदनें और अपने मकान बनाने के लिए ऋण देने की एक योजना बनाई है।

भिलाई कारखाना, "नान-कंपनी हाऊस स्कीम" नामक एक स्कीम पर विचार कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों तथा इस्पात संयंत्र से संबद्ध लोगों को अपने मकान बनाने के लिए विकसित किये गये प्लाट दिये जायेंगे।

इस्पात कर्मचारियों के लिए आवास संकट

664. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात कर्मचारियों की आवास संबंधी समस्या का पता है; और

(ख) क्या क्वार्टरों का आवंटन दृढ़ता से वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं। फिर भी, सरकार को इस बात को जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर और बोकारो के इस्पात कारखानों तथा दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में पहिले से निर्मित तथा कर्मचारियों को दिये गये मकान पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) क्वार्टरों का आबंटन सेवा-अवधि तथा वेतनमान पर आधारित नियमों के अनुसार किया जाता है। फिर भी इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक द्वारा कुछ करुणामूलक कारणों से जैसे बीमारी तथा कर्मचारी की ड्यूटी आदि को देखते हुए कुछ मकानों का आबंटन 'बिना बारी' के भी किया जाता है।

सोवियत संघ के विदेश मंत्री द्वारा भारत का दौरा

665. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**
श्री के० मालन्ना
श्री चित्त बसु
श्री के० ए० राजन
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री मीठालाल पटेल
श्री प्रसन्नभाई मेहता

: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के विदेश मंत्री हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे;

(ख) क्या उनके साथ कोई बातचीत हुई; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत के विषयों की मुख्य बातें क्या हैं और बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको ने भारत सरकार के निमंत्रण पर 25 से 27 अप्रैल, 1977 तक भारत की यात्रा की। नई दिल्ली में रुकने के दौरान श्री ग्रोमिको ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से बातचीत की। बातचीत बहुत ही हार्दिक एवं सहिष्णुतापूर्ण वातावरण में हुई जिसमें द्विपक्षीय सम्बन्ध और परस्पर हित के सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को लिया गया। दोनों पक्षों ने न केवल अपनी परम्परागत मैत्री एवं सहयोग को बनाये रखने की इच्छा को दुहराया अपितु इसे और भी सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की।

श्री ग्रोमिको की यात्रा की समाप्ति पर एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसकी एक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**364/77]।

मलेरिया उन्मूलन के लिये कार्यवाही

666. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डी० डी० टी० के छिड़काव पर रोक लगी है; और

(ख) यदि हां, तो मलेरिया उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं। वैसे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मलेरिया वाहकों में डी० डी० टी० को हजम करने की शक्ति पैदा हो गयी है। ऐसे क्षेत्रों में अन्य कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) देश में मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार ने नवम्बर, 1976 में एक संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। संशोधित योजना 1-4-1977 से चलाई जा रही है। इस संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) इस योजना के अन्तर्गत उन सभी क्षेत्रों में जहां जहां एक हजार की आबादी के पीछे मलेरिया के रोगी दो से अधिक हों वहां जहां तक सम्भव होगा, उपयुक्त प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए उन अनुरक्षण चरण वाले क्षेत्रों को भी भारत सरकार द्वारा कीटनाशक दवाइयाँ सप्लाई की जाएंगी जिन्हें पहले इस प्रकार की सहायता नहीं मिल रही थी।

(2) अनुरक्षण चरण वाले क्षेत्रों के लिए केवल आंशिक समायोजन करने के बाद सामग्री और उपकरणों का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(3) राज्यों में यूनिटों को जिले के पैटर्न के अनुसार पुनर्गठित किया गया है और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी को पूरी तरह जिम्मेदार बना दिया गया है।

(4) भारत सरकार के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार राज्य मुख्यालय के स्टाफ और जोनल स्टाफ का सम्पूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(5) देश में 72 जोनों को 72 कीट विज्ञानीय दल उपलब्ध किए गए हैं। ये दल अन्य बातों के साथ साथ कीट-विज्ञानी संबंधी स्थिति, वेक्टर की प्रभाव ग्रहण-शीलता का जायजा लेते हैं और खास खास क्षेत्रों में उपयुक्त किस्म की कीट-नाशी दवाइयों के इस्तेमाल करने के बारे में भी सुझाव देते हैं।

(6) मलेरिया निरोधी दवाइयों की सप्लाई पर अधिक जोर डाला गया है। ये दवाइयां केवल मलेरिया कार्यकर्ताओं, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के जरिए ही उपलब्ध नहीं की जाती हैं बल्कि ये पंचायतों, स्कूल अध्यापकों, ज्वर उपचार डिपुओं और मलेरिया क्लिनिकों के जरिए भी प्रदान की जाती हैं।

(7) ब्लड स्मीयर्स को एकत्र करने और उनके परीक्षण में लगने वाले समय में बचत करने के लिए अक्रामक और स्मेकन चरण वाले क्षेत्रों में प्रयोगशाला सेवाएं प्राथमिक केन्द्रों में भी उपलब्ध की जा रही हैं।

(8) असुविधा वाले क्षेत्रों के लिए निगरानी स्टाफ में वृद्धि की जा रही है।

(9) इस कार्यक्रम में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अधिक जोर डाला जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए पंचायतों, स्कूल अध्यापकों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को उत्तरोत्तर शामिल किया जा रहा है।

(10) पोस्टरों का प्रदर्शन कर, फोल्डर और इश्तहार आदि को वितरण कर स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों को तेज किया जा रहा है। सिनेमा स्लाइडें तैयार कर ली गई हैं और उन्हें विभिन्न शहरों में प्रदर्शित किया जा रहा है। प्राथ-मिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदर्शन के लिए धातु-प्लेटें भी तैयार की जा रही हैं। इस प्रयोजन के लिए रेडियो और दूरदर्शन जैसे प्रचार के साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। मलेरिया के बारे में फिल्में भी प्रदर्शित की जा रही हैं।

(11) इस कार्यक्रम के गतिरोध के कारण जो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका समाधान ढूंढ़ने के लिए मलेरिया सम्बन्ध अनुसन्धान की गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। आधारभूत और प्रचालन दोनों पर अनुसन्धान किए जा रहे हैं।

रुपए-रूबल सम्बन्धों के बारे में भारत-रूस वार्ता

667. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत के दौरान (एक) रुपया-रूबल सम्बन्ध और (दो) व्यापार तथा अन्य वाणिज्यिक एवं आर्थिक आदान-प्रदान में रूस द्वारा लिए गए भारी लाभ के विषयों के समाचार पर बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस वार्ता का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य स्वास्थ्य योजना की क्रियान्विति

668. **श्री विजय कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1977 में स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में तैयार किए गए ग्राम्य स्वास्थ्य कार्यक्रम की क्रियान्विति में कोई बाधाएं हैं; और

(ख) उक्त योजना की क्रियान्विति में राज्य सरकार से क्या योगदान प्राप्त होने की सम्भावना है और केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या अंश-दान होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) इस योजना के ब्यौरे पर योजाना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। राज्य सरकारों से अपने-अपने दृष्टिकोण पत्र भेजने के लिए अनुरोध कर दिया गया है। उनमें से कुछ के तो अभी दृष्टिकोण पत्र आते रहते हैं। इस योजना को चलाने से पहले उनके विचारों/प्रस्तावों को ध्यान में रख लिया जाएगा।

कैंसर नियंत्रण के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशें

669. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के समेकित अंग के रूप में कैंसर सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या दिसम्बर, 1976 में आयोजित कैंसर नियंत्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी ने कोई सिफारिश की है ;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बारे में अपना सहयोग दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1976 में हुई कैंसर नियंत्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही कैंसर नियंत्र सम्बन्धी कार्य का विलय कर दिया जाए। वैसे, इस गोष्ठी की सिफारिशों पर सरकार ने अभी निर्णय लेना है।

(ग) और (घ) कैंसर के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अल्पकालीन परामर्शदाता, शिक्षावृत्ति और कैंसर केन्द्र खोलने के लिए सामग्री और उपकरणों के रूप में सहायता मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वित्तीय सहायता और पृष्ठभूमिक सामग्री देकर इस गोष्ठी के आयोजन में भी अपनी सहायता प्रदान की थी।

आधुनिक औषधि और शल्य चिकित्सा के साथ योग आरम्भ करना

670. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक औषधि और शल्य चिकित्सा के साथ योग अभ्यास आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) क्या सरकार ने योग के प्राध्यापकों को भी गैर स्नातक चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की उक्त योजना की रूप रेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयत्र के दूसरे चरण के निर्माण में आत्म निर्भरता

671. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश विदेशों की सहायता बिना बोकारो इस्पात संयन्त्र के दूसरे चरण का निर्माण करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि नहीं, तो हम इस सम्बन्ध में कब तक आत्म निर्भर हो जायेंगे?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां, परन्तु कुछ क्रान्तिक उपस्करों का आयात किया जा सकता है।

(ख) प्रौद्योगिकी का स्वतन्त्र रूप से विकास करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिस में समय लगता है और उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

कृषि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाना

672. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक कानून बनाने के मामले पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या केरल कृषि श्रमिक अधिनियम, 1974 के आधार पर एक केन्द्रीय कानून बनाया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में बन्धक श्रमिक

673. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बन्धुआ श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के बारे में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ग) बन्धुआ श्रमिक उन्मूलन कानून के लागू होने के बाद प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित राज्यों में उनमें से कितने बन्धुआ श्रमिक मुक्त किए गए; और

(घ) मुक्त किए गए श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को बसाया गया और किस प्रकार बसाया गया ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई व्यापक अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। राज्य सरकारों से सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले में ज़िला स्तर पर तथा प्रत्येक उप-प्रभाग में उप-प्रभाग स्तर 4 सतर्कता समितियां गठित करें।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के राज्यों और मिज़ोरम के संघीय क्षेत्र की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके यहां बन्धित श्रमिक मौजूद हैं।

(ग) और (घ) 31-5-1977 की स्थिति के अनुसार मुक्त कराए गए और पुनः बसाए गए बन्धित श्रमिकों की संख्या इस प्रकार थी :—

	मुक्त कराए गए	पुनः बसाए गए
1. आन्ध्र प्रदेश	826	698
2. बिहार . .	2,038	613
3. गुजरात . . .	37	36
4. कर्नाटक . .	62,923	4,668
5. केरल	702	186
6. मध्य प्रदेश	1,500	33
7. उड़ीसा	307	296
8. राजस्थान	5,533	2,381
9. तमिलनाडु	2,882	1,975
10. उत्तर प्रदेश	19,242	12,805
11. मिज़ोरम . .	3	—
जोड़ . .	95,993	23,691

मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों को सरकारी विभागों में नौकरियां, खेती के लिए भूमि, मकानों के लिए जगहें और दूध देने वाले पशुओं, भेड़ों तथा बढ़ईगीरी के औज़ारों की खरीद के लिए ऋण देकर पुनः बसाया गया है। मुक्त कराए बन्धित श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तथा निःशुल्क होस्टल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। कलक्टरों को खेती के प्रयोजनों के लिए ऋण देने का प्राधिकार दिया गया है; इस प्रकार के श्रमिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी ब्याज की रियायती दर ऋण दिए हैं। कलक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं कि मुक्त कराए गए बन्धित श्रमिकों को वे चालू प्लान योजनाओं और भूमि रक्षण, सिंचाई कार्यों, समाज कल्याण कार्यों, आदिवासी तथा हरिजन कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत बसाएं।

डियागो गार्सिया में अमरीका द्वारा हवाई तथा नौसैनिक अड्डों का निर्माण

674. **श्री पी० कोडियन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में सैनिक अड्डों की स्थापना किए जाने पर भारत सहित तटवर्ती राज्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के बावजूद अमरीका द्वारा डिआगो गार्सिया में हवाई तथा नौसैनिक अड्डों का निर्माण तेजी से हो रहा है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कार्य-वाही करने का है कि हिन्द महासागर सैनिक अड्डों से मुक्त हो?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने में भारत का समर्थन सर्वविदित है। इस विषय पर भारत संयुक्त राष्ट्र तथा गुट-निरपेक्ष देशों समेत सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हिन्द महासागर के तटवर्ती और पश्च राज्यों की इच्छा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए जोर देता रहेगा। भारत हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने की संकल्पना को यथार्थरूप देने तथा उस क्षेत्र से विदेशी सैनिक उपस्थिति तथा उसके परिणाम-स्वरूप पैदा होने वाले तनाव को दूर करने में महान शक्तियों और प्रमुख समुद्री उपयोक्ताओं को तटवर्ती तथा पश्च राज्यों का सहयोग करने का अनुरोध बराबर करता रहेगा। भारत हिन्द महासागर क्षेत्र में तनाव-शैथिल्य की दिशा में उठाए गए किसी भी कदम का स्वागत करेगा।

जबरन नसबंदी के कारण राज्यवार मौतें

675. **श्री शिव सम्पत**
श्री नवाब सिंह चौहान
श्री धन्ना सिंह गुलशन
श्री सन्नभाई मेहता
: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में देश के विभिन्न भागों में जबरन नसबन्दी के कारण, राज्यवार तथा आयुवार कितने व्यक्तियों की कथित मृत्यु हुई;

(ख) वर्ष 1976 में देश के विभिन्न भागों में जबरन नसबन्दी के बाद के प्रभावों के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति, राज्यवार, प्रभावित हुए; और

(ग) लोगों को शीघ्र राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क), (ख) और (ग) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

इस्पात और खान मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों का आरक्षण

676. **श्री शिव सम्पत :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय, उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उनके अधीन विभिन्न उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के ऊंचे से लेकर नीचे के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है, और

(ख) समस्त स्तरों पर आरक्षित कोटे की कहां तक पूर्ति की गई है,

(ग) क्या किसी श्रेणी में ऐसे कोई पद हैं जिन पर उक्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, और

(घ) उक्त श्रेणी के लिए आरक्षित पदों पर उक्त श्रेणी के अभ्यार्थियों की नियुक्ति कब तक की जायेगी।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1976 में दिल्ली में किये गये नसबन्दी के आपरेशन

677. **श्री शिव सम्पत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में दिल्ली में नसबन्दी के कुल कितने आपरेशन किए गए;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उक्त संख्या बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बतायी गयी है;

(ग) सरकार को दिल्ली में विभिन्न परिवार नियोजन शिविरों में बेईमान आयोजकों द्वारा शिविरों के लिए व्यक्तियों/व्यापारियों आदि से जबरन धन और माल आदि की वसूली के बारे में कितनी तथा किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं अथवा सरकार का उनकी ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) जबरन धन और माल वसूल करने वाले ऐसे आयोचकों को खरीदे गए माल का भुगतान करने के लिए कहने और उसका अब तक भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) 1,42,722 आपरेशन।

(ख) उस वर्ष के दौरान सूचित कार्य की नमूना-पड़ताल की गई है, किन्तु उस आधार पर यह कह पाना कठिन है कि सूचित कार्य अतिशयोक्ति-पूर्ण है। यथासमय और अधिक विस्तृत पड़ताल की जाएगी।

परीक्षण-पड़तालों के आधार पर दिल्ली प्रशासन ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने नसबन्दी आपरेशनों की जो संख्या बताई है, वह अतिशयोक्ति-पूर्ण नहीं है।

(ग) दिल्ली प्रशासन को दो शिकायतें मिली थीं जिनमें यह आरोप लगाये गए थे कि एक व्यक्ति ने आंसुका (आंतरिक सुरक्षा कानून) और भारत सुरक्षा नियम के तहत कार्यवाही की धमकी देकर तिलक नगर, दिल्ली के दुकानदारों से धन बटोरा है। यह बताया गया था कि यह धन परिवार नियोजन शिविरों के आयोजनार्थ इकट्ठा किया गया है।

(घ) दिल्ली प्रशासन को जो शिकायतें मिली थीं, वे केवल धन एकत्र करने के बारे में थीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 के तहत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

678. **श्री शिव सम्पत : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय मिशनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति भेजे गए और हमारे मिशनों में भेजे गए कुल कर्मचारियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) विदेशों में हमारे मिशनों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) इस समय विदेश में नियुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या 117 है (इनमें 98 अनुसूचित जाति तथा 19 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं)। कुल मिलाकर इनकी संख्या हमारे विदेशी मिशनों में नियुक्त भारत-आस्थायी अधिकारियों की कुल संख्या की 6 प्रतिशत है किन्तु इस संख्या में घट बढ़ होती रहती है।

(ख) विदेश में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं हैं किन्तु मन्त्रालय, अधिकारी के पूर्व अनुभव, किसी विशेष पद के लिए उसकी उयुक्तता और विदेश मन्त्रालय में विभिन्न वर्गों के पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों पर विचार करने की आवश्यकता का ध्यान रखता है।

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक

679. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां।

(ख) बैठक के दौरान निम्नलिखित विषयों पर बातचीत की गई थी :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

(2) परिवार कल्याण कार्यक्रम।

(3) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।

(4) दृष्टि विकार की रोकथाम और अंधता नियंत्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम।

(5) शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्तियों का पुनर्वास।

(6) फार्मासिस्टों का प्रशिक्षण।

मुख्य रूप से सर्वसम्मति से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख सेवा सम्बन्धी योजना, उसके सभी प्रारम्भिक कार्यों को पूरा करने के बाद महात्मा गांधी के जन्म दिवस अर्थात् 2 अक्तूबर, 1977 से आरम्भ की जानी चाहिए।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाए। प्रोत्साहन और शिक्षा सम्बन्धी अभियानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और गांवों में लोगों को इस कार्यक्रम का संदेश पहुंचाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिएं।

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यवाही की संशोधित योजना को तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला मलेरिया अधिकारियों, और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों के प्रशिक्षण तथा देश के पिछड़े, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में मलेरिया के रोगियों के इलाज से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था पर अधिक से अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

(घ) दृष्टि विकार की रोकथाम और अंधता नियंत्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना पर चर्चा की गई और इसे अनुमोदित कर दिया गया था।

(ङ) विकलांगों की विकलांगता की रोकथाम और पुनर्वास की समस्याओं की जांच एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की जानी चाहिए।

(च) देश में फार्मासिस्टों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिएं।

गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की बैठक

680. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की पांच दिवसीय बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विचार-विमर्श किए गए मामलों की मुख्य बातें क्या हैं और उनके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन ने एक अन्तिम विज्ञप्ति पारित की जिसमें एक हिस्सा राजनीतिक एवं एक आर्थिक है और सामान्य निधि के बारे में प्रस्ताव शामिल है। इस विज्ञप्ति की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रशिक्षुओं के लिए नौकरी

681. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पूरा कर लेने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें नियमित रोजगार देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) मार्च, 1976 तक 1,12,251

(ख) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का मूल उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी को उस के व्यवसाय में कौशल से लैस करना तथा उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। तथापि उसको स्थायी रोजगार देने का निर्णय नियोजक पर निर्भर करता है। इसके वावजूद सरकार ऐसे कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिनसे प्रशिक्षित शिक्षुओं की रोजगार दिलाने में सहायता की जा सके।

चार सूत्रीय समेकित स्वास्थ्य दर्शन

682. **श्री के० मालन्ना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए चार सूत्रीय समेकित 'स्वास्थ्य दर्शन' तैयार करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार ने नगरोन्मुख मेडिकल कालेजों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?
बीच कोई सम्पर्क बनाया है; और

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख-रेख की सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धी एक विस्तृत योजना तैयार कर ली गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समुदाय ही चुनेगा। ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्तर पर रोगों की रोकथाम करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने, रोगों का इलाज करने की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत 5.8 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और इतनी संख्या में ही दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, बहूद्देशीय कार्य-कर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, डाक्टरों को मापी संख्या में देहाती क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा और चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए मेडिकल कालेजों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देहाती लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए सभी लोगों का सक्रिय रूप से सहयोग प्राप्त करना है।

(ग) और (घ) देश के सभी 106 मेडिकल कालेजों (आधुनिक चिकित्सा पद्धति) में से प्रत्येक मेडिकल कालेज को तत्काल तीन तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चलाने तथा उनका सम्पूर्ण प्रशासन कार्य सौंप दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके बाद प्रतिवर्ष उन्हें तीन तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तब तक सौंपे जाते रहेंगे जब तक एक जिला का पूर्ण दायित्व उनको नहीं मिल जाता।

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तमिलनाडु यूनिट का ज्ञापन

683. **श्रीमति पार्वती कृष्णन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तमिलनाडु यूनिट के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मद्रास में उनकी हाल की यात्रा के दौरान उन्हें कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो इस मांग-पत्र की मुख्य रूपरेखा क्या है; ग्रौर

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ग्रौर उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) ग्रौर (ग) ग्रनुमानतः भाग (क) में संकेत 25 ग्रप्रैल, 1977 के ज्ञापन की ग्रोर है जो तमिलनाडु एटक ने केन्द्रीय श्रम मन्त्री को दिया था। इस ज्ञापन की मुख्य बातें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(i) सर्जीकल इंस्ट्रूमेंट प्लांट, मद्रास के कार्यों तथा इस प्लांट के महा प्रबन्धक की कुव्यवस्था के बारे में जांच सम्बन्धी मांग;

(ii) ग्रापात् स्थिति के दौरान की गई बर्खास्तगियों, मुग्रत्तलियों, प्रत्यावर्तनों ग्रादि जैसे ग्रभिकथित उत्पीडनों सम्बन्धी ग्रादेशों की वापसी; ग्रौर

(iii) यूनियन के विरुद्ध प्रबन्धकों की विभेदात्मक कार्यवाही को रोकना;

उन्हें तमिलनाडु सरकार तथा केन्द्रीय रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्रालय के ध्यान में ला दिया गया है ग्रौर वे निस्सन्देह मामले की जांच करेंगे ग्रौर ग्रपेक्षित सहायता की व्यवस्था करने के लिए समुचित कार्यवाही करेंगे।

ग्रधिक राशि के टेलीफोन बिल

684. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूरे देश के बहुत से टेलीफोन प्रयोक्ता ग्रसमंजस की स्थिति में हैं ग्रौर उन्होंने डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने (एस० टी० डी०) के लिए विशेष रूप से ग्रधिक राशि के बिल दिए जाने की कटु शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही की है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) कुछ टेलीफोन उपभोक्ता ग्रधिक रकम के बिल ग्राने के बारे में शिकायत करते हैं। चार महानगरों में (त्रैमासिक) जारी किए गए स्थानीय कालों के प्रति 100 बिलों पर प्राप्त शिकायतों की ग्रौसत संख्या 1.6 निकली है।

(ख) ग्रौर (ग) ग्रधिक रकम के बिलों की शिकायतों की तुरन्त छानबीन इस दृष्टि से की जाती है कि कहीं उनमें लिखापढ़ी की गलती, मीटर रीडिंग में एकाएक वृद्धि या कोई संभव तकनीकी खराबी तो नहीं है। जहां कहीं ग्रौचित्य होता है टेलीफोन बिलों में तुरन्त संशोधन कर दिया जाता है।

बोनस के भुगतान पर पुर्नविचार

685. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री रोबिन सेन
श्री अरविंद बाला पजनौर : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में श्रमिक वर्गों के बोनस के भुगतान के पूरे प्रश्न पर तत्काल पुर्नविचार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के बारे में सरकार की विचाराधारा की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बोनस के प्रश्न पर चर्चा करने, निर्णय लेने और उसे लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) बोनस के भुगतान के प्रश्न पर पहले ही पुर्नविचार किया जा रहा है और इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

राष्ट्र मंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

686. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मंडलीय देशों के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन हाल ही में लन्दन में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री द्वारा किया गया था;

(ग) उक्त सम्मेलन में किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्मेलन की कार्यसूची में "ब्रिटेन में जाति सम्बन्धी तथा राष्ट्रमंडल" जैसे विशेष विषय को शामिल करने की सूचना दी थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कार्यसूची में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के राजनीतिक एवं आर्थिक पहलू, इसमें दक्षिण अफ्रीका और साइप्रस की स्थिति शामिल है, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रश्न, राष्ट्रमंडलीय देशों में कार्यात्मक एवं आर्थिक सहयोग और सरकार की तुलनात्मक तकनीक के विषय शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

सिविल तथा जनरल अस्पतालों में उपकरणों तथा शय्याओं की कमी

687. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे बहुत से सिविल तथा जनरल अस्पतालों में उपकरणों तथा शय्याओं की अपर्याप्त व्यवस्था है और वहां मैडिकल तथा नर्सिंग स्टाफ अधिक हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के नई दिल्ली में स्थित दो अस्पतालों—विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में उपकरणों, पलंगों और स्टाफ की स्थिति इस प्रकार है :—

विलिंगडन अस्पताल

इस अस्पताल में उपकरणों की कमी नहीं है। पलंगों की निरन्तर बढ़ रही जरूरत को पूरा करने के लिए हाल ही में इस अस्पताल के लिए 70 और पलंग मंजूर किए गए हैं। विशेषज्ञ ग्रेड I के रूप में विशेषज्ञ-ग्रेड-II के पदों का दर्जा बढ़ा कर विभिन्न विशिष्ट विषयों को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

सफदरजंग अस्पताल

इस अस्पताल में उपकरणों की कोई कमी नहीं है। कई बार भर्ती रोगियों की भीड़ के कारण अस्पताल में पलंगों की कमी पड़ जाती है। पलंगों की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए अस्पताल के अधिकारियों द्वारा छोटे स्ट्रेचर टाइप पलंग खरीदे जा रहे हैं। अस्पताल में मैडिकल एवं नर्सिंग कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

परिवार नियोजन

688. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन की नीति पर नये सिरे से विचार किया है और यह भी महसूस किया है कि परिवार नियोजन का कार्य जारी रहे;

(ख) क्या परिवार नियोजन सम्बन्धी स्वैच्छिक कार्य पहले सफल नहीं रहा था;

(ग) भविष्य में देश में परिवार नियोजन कार्य को सफलतापूर्वक लागू करने में सरकार को किस सीमा तक विश्वास है; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वियन के लिये चालू वर्ष में कुल कितनी राशि रखी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर, विशेषकर वर्तमान सरकार की इस घोषित नीति के अनुरूप कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को जोरदार ढंग से पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाएगा, पुनः विचार किया है। इस प्रयोजन के लिए परिवार कल्याण

कार्यक्रम की संशोधित नीति पर राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और संशोधित नीति वक्तव्य की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 365/77)।

पिछले दिनों परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने के ढंग को लेकर जनता में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो गया था। वर्तमान सरकार की यह निश्चित धारणा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर चलाना होगा। इस कल्याणकारी कार्यक्रम में किसी भी तरह के दबाव और जोर जबर्दस्ती को पूर्णतया समाप्त करना होगा।

यदि परिवार कल्याण नीति वक्तव्य को सही भावना से और उपयुक्त रीति से क्रियान्वित किया जाए तो इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है कि जन्म दर घट कर पांचवी योजना के अंत तक 30 प्रति हजार और छठी योजना के अंत तक 25 प्रति हजार होने का लक्ष्य पूरा न हो।

(घ) वर्ष 1977-78 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 9867.67 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें निर्माण और आवास मन्त्रालय के बजट में उपलब्ध कराई गई 50 लाख रुपये की वह राशि भी शामिल है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान का भवन बनाने के लिए रखी गई थी।

श्रमिक समस्याएं हल करने के लिए सम्मेलन

689. श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री प्रसन्नभाई मेहता
श्री चितबसु
: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमिक अशान्ति को खत्म करने के लिए पूरे देश के लिए श्रमिक नीति पर नए सिरे से गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ख) क्या श्रमिकों ने काम की कमी, लाभ तथा मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर व्यापक चिन्ता प्रकट की है;

(ग) क्या उन्होंने श्रमिकों की मांगों पर विचार करने के लिए देश के सभी श्रमिकों संघों का एक सम्मेलन बुलाया था; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिए गए, क्या निष्कर्ष निकाले गए और उन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) श्रम नीति के कुछ पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार ने एक त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन 6 और 7 मई, 1977 को आयोजित किया था। सम्मेलन को यथा-सम्भव रूप से अधिक व्यापक बनाने के लिए, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, निजी व सरकारी क्षेत्रों के नियोजकों, मान्यता-प्राप्त केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं अखिल भारतीय स्वरूप होने का दावा करने वाली यूनियनों को प्रतिनिधित्व दिया गया था।

सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष विवरण में दिए गए हैं, जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है।

इन निष्कर्षों के अनुसरण में, औद्योगिक श्रमिकों सम्बन्धी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है। औद्योगिक सम्बन्धों पर व्यापक कानून तथा भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने तथा प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता व समानता सम्बन्धी समिति की स्थापना करने का निर्णय भी किया गया है। जिन संगठनों ने सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने " ग्रेच्युटी निधि" तथा "असंगठित क्षेत्र के श्रमिक" के बारे में अभी तक अपने सुझाव नहीं भेजे हैं।

विवरण

त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन

(नई दिल्ली मई 6-7, 1977)

मुख्य निष्कर्ष

मद 1. औद्योगिक संबंधों पर व्यापक कानून के कुछ मामले

मद 4 : भारतीय श्रम सम्मेलन का गठन

यह तय किया गया कि व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध कानून की सभी समस्याओं पर विचार करने और उनका गहराई से अध्ययन करने तथा भावी भारतीय श्रम सम्मेलन का गठन करने के लिए एक त्रिपक्षीय कार्यकारी दल स्थापित किया जाना चाहिए। यह दल अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1977 के अन्त तक देगा।

दल के गठन और इसके विचारार्थ विषयों का निर्धारण श्रम मन्त्री द्वारा किया जाएगा।

मद 2 : श्रमिक सहभागिता

इस सम्मेलन में आम राय यह थी कि इस मामले पर गहराई से अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए कम्पैक्ट समिति गठित की जानी चाहिए, ताकि सरकार इस विषय पर अपनी नीति बना सके। प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना को व्यावहारिक बनाने में उद्योग म ट्रस्टीशिप के विचार के तात्पर्य का अध्ययन करने की आवश्यकता का भी विशेष उल्लेख किया गया। यह भी सुझाव दिया गया कि इस समिति के साथ शैक्षिक संस्थाओं को सहयोजित किया जाना चाहिए।

मद 3 : उपदान निधि की स्थापना

उपदान भुगतान अधिनियम के अधीन श्रमिकों को देय उपदान के लिए किसी प्रकार के बीमे की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आम सहमति थी। तथापि यह ठीक किस प्रकार का होना चाहिए, इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति नहीं थी। यह निर्णय लिया गया कि सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन इस विषय और उपदान अधिनियम के अन्य पहलुओं पर अपने विशेष सुझाव भेजेंगे, जिनपर उपदान अधिनियम में व्यापक संशोधन तैयार करते समय और यदि आवश्यक हुआ तो श्रमिकों और नियोजकों के साथ और आगे परामर्श करने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

मद 5 : असंगठित क्षेत्र में श्रमिक (ठेका श्रमिक, निर्माण-कार्य श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक और बंधित श्रमिक)।

असंगठित श्रमिक, विशेषकर ग्रामीण श्रमिक (कृषि श्रमिक, फसल में अपने हिस्से के अनुसार लगान देने वाले और छोटे भूस्वामी कारीगर, आदि) के सम्बन्ध में सर्वसम्मति यह थी कि समय की कमी और पर्याप्त सामग्री के न उपलब्ध होने के कारण इस पर विस्तृत विचार विमर्श करना और इस विशाल क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न जटिल विषयों के सम्बन्ध में न्याय करना संभव नहीं होगा। हालांकि सम्मेलन में ठेका श्रमिकों और निर्माण कार्य श्रमिकों से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं पर यथाशीघ्र विचार करने के लिए एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। यह मंजूर हुआ कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले संगठन विशेष सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों तथा सम्मेलन में विचारणीय विषयों के स्वरूप के बारे में अपने सुझाव श्रम मन्त्रालय को 20 दिन के अन्दर भेजेंगे।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आम विचार विमर्श के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संकलन में हुई त्रुटियों के बारे में उठाए गए मामलों के सन्दर्भ में श्रम मन्त्री एक समिति बनाने के लिए सहमत हो गए, जिसमें ट्रेड यूनियन, नियोजकों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ होंगे और जो मूल्य संग्रह की वर्तमान प्रक्रिया तथा आरम्भिक आंकड़ों के संकलन में ट्रेड यूनियनों को सहयोग बनाने की वांछनीयता पर विचार करेगी। यह समिति अपनी रिपोर्ट को महीने के अन्दर अन्दर दे देगी।

दिआगो गार्सिया में सैनिक अड्डे

690. क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने हिन्द महासागर में दिआगो गार्सिया स्थित सैनिक अड्डों की ओर अमरीका सरकार का ध्यान दिलाया है और उनसे इन अड्डों को हटाने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे भारतीय सुरक्षा को भारी खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) दिआगो गार्सिया के सम्बन्ध में भारत का जो रुख बराबर बना रहा है, उससे अमरीकी सरकार पूर्णतः अवगत है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार दिआगो गार्सिया को भारत तथा अमरीका के बीच एक द्विपक्षीय समस्या नहीं समझती है।

(ख) अमरीका सरकार ने दिआगो गार्सिया के संबंध में भारत के रवैये पर ध्यान दिया है जो कि हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती और पश्च राज्यों के रवैये के अनुरूप है।

भारत की विदेश नीति

691. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी विदेशी नीति में परिवर्तन करने का है अथवा वही विदेश नीति जारी रखने का है;

(ख) यदि इस नीति में कोई परिवर्तन लाने का विचार है तो वह क्या है;

(ग) क्या अमरीका और ब्रिटेन ने भारत के प्रति अपनी पूर्ण नीति में कुछ परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) और (ख) किसी भी देश की विदेश नीति गतिहीन नहीं हो सकती और भारत सरकार ने यह तो कहा ही है कि उसकी विदेश नीति बुनियादी तौर पर ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी लेकिन इसमें और अपने राष्ट्रीय हितों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने स्वतंत्र निर्णय पर आधारित पूर्ण स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी परिवर्तनों को कारगर रूप देने की आवश्यकता के बीच उचित सामंजस्य स्थापित तो करना ही होगा।

(ग) भारत में सरकार के निर्विघ्न परिवर्तन की संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम में सराहना हुई है। राष्ट्रपति कार्टर ने हमारे प्रजातांत्रिक पद्धति की क्षमता की खुले आम प्रशंसा की है।

(घ) हम न केवल संयुक्त राज्य अमरीका और युनाइटेड किंगडम के साथ बल्कि विश्व के सभी देशों के साथ समानता और पारस्परिकता के आधर पर मैत्री पूर्ण और निकट संबंधों का वातावरण बनाए रहने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं।

विदेशों में भारतीय दूतावासों में भाषा सैल बनाना

692. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूतावासों, उच्च आयोगों और अन्य राजनयिक स्रोतों सहित हमारे राजनयिक एककों में भाषा सैल बनाने के लिये कोई प्रयास किये जा रहे हैं जिससे विदेशों में हमारे दूतावास संबंधित देशों की सरकारों के साथ जहां वे मान्यता प्राप्त हैं संबंधित देश की भाषा अथवा हमारे देश की भाषा में कार्य कर सकें;

(ख) उन देशों की भाषा अथवा हिन्दी भाषा में कामकाज करने में वे कब तक समर्थ हो जायेंगे;

(ग) कौन से एकक इस नीति को अपनाने के लिये राजी नहीं हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) सभी देश अपना कामकाज या तो अपनी भाषा में करते हैं या किसी यूरोपीय भाषा में। विदेश सेवा अधिकारियों को सेवा में आने के बाद एक विदेशी भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी होती है और बाद में उन्हें वैकल्पिक भाषाएं भी सीखनी होती हैं। स्थायी होने से पूर्व उन्हें हिन्दी की एक परीक्षा पास करनी होती है। विदेश स्थित मिशनों में तैनाती के समय उनकी भाषा संबंधी योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। संबद्ध देश की भाषा में रोजमर्रा के काम को निपटाने के लिए हमारे मिशन उन देशों में नौकरी में लिये गए स्थानीय कर्मचारियों या भारत-आस्थानिक दुभाषिए/अनुवादकों का इस्तेमाल करते हैं। इस मंत्रालय ने दुभाषियों का उच्च स्तरीय संवर्ग बनाने के लिए मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अर्हता, भर्ती, नियम, आदि को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यह वांछनीय समझा गया है कि इन दुभाषियों को हिन्दी का भी कामकाजी ज्ञान हो।

(ख) सरकार विदेश स्थित मिशनों में या तो उस देश की भाषा में जहां के लिए मिशन प्रत्यायित हैं या अंग्रेजी में संतोषजनक ढंग से कामकाज चला पा रही है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि सभी मिशनों के कर्मचारियों में कुछ हिन्दी जानने वाले कर्मचारी हों।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य स्वास्थ्य योजना को लागू किया जाना

693. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा कुछ समय पहले प्रारम्भ की गई ग्राम्म स्वास्थ्य योजना लागू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) योजना कितने चरणों में और किस भाग में लागू की जायेगी; और

(ग) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) 28-29 अप्रैल, 1977 को नई दिल्ली में हुए स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के प्रारूप पर विचार-विमर्श किया गया था। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों के अनुसार राज्य सरकारों से अपने दृष्टिकोण पत्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। कुछेक राज्यों से ये पत्र अभी तक नहीं मिले हैं।

(ख) जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया है, इस योजना को जहां तक सम्भव होगा, 2 अक्तूबर, 1977 को आरम्भ किया जाएगा। यदि इस कार्यक्रम को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक साथ आरम्भ करने में कोई कठिनाई होगी तो उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति तथा अत्यधिक पिछड़े वर्गों के लोग बसे हुए हैं।

(ग) ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में समुदाय द्वारा स्वयं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन करने की व्यवस्था है। ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय के स्तर पर रोगों की रोकथाम करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने और रोगों का इलाज करने की बुनियादी सेवाएं प्रदान करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाओं का स्तर सुधारने की व्यवस्था है जिसे बहूद्देश्यीय कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को अधिक संख्या में तैनात कर तथा चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य संबंधी सारे काम के लिए मेडिकल कालेजों को जिम्मेदार बनाकर किया जाना है। इसमें दो वर्ष की अवधि में लगभग 5.8 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव में, प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद देखरेख करने के लिए इतनी ही संख्या में केदगहवा देकर प्रशिक्षत करने विचार है

वैसे इस योजना के ब्यौरे पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

टेलीफोन तथा डाक व तार के अन्य विभागों की प्रतिभूतियों की दरों में वृद्धि

694. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में टेलीफोन तथा डाक व तार के अन्य विभागों की प्रतिभूतियों की देरों में सरकार द्वारा की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन वृद्धियों के कारण सरकार को हुए लाभ की अनुमानित राशि क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई सुविधायें क्या हैं; और

(घ) डाक तथा तार विभाग के टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) (क) और (ख) : प्रत्येक टेलीफोन पर टेलीफोन प्रभार की जमानत के तौर पर एक वर्ष के किराये के बराबर रकम ली जाती है। 1-3-76 से सभी टेलीफोन कनेक्शनों का वार्षिक किराया प्रति कनेक्शन 100/- रु० बढ़ गया है। उपभोक्ता द्वारा बकाया रकम का भुगतान न करने की स्थिति के अलावा विभाग इस रकम का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करता। यह रकम जमा रखी जाती है। जब कभी शुल्क दर में परिवर्तन किया जाता है तब यह रकम बढ़ जाती है जिससे टेलीफोन का किराया भी बढ़ जाता है।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है विभाग जमानत की जो रकम प्राप्त करता है उसे वह सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

(घ) टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए विभिन्न एक्सचेंजों का कार्यकरण नियमित रूप से मानीटर किया जा रहा है और दोषपूर्ण उपस्कर/संयंत्र ठीक किए जा रहे हैं। बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में एक्सचेंज संयंत्रों का पूरी तरह ओवर हाल करने, भारी खुले तार वाले मार्गों को बदल कर भूमिगत केबुल बिछाने जंक्शन और प्राथमिक केबुलों को गैस प्रेसराइज करने, भूमिगत केबुल के क्षतिग्रस्त होने की घटनायें कम करने और बिजली बन्द होने की घटनाओं में कमी लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरा समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष अभियान चालू किए गए हैं। उपस्करों के डिजाइन और निर्माण में सुधार करने के लिए भी नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।

जबर्दस्ती नसबंदी के मामलों की शिकायतें

695. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री प्रद्युम्न बाल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत दो महीनों में जबर्दस्ती की गई नसबंदियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

7—437LSS/77

(ग) इसके लिए उतरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) जबर्दस्ती नसबंदी के लिए कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है तथा उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) (क) (ख) और (ग) : इस अवधि के दौरान 50,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में से कुछ शिकायतें प्रेरकों तथा परिवार नियोजन कर्मचारियों द्वारा जबर्दस्ती नसबन्दी आपरेशन करने तथा लोगों को परेशान करने के संबंध में हैं। राज्य सरकारों के परामर्श से इन शिकायतों की जाँच की जा रही है।

इन शिकायतों में से अभी तक लगभग 4100 शिकायतों की छानबीन हो पाई है और लगभग 50 प्रतिशत शिकायतें ऐसी हैं जो जबर्दस्ती नसबन्दी और मुआवजे की अदायगी के बारे में हैं। केन्द्रीय सरकार ने परिवार कल्याण विभाग में एक शिकायत-कक्ष खोला है और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भी अपने यहां इसी प्रकार के शिकायत-कक्ष खोलने और परिवार नियोजन अभियान के बारे में मिली शिकायतों की जांच करने की सलाह दी है। जिन शिकायतों में स्टाफ अथवा एजेन्सियों द्वारा ज्यादतियों का आरोप लगाया गया है, उन सब को सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के पास तत्परता से जांच करने के लिए भेजा जा रहा है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सुझाव दिया गया है कि वे पता लगायें कि इन ज्यादतियों के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार है तथा वे लोगों को परेशान करने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करें।

(घ) जिन व्यक्तियों ने शिकायत की है कि उनका जबर्दस्ती नसबन्दी आपरेशन कर दिया गया था, उन्हें नकद मुआवज़ा देने की कोई योजना नहीं है और इसलिए, ऐसे मामलों में धन खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जबरन छुट्टी के मामलों में वृद्धि

696. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबरन छुट्टी के मामलों में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या ऐसी जबरन छुट्टी की घटनाओं को रोकने के लिए कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधि तथ्य क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) गत दो मास में कोई नए अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

भारतीयों की नियुक्तियां

697. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या किसी भी एजेन्सी द्वारा विदेशों में रोजगार हेतु भारतीयों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा हूआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) : जून, 1976 में सरकार द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसार कोई भी फर्म, संगठन या व्यक्ति विदेश में नियुक्ति के लिए भारत से कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती नहीं करेंगे जब तक इस उद्देश्य के लिए वह श्रम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत और विधिवत लाइसेंस प्राप्त न हो, जो इस उद्देश्य हेतु केन्द्रीय शाखा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। विदेशी फर्मों और संगठनों को भी कुशल, अर्ध कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की सीधी भर्ती करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि वे इस केन्द्रीय शाखा के साथ पंजीकृत किसी भारतीय कम्पनी/संगठन को, केन्द्रीय शाखा को मान्य शर्तों के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए अपनी ओर से कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं। विदेशों में परामर्शदाता/निष्पादन कार्य में व्यस्त भारतीय फर्मों/संगठनों को उन की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों में सेवा के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाने वाली रोजगार की शर्तों पर कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कामगारों की सीधी भर्ती करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

प्रवास अधिनियम, 1922 में आवश्यक संशोधन भी विचाराधीन है।

स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यताएं रखने वाले उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों के संबंध में अन्य मैत्रीपूर्ण विकसित देशों द्वारा भर्ती के संबंध में भारत सरकार की नीति यह है कि सभी जरूरतें सरकार से सरकार के आधार पर पूर्ण की जानी चाहिएं। ऐसे विशेषज्ञ, जो भारत सरकार के माध्यम से ऐसे देशों में प्रतिनियुक्ति के इच्छुक हैं, चाहे वे भारत में सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी में हैं, विदेशी नियुक्ति अनुभाग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को आवेदन कर सकते हैं। तथापि विदेशों में परामर्शदाता/निष्पादन कार्य में नियुक्त भारतीय फर्मों/संगठनों को अपने स्वयं के कार्य की आवश्यक जरूरतों के लिए विदेश में अपने स्वयं की नौकरी में विशेषज्ञों को भेजने की अनुमति है।

भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

698. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में स्वास्थ्य सेवा सुनियोजित पद्धति के रूप में नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई कदम उठा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) (क) और (ख) : भारत में स्वास्थ्य सेवा काफी सुनियोजित ढंग से चलाई जा रही है। तथापि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में और सुधार लाने के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार की गई है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लोगों द्वारा ही चयन करने की व्यवस्था है। ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्तर पर रोगों की रोक-थाम करने, स्वास्थ्य में सुधार लाने, रोगों का इलाज करने की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाओं का स्तर सुधारने की भी व्यवस्था है जिसे

बहूद्देश्यीय कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर, देहाती इलाकों में बड़ी संख्या में डाक्टर तैनात कर और चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य संबंधी सारे काम के लिए मेडिकल कालेजों को जिम्मेदार बना कर किया जाना है। इसमें दो वर्ष की अवधि में लगभग 5 लाख 80 हजार सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और इतनी ही दवाइयों को प्रशिक्षित करने का विचार है ताकि वे देहाती इलाकों मे प्रसव में, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद की सेवाएं प्रदान कर सकें। इस योजना पर होने वाले खर्च समेत उसके ब्यौरे पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग विचार कर रहे हैं।

PENDING TELEPHONE BILLS IN DELHI

†699. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a large number of telephones connections in Delhi have not been disconnected despite the fact that bills of huge amount are pending against them and Government have not taken any action against the defaulters;

(b) whether telephones No. 70695 and 631295 are two of such cases against whom no action has been taken because of the connivance of telephone authorities; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) :

(a) Out of about 1,30,000 telephones in Delhi only in 211 cases bills of Rs. 5000/- and more are outstanding where telephones have not been disconnected.

Of these, 132 cases are of telephones which are exempted from disconnection. In 5 cases the dues are being cleared in instalments. In the remaining 74 cases the bills are under dispute. These are under examination.

(b) and (c). Telephone No. 70695 was disconnected on 3 occasions and finally on 8-4-1975. Telephone No. 631295 was disconnected on 14 occasions and finally on 3-6-1977.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानीय लोगों की भर्ती

700. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि एच० ए० एल०, एच० एस० एल०, भारतीय उर्वरक निगम और भारतीय खाद्य निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम श्रम कानूनों का पालन कर रहे हैं जिनमें यह व्यवस्था है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 500 रुपये मासिक वेतन से कम वाले पदों पर स्थानीय लोगों को भरती करना चाहिए ;

(ख) उड़ीसा में इन उपक्रमों में ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) क्या इन उपक्रमों में संबंधित अधिकारियों द्वारा छटनी का तथा दुर्भाव से श्रमिकों का दंडित करने का कोई मामला हुआ है और उनकी संख्या क्या है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) ऐसा कोई केन्द्रीय कानून नहीं है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षा की गई हो कि वे 500 रुपया प्रतिमाह से कम वेतन वाले पदों के लिए स्थानीय व्यक्तियों को भर्ती करें। सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सभी सरकारी उद्यमों को इस आशय के सामान्य अनुदेश जारी किए हैं कि वे 500 रुपये प्रतिमाह से कम मूल वेतन वाले पदों के संबंध में स्टाफ संबंधी

अपनी आवश्यकताएं यथा सम्भव स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती द्वारा ही पूरी करें।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

बम्बई में श्रमिक-असन्तोष

701. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा थाने-बेलापुर औद्योगिक पट्टी में उग्ररूप में श्रमिक असन्तोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींद्र वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इसे महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में ला दिया गया है, जो इससे संबंधित है।

STERILISATION WITHOUT OPERATION

702. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether any method of sterilisation other than that of operation is under the consideration of Government; and

(b) if so, the efforts being made in this respect and the results thereof ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) Yes, Sir. It is possible to bring about closure of the fallopian tube in a woman by introducing sclerosing substances through the uterus without surgical procedure.

(b) The safety and efficacy of this method is being evaluated and after satisfactory results only a decision will be taken.

ECONOMY IN EXPENDITURE OF INDIAN EMBASSIES ABROAD

†703. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether Government propose to effect economy in expenditure of Indian embassies abroad;

(b) if so, the main features of the scheme and when will it be implemented; and

(c) the total expenditure being incurred every year and the reduction proposed to be effected ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) (a) Yes, Sir.

(b) Broadly, the main features of the economy measures being enforced on a continuing basis are as follows :—

(1) Non-filling up of posts remaining vacant for more than six months as far as possible.

(2) Keeping posts in abeyance on the basis of an appreciation of the assessment of work patterns made by the Foreign Service Inspectors from time to time.

(3) 5% cut in the foreign allowance of India-based personnel serving abroad.

(4) Strict control over contingencies.

(c) The annual expenditure being incurred is Rs. 23,13.54 lakhs (Based on Final Estimates 1976-77).

Due to enforcement of economy measures including efforts to contain growth in staff to the extent possible, expenditure is also being contained despite inflationary spiral and fluctuating exchange rates. It is anticipated that a saving of about Rs. 40 lakhs will be effected during 1977-78 as a result of economy measures.

परिवार नियोजन विभाग की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच

704. **श्री चित्त बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन विभाग के विभिन्न एजेन्सियों द्वारा आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किस प्रकार की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) : आपातकाल में हुई अन्य ज्यादतियों की भांति परिवार नियोजन में हुई ज्यादतियां भी शाह आयोग द्वारा की जाने वाली जांच के कार्य-क्षेत्र में आयेंगी।

परिवार नियोजन में हुई ज्यादतियों के तथ्यों को एकत्न करने के लिए समितियों को गठित करने के प्रश्न पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

पूर्व टिमोर पर इंडोनेशिया के आक्रमण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का विरोध

705. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश पर उन की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पूर्व टिमोर पर इंडोनेशिया के आक्रमण की भर्त्सना करने वाले प्रस्ताव का विरोध किया था ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र के इस आक्रमण की भर्त्सना करने वाले प्रस्ताव का किन देशों ने समर्थन किया था तथा किन देशों ने इसका विरोध किया था ; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार पूर्व टिमोर के प्रति की गई गलती का निराकरण करने हेतु कोई उपचारात्मक कार्यवाही करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) (1 दिसम्बर, 1976 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें अधिवेशन में) "टिमोर के प्रश्न" पर जो प्रस्ताव संख्या 31/53 पास हुआ था, भारत ने उसके विरोध में मत दिया था। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्ताव 3485 (XXX) को पुनः दोहराया गया जो 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 30वें अधिवेशन में पारित किया गया था और जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पुर्तगाली टिमोर में इण्डोनेशिया

की सशस्त्र सेना के सैनिक हस्तक्षेप की कठोर निंदा की थी। भारत ने प्रस्ताव 3485 (XXX) के भी विरोध में मत दिया था।

(ख) उन देशों के नाम, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संख्या 31/53 के पक्ष और विपक्ष में मत दिया, अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। सरकार इण्डोनेशिया के साथ पूर्वी टिमोर के एकीकरण को स्वीकार करती है।

अनुबन्ध-1

उन देशा के नामों की सूची जिन्होंने 1976 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें अधिवेशन में 'टिमोर के प्रश्न' के बारे में पारित किए प्रस्ताव सं० 31/53 के पक्ष और विपक्ष में मत दिया।

निम्नलिखित देशों ने पक्ष में मत दिया

(1) अल्बानिया
(2) अल्जीरिया
(3) बारबेडोस
(4) बेनिन
(5) बोत्स्वाना
(6) ब्राजील
(7) बल्गारिया
(8) बुरूडी
(9) बाईलो रुसियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य
(10) केप वर्डी
(11) मध्य अफ्रीकी गणराज्य
(12) छाड
(13) चीन
(14) कोलम्बिया
(15) कांगो
(16) क्युबा
(17) साइप्रेस
(18) चेकोस्लोवाकिया
(19) प्रजातांत्रिक कम्यूचेआ
(20) प्रजातांत्रिक यमन
(21) इक्वाडोर
(22) इक्वाटीरियल गिनी
(23) इथोपिया
(24) गेबोन

(25) गेम्बिया
(26) जर्मन जनवादी गणराज्य
(27) घना
(28) यूनान
(29) ग्रेनाडा·
(30) गिनी
(31) गिनी-बिसाइ
(32) गुयाना
(33) हंगरी
(34) आइसलैंड
(35) आइवरी कोस्ट
(36) जमैका
(37) कीनिया
(38) लाओ लोक प्रजातांत्रिक गणराज्य
(39) लेसोथी
(40) लाइबेरिया
(41) मडागास्कर
(42) मलावी
(43) माली
(44) मारिशस
(45) मैक्सिको
(46) मंगोलिया
(47) मोजाम्बिक
(48) नार्वे
(49) पनामा
(50) पोलैंड
(51) पुर्तगाल
(52) रुमानिया
(53) रुआंडा
(54) साओ तोमे एवं प्रिन्साइम
(55) सेनेगल
(56) सिएरा लिओन
(57) सोमालिया
(58) स्वाजीलैंड
(59) स्वीडन
(60) टोगो
(61) त्रिनिडाड और टोबागो
(62) उगांडा
(63) यूक्रेनियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य

(64) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ
(65) कैमरुन संयुक्त गणराज्य
(66) तन्ज़ानिया संयुक्त गणराज्य
(67) अपर वोल्टा
(68) जाम्बिया ।

निम्नलिखित देशों ने विपक्ष में मत दिया

(1) बंगलादेश
(2) चिली
(3) भारत
(4) इन्डोनेशिया
(5) ईरान
(6) जापान
(7) जोर्डन
(8) मलयेशिया
(9) मोरितानिया
(10) मोरक्को
(11) निकारागुआ
(12) ओमान
(13) फिलिपीन्स
(14) सऊदी अरब
(15) सूरीनाम
(16) थाईलैंड
(17) ट्यूनिसिया
(18) टर्की
(19) संयुक्त राज्य अमरीका
(20) उरुग्वे ।

श्री संजय गांधी द्वारा इस्पात का निर्यात

706. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री संजय गांधी अथवा एक कंपनी ने, जिनसे वे संबंधित हैं, विभिन्न देशों को भारी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया है, और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसकी मात्रा तथा मूल्य क्या है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख): लोहे और इस्पात के निर्यात के लिए माध्यम अभिकरण, नामत: सेल इन्टरनेशनल लि० ने श्री संजय गांधी की की मार्फत कोई इस्पात निर्यात नहीं किया है। जब तक उस फर्म के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध

न हो जिससे श्री संजय गांधी का सम्बन्ध है तब तक यह बताना संभव नहीं है कि आया कि ऐसी किसी फर्म की मार्फत इस्पात का कोई निर्यात किया गया है।

कोका कोला, फेंटा पेय पदार्थों के उत्पादकों के विरुद्ध मुकदमें चलाया जाना

708. **श्री ज्योतिर्मय बसु : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला, ग्रेप-फेन्टा तथा अन्य पेय पदार्थों के उत्पादकों के विरुद्ध अब तक कितने मुकदमें चलाये गये हैं ;

(ख) ऐसे मुकदमों के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषाहार प्रयोगशाला को आरम्भ में ही यह पता लगा और उसने यह रिपोर्ट दी कि कोका कोला बढ़ती हुई उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में उचित कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कोका कोला, ग्रेप-फैन्टा तथा अन्य पेय पदार्थों के बारे में देश में अब तक चलाये गये अभियोगों की संख्या और उनके नतीजे इस प्रकार हैं :--

चलाये गये अभियोगों की संख्या .	386
जिन मामलों में सजा दी गयी . .	106
जिन्हें दोषमुक्त ठहराया गया/बरखास्त किया गया . .	64
जो मामले न्यायालय में विचाराधीन पड़े हुए हैं . . .	210
विक्रेताओं के न मिलने के कारण न्यायालय द्वारा बदपतर किये गये मामले .	2
अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा बदपतर किये गये मामले .	4

(ग) जी नहीं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ने बच्चे और कोका कोला पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

देश में नगर टेलीफोन सलाहकार समितियों को निलम्बित किया जाना

709. **श्री आर० के० महालगी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल में कितनी नगर टेलीफोन सलाहकार समितियों को राज्यवार निलम्बित दिया गया है ;

(ख) इन समितियों को कब तक पुनर्गठित किया जाएगा; और

(ग) समिति का सदस्य नियुक्त किये जाने के लिए क्या मापदण्ड हैं?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिज) : (क) 97 टेलीफोन सलाहकार समितियां बनाई गई थीं। उनकी राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :—

राज्य	टेलीफोन सलाहकार समितियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	4
असम	2
बिहार	5
गुजरात	7
जम्मू व कश्मीर	2
केरल	9
कर्नाटक	5
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	10
उड़ीसा	3
राजस्थान	5
तमिलनाडु	9
उत्तर प्रदेश	13
पश्चिमी बंगाल	4
त्रिपुरा	1
पंजाब	4
मेघालय	1
हरयाणा	3
हिमाचल प्रदेश	1
दिल्ली	1
चंडीगढ़	1
गोआ	1
पांडिचेरी	1
कुल	97

इन टेलीफोन सलाहकार समितियों में से 64 समितियों की 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई थी। अन्य 33 समितियां भी निलम्बित कर दी गई हैं।

(ख) टेलीफोन सलाहकार समितियां अब 10,000 या इससे ज्यादा टेलीफोनों (टेलीफोन जिलों) वाली बड़ी टेलीफोन प्रणालियों और उन राज्यों की राजधानियों में गठित की जाएंगी जहां 1,500 लाइनों से ज्यादा क्षमता वाले एक्सचेंज हों। आशा है कि ये टेलीफोन सलाहकार समितियां आगामी तीन से छह महीनों की अवधि में गठित कर दी जाएंगी।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति का सदस्य उसी स्थान का होना चाहिए और उसका निवास स्थान आमतौर पर उसी जगह पर होना चाहिए जहां समिति अपना कार्य करती है। टेलीफोन सलाहकार समितियों में राज्य प्रशासन, राज्य विधान सभा और निगम नागरिक निकाय (सिविल बाड़ी) के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है। लोकसभा सदस्यों के नामांकन के लिए संसदीय कार्य विभाग से नाम मांगे जाते हैं। अन्य हितों के संबंध में दूरसंचार सर्किल/

टेलीफोन जिलों के अध्यक्ष विभिन्न संस्थाओं/संगठनों से जो विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं सिफारिश मांगते हैं। सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार इन नामों और सीधे प्राप्त अन्य नामों पर विचार करती है।

इस्पात उद्योग में प्राइवेट उद्योगपति

710. श्री के० ए० राजन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की इस्पात उद्योग में उद्योगपतियों को प्रवेश करने की अनुमति देने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : औद्योगिक नीति के बारे में 1956 के संकल्प में लोहे और इस्पात तथा इससे सम्बन्धित आदान उद्योगों के विकास के बारे में मूल नीति बताई गई है। इसके अनुसार बड़े सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने केवल सरकारी क्षेत्र में लगाये जाएंगे।

फिर भी, इस्पात क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को इस्पात पिण्ड, स्पंज लोहा, कच्चा लोहा, लौह मिश्र धातु तथा बेलित उत्पाद तैयार करने के लिए लघु तथा मध्यम दर्जे के कारखाने लगाने के लिए समय-समय पर अनुमति दी जाती रही है।

'नेशनल एपेक्स बाडी' का पुनर्गठन

711. श्री के० ए० राजन : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'नेशनल एपेक्स बाडी' से सभी भावी कार्य को बन्द करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सभी मान्यता-प्राप्त यूनियनों को प्रतिनिधित्व देकर इस संस्था का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख), (ग) और (घ). चूंकि राष्ट्रीय शीर्ष निकाय और इससे सम्बद्ध संगठनों का गठन क्षेत्र विशेष कर ट्रेड यूनियन संगठनों के मामले में सीमित था, इसलिए उनके वर्तमान गठन के साथ उन्हें जारी रखना उचित नहीं समझा गया।

शीर्ष निकायों को समाप्त करने के पश्चात् त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया और श्रम सम्मेलन में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया था।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

712. श्री बी० एम० सुधीरन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) उन आवेदनपत्रों को निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केरल सरकार से सुझाव प्राप्त हुए हैं?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय कोचीन में 31 मई, 1977 तक निलम्बित आवेदनों की संख्या 81,000 थी।

(ख) सरकार वर्तमान पारपत्र कार्यपद्धति को सुप्रवाही बनाने और पारपत्र कार्यालयों में विलम्ब को यथा शीघ्र कम करने के लिए कार्य-पद्धति में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है।

(ग) केरल सरकार ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है जब कि वे स्वयं पारपत्र आवेदनों के संबंध में जांच पड़ताल को पूरा करने में विलम्ब न करने की प्रयत्न करेंगे।

DELIVERY OF MAILS IN VILLAGES

†713. SHRI KARPOORI THAKUR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of villages in each State and Union Territory where the mail was delivered daily as on 31st March, 1977; and

(b) the number of such villages where mail was delivered fortnightly, weekly, bi-weekly and tri-weekly as on 31st March, 1977 ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

S. No. States	Number of Villages having—Position as on 31-3-77					
	Daily delivery	Tri-weekly	Bi-weekly	weekly	Over a week	Total
1. Andhra	36181	—	—	—	—	36181
2. Assam	21412	2042	235	36	—	23725
3. Bihar	72585	487	320	14		73406
4. Gujarat	18275	—	—	—		18275
5. Haryana	7161	—	—	—		7161
6. Himachal Pradesh	19545	7678	614	692		28529
7. J & K.	7864	29	110	7		8010
8. Kerala	1334	—	—	—		1334
9. Karnataka	26826	—	—	—		26826
10. Maharashtra	35384	107	768	116		36375
11. Madhya Pradesh	67306	1185	997	926		70414
12. Manipur	1443	285	160	61		1949
13. Meghalaya	1511	418	1150	1504		4583
14. Nagaland	339	107	245	272		963
15. Orissa	46197	1000	—	—		47197
16. Punjab	12204	—	—	—		12204
17. Rajasthan	34744	660	41	—		35445
18. Sikkim	258	25	30	25	24	362
19. Tamilnadu	21980	—	—	—	—	21980
20. Tripura	4333	394	—	—	—	4727
21. U.P.	152483	—	32	—	—	152515
22. West Bengal	42585	1085	92	—	—	43762
Union Territories						
1. Andaman Nicobar Islands.	311	7		37	46	401
2. Arunachal Pradesh	275	196	213	2289	—	2973
3. Chandigarh	21	—	—	—	—	21
4. Dadra Nagar Haveli.	72	—	—	—	—	72
5. Delhi	248	—	—	—	—	248
6. Goa, Daman, Diu.	429	—	—	—	—	429
7. Laksha Dweep.	10	—	—	—	—	10
8. Mizoram	48	24	43	36	78	229
9. Pondicherry	330	—	—	—	—	330
10. Mahe.	4	—	—	—	—	4
TOTAL :	633698	15729	5050	6015	148	660640

ग्रामों में चिकित्सा सेवा योजना

714. **श्री निहार लास्कर**
श्री डी० डी० देसाई
श्री बापू कालदवे
श्री एस० कुण्डु
: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्द्रीय सरकार चिकित्सा सेवा को गांवों तक पहुंचाने के प्रश्न पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई योजना सरकार द्वारा तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक गांवों में छोटे-छोटे अस्पताल खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) देहाती क्षेत्रों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं देश में फैले हुए स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों द्वारा पूरी की जा रही हैं। वैसे, देहाती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार लाने के बारे में एक योजना पर विचार किया जा रहा है

(ग) जी नहीं।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत 5.8 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का विचार है। ऐसे कार्यकर्ताओं का चुनाव समुदाय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्हें तीन मास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें स्वास्थ्य विज्ञानों की बुनियादी बातों, स्वास्थ्य और सफाई बनाए रखने के उपायों, छूत की ग्राम बीमारियों के इलाज, जच्चा बच्चा की देख रेख, ग्राम बीमारियों के इलाज, प्राथमिक चिकित्सा आदि के बारे में शिक्षा दी जाएगी। उन्हें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली और यौगिक क्रियाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें एक पेटी तथा एक साधारण पुस्तिका भी दी जाएगी। इस पेटी में आधुनिक चिकित्सा पद्धति की दवाइयां और देश के उस भाग में प्रचलित पारम्परिक चिकिसा पद्धतियों की दवाइयां भी होंगी। इस योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाओं का स्तर सुधारने की व्यवस्था है जिसे बहुद्देशीय कार्यर्ताओं की संख्या बढ़ाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को अधिक संख्या में तैनात कर तथा चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वास्थ्य संबंधी सारे काम के लिए और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेडिकल कालेजों को जिम्मेदार बना कर किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत 5.8 लाख (प्रसूति के व्यवसाय में लगी) दाइयों को प्रशिक्षण देने का विचार है जो देहाती क्षेत्रों में प्रसव व प्रसव के पहले एवं प्रसव के बाद की देख रेख करेंगी।

इस योजना पर होने वाले खर्च समेत उसके ब्यौरे पर वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग विचार कर रहे हैं।

अरब देशों और कम्युनिस्ट देशों द्वारा भारत के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव

715. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब देशों और कम्युनिस्ट देशों ने वर्तमान सरकार को समर्थन देने से मना कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने देशों ने भारत को अपना सहयोग और समर्थन देने का प्रस्ताव किया है ;

(ग) क्या तेल सप्लाई करने वाले देशों ने भारत को तेल की सप्लाई बन्द कर दी या कम कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपरोक्त (ग) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता । भारत सरकार सभी अरब देशों के साथ सहयोग को अधिक बढ़ाने का निरन्तर प्रयत्न कर रही है ।

सरकारी नौकरी के लिए ऊपरी आयु सीमा से अधिक उम्र के व्यक्तियों को रोजगार

716. **श्री निहार लास्कर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी की समस्या एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, जिससे श्रमिक असन्तोष शुरू हो गया है और नवयुवकों में आक्रोश है;

(ख) क्या जिन व्यक्तियों ने रोजगार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत कराया था, उन्हें रोजगार नहीं मिल सका है और उनकी आयु सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) रोजगार दिलाने में उनकी सहायता करने के लिए क्या शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना 31 दिसम्बर, 1976 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वालों की, आयु ग्रुपों के अनुसार वर्गीकृत, संख्या से संबंधित है । विवरण संलग्न है । चूंकि सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए उच्चतम आयु सीमाएं व्यवसाय से व्यवसाय और केन्द्र तथा राज्य सरकारों आदि में भी अलग-अलग हैं, इसलिए रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वालों की संख्या को निश्चित रूप से दर्शाना संभव नहीं होगा जिनकी सरकारी नौकरी के लिए अधिक आयु हो चुकी है ।

केवल सरकारी सेवाओं में नियोजन सभी नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं दे सकता । सरकार दस वर्षों के निर्दिष्ट समय के अन्दर दरिद्रता को दूर करने के लिए वचनबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए सरकार रोजगारोन्मुख नीति को अपनाएगी जिस में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि, कृषि उद्योग, लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रधानता दी जाएगी । ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था तथा सम्पूर्ण ग्रामीण विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।

विवरण

आयु ग्रुपों के अनुसार वर्गीकृत 31 दिसम्बर, 1976 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या :

(हजारों में)

आयु ग्रुप	31-12-1976 को चालू रजिस्टर में दर्ज संख्या
1. 19 वर्ष तक	2900.2
2. 20-24 वर्ष	3055.2
3. 25-34 वर्ष	3225.8
4. 35-44 वर्ष	509.1
5. 45-54 वर्ष	80.0
6. 55 वर्ष और अधिक	14.0
योग	9784.3

नोट : 1. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं।

2. चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों के आयु के अनुसार वितरण दर्शाने वाले आंकड़े प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त में एकत्र किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की संधि

717. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की सन्धि पर हस्ताक्षर करने के भारत के नये प्रस्ताव के प्रति कोई सही प्रतिक्रिया हुई है; और

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा पाकिस्तान को भारी माला में हथियार दिये जाने के परिणामस्वरूप देश की सुरक्षा और एकता की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के साथ युद्ध न करने की किसी विशिष्ट संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले पाकिस्तान की कुछ पूर्व शर्तें होंगी।

सरकार ने अमेरीका द्वारा पाकिस्तान को उन्नत सैनिक सामान सप्लाई करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अमेरीका सरकार से अपना सम्पर्क बनाए रखा है। अद्यतन सूचना के अनुसार हथियारों की सप्लाई को नियंत्रित करने की राष्ट्रपति कार्टर की नई नीति के अनुवर्ती कदम के रूप में एक ऐसे प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है।

डाकतार विभाग, आंध्र प्रदेश सर्किल के अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये अधिकारी

718. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधीक्षक, डाकघर, कुर्नूल के विरुद्ध शिकायतों का उल्लेख करने वाला परिपत्र जारी करने से संबद्ध होने के कारण आन्ध्र सर्किल में तृतीय श्रेणी के डाक कर्मचारियों

की यूनियन के आठ पदाधिकारियों को वर्ष 1967 में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत कर दिया गया था ;

(ख) क्या उन आठ पदाधिकारियों में से तीन पदाधिकारियों को काम पर वापस ले लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या बाकी बचे पांच पदाधिकारियों को भी बहाल किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां। लेकिन उन्हें अनिवार्य रूप से सेवा निवृत करने के जो आदेश 1969 में जारी किये गये थे वे उनके उस आचरण पर आधारित थे जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें इस आपराधिक आरोप पर सजा दी थी कि उन्होंने कुरनूल डाकघर अधीक्षक के खिलाफ मानहानिकारक पेम्फलैट प्रकाशित किया था।

(ख) जी हां।

(ग) शेष पांच में से चार कर्मचारियों ने उन्हें सेवा में वापस लेने के बारे में याचिकाएं दी हैं। इन पर मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जा रहा है। पांचवां कर्मचारी एक विभागेतर कर्मचारी था जिसने अभी तक कोई याचिका नहीं दी है।

इस्पात संबंधी लक्ष्य

719. श्री सोमनाथ चटर्जी
श्री एस० आर० दामाणी
श्री डी० डी० देसाई
श्री बसन्त साठे :
: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 4 अप्रैल, 1977 के एक दैनिक पत्र में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार इस्पात उद्योग के दीर्घाकालिक लक्ष्यों को कम किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) अभी तक इस्पात उद्योग के लिए पक्के दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। अत: लक्ष्यों को कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2 मई, 1976 में सभा-पटल पर रखे गए श्वेत-पत्र में यह बताया गया था कि अगले 25 वर्षों में विश्व की इस्पात उत्पादन की कुल क्षमता में 30 करोड़ टन की वृद्धि होने की संभावना है अत: विश्व की इस अतिरिक्त क्षमता में से अपने हिस्से के रूप में लगभग 7.5 करोड़ टन का अस्थायी लक्ष्य निर्धारित निश्चित करने पर विचार कर सकते हैं। इस कार्य के लिए सेल को एक 25 वर्षीय योजना तैयार करने का काम सौंपा गया है। नई सरकार बन जाने पर इस सम्पूर्ण प्रश्न पर पुन: विचार किया गया है और यह फैसला किया गया है कि ऐसी दीर्घावधि योजना केवल अकेले इस्पात क्षेत्र के लिए ही तैयार नहीं की जा सकती है

8—437LSS/77

और इसका देश की आर्थिक और औद्योगिक विकास की समग्र योजना के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। अतः इस पर नये सिरे से विचार करना पड़ेगा ताकि यह योजना आयोग की नई विचारधारा से मेल खा सके।

जापान में माइक्रोवेव टेलीफोन लाइनों की खरीद

720. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में तत्कालीन संचार मंत्रालय ने माइक्रोवेव टेलीफोन लाइनों की खरीद के लिए निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० जापान के साथ करार किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में अनियमितता और कदाचार के कोई आरोप सरकार को प्राप्त हुए है;

(घ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि संचार मंत्रालय के वर्तमान सचिव का निजी वित्तीय स्वार्थ तथा सरकार के बाहर के किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए निप्पन इलैक्ट्रिक कम्पनी जापान को यह करार देने में प्रमुख हाथ था; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) ऋण के अंतर्गत माइक्रोवेव उपस्कर की खरीद के लिए 1975 में सार्वदेशिक टेंडर (Global Tender) मांगे गए थे। टेंडर मूल्यांकन समिति ने 16 फर्मों से प्राप्त टेंडरों का मूल्यांकन किया था। समिति को जापान की निप्पन इलेक्ट्रिक कंपनी लि० (एन० ई० सी०) का प्रस्ताव सबसे सस्ता और तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य लगा था। विश्व बैंक की सहमति लेने के बाद 1975 में निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी को 1291 किलोमीटर लम्बे कलकत्ता असम मार्ग के लिए लगभग 2.8 करोड़ रुपये का माइक्रोवव उपस्कर और सहायक उपकरण भेजने के लिए आर्डर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ), प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिक असन्तोष से प्रभावित औद्योगिक एकक

721. **श्री एस० आर० दामाणी**
श्री निहार लास्कर } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक असन्तोष से कितने औद्योगिक एकक चालू वर्ष में प्रभावित हुए हैं और उत्पादन में कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या यह स्थिति निरन्तर अवरुद्ध गति से चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) श्रमिक असंतोष के कारण जनवरी, 1977 से अप्रैल 1977 तक 327 औद्योगिक एकक (अनंतिम) प्रभावित हुए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक असन्तोष

722. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत दो महीनों में चारों ओर औद्योगिक असन्तोष फैलने के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

नगरीय तथा ग्रामीण बेरोजगारी

723. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय तथा ग्रामीण बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार के बारे में, राज्यवार, सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या पूंजीनिवेश के लिए कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत बनायी गयी योजना प्रस्तावित पूंजी निवेश तथा उनकी अनुमानित रोजगार क्षमता की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार दस वर्षों के निर्दिष्ट समय के अन्दर दरिद्रता को दूर करने के लिए बचनबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार रोजगारोन्मुख नीति अपनाएगी जिस में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि, कृषि उद्योग लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रधानता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था तथा सम्पूर्ण ग्रामीण विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अपने 27वें दौरे-1972-73 के दौरान रोजगार, बेरोजगार और अल्प रोजगार के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से एक विस्तृत जांच की। जांच में एकत्र किए गए आंकड़े सारणीकरण की उन्नत अवस्था में हैं। सर्वेक्षण अवधि के प्रथम अर्ध अन्तराल, अर्थात् अक्तूबर, 1972 से मार्च, 1973 तक, से संबंधित आंकड़ों के आधार पर भारत में रोजगार और बेरोजगार की रूपरेखा का प्रारंभिक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के परिणाम 5 वर्ष की आयु और अधिक के व्यक्तियों से संबंधित हैं। बेरोजगार और अल्प रोजगार के संबंध में राज्यवार स्थिति दर्शाते हुए दो विवरण संलग्न हैं।

विवरण-I

सामान्यतया नौकरी चाहने वाले और नौकरी के लिए उपलब्ध (दीर्घकालिक रूप से बेरोजगार) व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, अक्तूबर, 1972—मार्च 1973

राज्य	नौकरी चाहने वाले और नौकरी के लिए उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या (हजारों में)	
	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	80	220
2. असम	54	19
3. बिहार	365	98
4. गुजरात	61	72
5. हरियाणा	38	28
6. हिमाचल प्रदेश	8	4
7. कर्नाटक	75	127
8. केरल	387	158
9. मध्य प्रदेश	15	93
10. महाराष्ट्र	86	297
11. मेघालय	0	1
12. नागालैण्ड*	*	1
13. उड़ीसा	97	40
14. पंजाब	30	46
15. राजस्थान	77	34
16. तमिलनाडु	153	291
17. उत्तर प्रदेश	174	99
18. पश्चिम बंगाल	262	363
19. चण्डीगढ़*	*	3
20. दिल्ली	1	63
21. गोआ	9	3
22. पाण्डिचेरी	4	7
23. जम्मू व कश्मीर	5	7
24. मणिपुर	3	2
25. त्रिपुरा	7	5
अखिल भारतीय	1991	2081

*सर्वेक्षण केवल शहरी क्षेत्रों में किया गया था।

**1961 की जनगणना जनसंख्या से पहले 10 वर्षों के लिए 1973 की विकास दर के अनुसार प्रक्षिप्त जनसंख्या (हजारों में) पर आधारित।

विवरण-II

आन्तरायिक रूप से बेरोजगार और नौकरी चाहने वाले नैमितिक कामगार

राज्य	ग्रामीण		शहरी	
	कुल व्यक्तियों की तुलना में नैमितिक कामगारों की प्रतिशतता	कुल नैमितिक कामगारों की तुलना में मजदूरी/वैतनिक नौकरी चाहने वाले या उपलब्ध व्यक्तियों की प्रतिशतता	कुल व्यक्तियों की तुलना में नैमितिक व्यक्तियों की प्रतिशतता	कुल नैमितिक कामगारों की तुलना में मजदूरी वैतनिक नौकरी चाहने वाले या उपलब्ध व्यक्तियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	23.27	47.02	6.35	62.02
2. असम	3.15	54.23	1.86	57.43
3. बिहार .	10.56	52.19	4.28	68.53
4. गुजरात	13.15	63.37	5.95	39.52
5. हरियाणा	4.42	60.66	3.19	78.56
6. हिमाचल प्रदेश	1.02	67.40	2.73	56.36
7. कर्नाटक	18.17	72.96	5.25	70.55
8. केरल .	16.53	56.62	8.54	53.08
9. मध्य प्रदेश	10.03	46.09	4.12	69.32
10. महाराष्ट्र	19.00	62.49	4.69	65.56
11. मेघालय	5.67	22.19	1.78	—
12. नागालैण्ड*	*	*	0.38	0.00
13. उड़ीसा	14.39	77.02	5.72	72.37
14. पंजाब .	7.05	37.67	3.46	24.55
15. राजस्थान	3.00	71.47	3.27	54.36
16. तमिलनाडु	21.82	41.66	5.30	43.23
17. उत्तर प्रदेश	5.92	57.02	2.75	58.39
18. पश्चिम बंगाल	11.99	66.42	2.82	71.47
19. चण्डीगढ़*	*	*	—	—
20. दिल्ली	3.41	48.84	1.14	69.70
21. गोआ . . .	20.34	90.04	5.92	0.00

1	2	3	4	5
22. पाण्डिचेरी	25.81	19.72	3.30	20.97
23. जम्मू व कश्मीर	0.67	76.97	1.30	26.09
24. मणिपुर	1.02	18.92	1.87	36.84
25. त्रिपुरा . . .	11.04	35.50	2.76	3.70
अखिल भारतीय . .	12.37	56.44	4.39	58.40

*सर्वेक्षण केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित था।

नोट : आन्तरायिक रूप में बेरोजगार और नौकरी चाहने वाले नैमितिक कामगारों को अल्प नियोजित माना जा सकता है।

हिंद महासागर में अमरीकी नौसैनिक कार्यकारी बल

724. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीका हिन्द महासागर में निरन्तर रूप से अपने नौसैनिक कार्यकारी बल भेज रहा है ;

(ख) गत छः महीनों में अमरीकी नौसैनिक दल ने कितनी बार हिन्द महासागर में प्रवेश किया;

(ग) क्या डिगो गार्शिया में अमरीका के सैनिक अड्डे पर सैनिक तथा शस्त्र बढाये जा रहे हैं और भारत तथा अन्य समुद्रतटीय देशों के लिए खतरा है; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीका सरकार से बातचीत की है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार को हिन्द महासागर में समय-समय पर अमरीकी नौसैनिक कृतिक बलों के आने की जानकारी है।

(ग) भारत सरकार को दिएगो गार्शिया में सैनिक सुविधाओं के निरन्तर विस्तार की जानकारी है। हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों का अस्तित्व निरन्तर तनाव रहने का कारण है और यह भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य तटवर्ती देशों के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है।

(घ) दीगो गार्शिया के बारे में भारत सरकार का मत अमरीकी सरकार को विदित है।

श्री संजय गांधी का पांच सूत्री कार्यक्रम

725. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र, श्री संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम के, विशेषतया परिवार नियोजन अभियान में, क्रियान्वयन में केन्द्रीय सरकार वित्तीय तथा अन्य रूप से किस सीमा तक सम्बद्ध थी;

(ख) आपातकाल के दौरान तथा इससे पहले के वर्ष में परिवार नियोजन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) परिवार नियोजन में जिनके साथ ज्यादतियां हुई उन्हें राहत प्रदान करने के लिये तथा इन ज्यादतियों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और अब तक उनके परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) भारत सरकार ने तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के महत्व और इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया है और इस प्रयोजन के लिए पहली पंचवर्षीय योजना-काल से ही एक कार्यक्रम चलता आ रहा है। आरंभ में यह कार्यक्रम केवल शैक्षिक गतिविधियों तक ही सीमित था, किन्तु बाद में सरकार ने नगरीय एवं ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों का जाल बिछाकर लोगों को सेवाएं और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की व्यवस्था करने का निश्चय किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों को सलाह-मश्विरा और सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। प्रसूति और बाल स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं को इस कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में गर्भवती महिलाओं और छोटी आयु वर्ग के बच्चों को सुलभ कराया गया। माताओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिरक्षण और रोकथाम की भिन्न-भिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। केन्द्रीय सरकार आरंभ से ही सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति पर होने वाले सारे खर्च की पूर्ति करती आई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम 25 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग था जिसकी समीक्षा 18-1-77 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई थी। किन्तु भारतीय युवा कांग्रेस ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रेरणादायक अभियान चलाये थे, उनके संचालन में परिवार कल्याण विभाग की ओर से तैयार किए गए नाच-गाने के प्रदर्शन के जरिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा सहायता की गई तथा भारतीय युवा कांग्रेस के तत्वावधान में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के गीत और नाटक प्रभाग की सहायता से इन प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित कुछ मुद्रित प्रचार सामग्री भी तैयार करवा कर बांटी गई। भारतीय युवा कांग्रेस के परामर्श से जिन खास-खास स्थानों पर दस नाच-गानों की व्यवस्था की गई, उन पर 20,400 रुपये खर्च आया।

(ख) इस कार्यक्रम की क्रियान्विति पर वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान अनुमानित व्यय इस प्रकार हुआ :—

	अनुमानित व्यय (रुपये लाखों में)
1974-75 . .	6204.80
1975-76 . .	7860.08
1976-77 . . .	14828.00

गर्भरोधन के भिन्न-भिन्न तरीकों के अन्तर्गत जितना काम हुआ, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	नसबन्दी	लूप-निवेशन	प्रचलित-गर्भ निरोधक उपयोगकर्त्ता (गोलियों सहित)	योग
1974-75	1,353,859	432,630	2,250,939	4,307,428
1975-76*	2,669,780	605,124	3,491,266	6,766,170
1976-77*	8,106,639	562,842	3,512,708†	12,182,189

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

†उनमें खाई जाने वाली गोली के उपयोगकर्ता भी शामिल हैं।

(ग) जिन व्यक्तियों की नसबन्दी के कारण मृत्यु हो गई थी अथवा जिन्हें आपरेशन के कारण कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं, उन्हें तत्परता से तत्काल सहायता देने का सुनिश्चय करने के लिये भारत सरकार ने सभी राज्यों और इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली अन्य एजेन्सियों के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर दिए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भी राज्य सरकारों से कहा है कि वे ज्यादतियों और जोर-जबर्दस्ती की शिकायतों की जांच करवाएं और इनके लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करें।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर टेलीफोन तथा तार कार्यालय खोले जाना

726. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में, जिलेवार, डाकघरों/टेलीफोन तथा तार कार्यालयों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जिलेवार, डाकघर, टेलीफोन तार कार्यालय खोलने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(घ) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में शेष वर्षों में किन किन स्थानों पर डाकघर/टेलीफोन तथा तार कार्यालय खोलने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) हिमाचल प्रदेश में डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन घरों और तारघरों की जिलावार संख्या इस प्रकार है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर	सार्वजनिक टेलीफोन घर	तारघर
1	2	3	4	5
1.	कांगड़ा .	467	28	64
2.	हमीरपुर	180	13	27
3.	उना	135	6	16

1	2	3	4	5
4.	चम्बा	93	6	19
5.	बिलासपुर . .	102	4	13
6.	मंडी स्टेट	262	10	26
7.	कुल्लू . . .	96	7	20
8.	लाहौल व स्पीति . .	31	—	3
9.	शिमला .	248	20	57
10.	सोलन . . .	125	10	27
11.	सिरमौर . .	125	3	12
12.	किन्नौर	56	—	2

(ख) और (ग) जी हां। डाकघरों के मामले में निम्नलिखित उद्देश्य से एक सर्वेक्षण किया गया है :—

(i) दैनिक डाक वितरण सेवा का विस्तार करना,

(ii) आदिवासी और अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में डाक सेवा पहुंचना,

(iii) ग्राम पंचायत वाले ऐसे गांवों में डाक सेवा पहुंचना जहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई डाकघर नहीं है, और

(iv) कोई खास जरूरतें पूरी करना।

टेलीफोन और तारघरों के मामले में देहाती क्षेत्रों के खास श्रेणियों के स्थानों में टेलीफोन और तारघर खोलने के लिए विभाग एक समान नीति का पालन करता है। सभी गांवों की समीक्षा की जाती है ताकि इस नीति के अंतर्गत आने वाले गांवों का पता लगाया जा सके। इस समय जो नीति अपनाई जा रही है उसकी एक प्रतिलिपि अनुबंध-I में रखी गई है।

(घ) ऐसे डाकघरों की एक अस्थायी सूची, जिन्हें 64 स्थानों में खोलने का प्रस्ताव है, अनुबंध-II में संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 366/77]।

चालू पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में जिन स्थानों पर टेलीफोन और तारघर खोलने का प्रस्ताव है, उन स्थानों की एक अस्थायी सूची अनुबंध-III में रखी गई है।

भारत और सोवियत संघ के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत

727. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत विदेश मंत्री श्री एम० आर० ग्रोमिको ने शांति, मित्रता और सहयोग की भारत-सोवियत संधि के बारे में उनके साथ बातचीत करने के लिए हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले और क्या निर्णय लिये गये;

(ग) इस भेंट से भारत सोवियत मित्रता और सहयोग संधि किस सीमा तक सुदृढ़ होगी; और

(घ) क्या भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग के कोई नये कार्यक्रम बनाये गये हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारत सरकार के निमंत्रण पर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री, श्री ए० ए० ग्रोमिको ने 25 से 27 अप्रैल 1977 तक भारत की यात्रा की थी ? प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने न केवल भारत तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच अपनी परम्परागत मित्रता तथा सहयोग को बनाए रखने की इच्छा पुनः व्यक्त की बल्कि शांति, मित्रता तथा सहयोग से संबद्ध भारत-सोवियत संधि की भावना के अनुरूप इसे और सुदृढ़ करने की इच्छा भी व्यक्त की ।

इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए ;

(i) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर करार ।

(ii) ट्रोपोसकैटर संचार संबंध की स्थापना से संबद्ध करार (दोनों देशों के बीच विश्वसनीय टेलीफोन और टेलीग्राफ संबंध स्थापित करने के लिए) ।

(iii) 1977 में दोनों देशों के बीच सामान का आदान-प्रदान करने के लिए करार ।

बेरोजगारी की समस्या का समाधान

728. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता दल के नेता तथा मंत्री लोगों को तीन वर्ष में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर देने का आश्वासन दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने कहा है कि वे दस वर्ष की अवधि के अन्दर गरीबी को हटा देगी तथा एक रोजगारोन्मुख कौशल का अनुसरण करेंगे, जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि-उद्योगों, लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को प्रधानता दी जाएगी । ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्थाओं तथा सम्पूर्ण ग्रामीण विकास को भी उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।

बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उद्योग तथा वाणिज्य मण्डल संघ की योजना

729. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उद्योग तथा वाणिज्य मण्डल संघ की 10 वर्ष में बेरोजगारी की समस्या के समाधान की योजना का पता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) आनुमानिक रूप से यह संदर्भ हाल ही में नई दिल्ली में हुए इस के 50वें वार्षिक सत्र के अवसर पर भारतीय

वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा तैयार किए गए "समृद्ध समाज की ओर" नामक विषय पत्र से है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 10 वर्ष की अवधि के अन्दर गरीबी उन्मूलन के घोषित उद्देश्य के अनुसरण में, सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध पूर्ण सूचना तथा सुझावों का ध्यान रखेगी।

सलेम इस्पात कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता

730. **श्री आर० कोलनथाइवेलू :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सलेम इस्पात कारखाने के मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और उत्पादन आरंभ होने का संभावित समय क्या है ;

(ग) क्या कारखाने में प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) मार्च, 1977 में सरकार ने सलेम इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी जिस पर 126.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्य तथा अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब तक इस प्रायोजना पर 13.30 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।

बेदाग इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय निर्माताओं से उत्पादन सम्बन्धी जानकारी देने के बारे में प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

(ख) आशा है कि इस कारखाने के प्रथम चरण की वार्षिक निर्धारित क्षमता 32,000 टन ठंडी बेलित बेदाग इस्पात के चपटे उत्पाद तैयार करने की होगी। वर्ष 1981 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है।

(ग) इस प्रायोजना को निर्धारित समय-सूची के अनुसार पूरा करने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक विकास के लिए विदेशों के साथ तकनीकी आर्थिक सन्धियां

731. **श्री आर० कोलनथाइवेलू :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री ग्रोमिको के हाल के दौरे के पश्चात भारत-रूस शांति मैत्री तथा सहयोग सन्धि के बारे में क्या निश्चित प्रगति हुई;

(ख) क्या किये गये प्रबन्धों और करारों से रूस से तकनीकी-आर्थिक सहायता में वृद्धि होगी; और

(ग) क्या सन्धि की सफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अपने देश के आर्थिक विकास के लिये तकनीकी-आर्थिक सहायता सुनिश्चित कराने हेतु अन्य देशों के साथ भी ऐसी सन्धि करने का है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) 25 से 27 अप्रैल 1977 तक सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने न केवल भारत तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के बीच अपनी परम्परागत मित्रता तथा सहयोग को बनाए रखने की अपनी इच्छा को दोहराया बल्कि शांति, मित्रता तथा सहयोग से संबद्ध भारत-सोवियत संधि की भावना के अनुरूप इसे और सुदृढ़ करने की इच्छा भी व्यक्त की । इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के निम्नलिखित करार सम्पन्न किए गए :—

(1) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर करार ।

(2) ट्रापोसकैटर संचार संबंध की स्थापना से सम्बद्ध करार (दोनों देशों के बीच विश्वसनीय टेलीफोन और टेलीग्राफ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए) ।

(3) 1977 में दोनों देशों के बीच सामान का आदान-प्रदान करने के लिए करार।

(ग) भारत सरकार परस्पर लाभदायक द्विपक्षता, समानता और पारस्परिकता के सिद्धातों के आधार पर सभी देशों के साथ सहयोग तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का विकास करती रहेगी ।

दिल्ली में मलेरिया का रोग

732. **श्री एम० एच० मोहसिन**
श्री हरि विष्णु कामत } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में मलेरिया रोग भयानक रूप से फैला हुआ था;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां, पिछले वर्षों में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भाग (ख)--दिल्ली और देश के अन्य भागों में मलेरिया की घटनाओं की वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार है :--

(1) दिल्ली में मलेरिया निरोधी कार्य दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा छः अन्य छोटी एजेंसियों द्वारा अपने-अपने इलाकों में किया जाता है। एजेंसियों की अधिकता के कारण इस कार्य को धक्का पहुंचा है। अब यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली प्रशासन के अधीन मलेरिया नियंत्रण के लिए एवं एकीकृत प्राधिकरण स्थापित किया जाए।

पिछले कुछेक वर्षों में दिल्ली के नगरीकरण में अत्यधिक तेजी से विस्तार हुआ है। किंतु वर्तमान एजेंसियां विभिन्न नई कालोनियों में लार्वानाशी उपायों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं कर सकी हैं।

(2) कुछ बस्तियों में मलेरिया को कुछेक वेक्टरों में डी० डी० टी० को और कुछ अन्य क्षेत्रों में बी० एच० सी० को हजम करने की शक्ति बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप इस रोग के नियंत्रण के लिए अन्य महंगी कीट-नाशी दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा।

(3) उत्तर पूर्वी राज्यों की कुछ बस्तियों के पी० फाल्सीपेरम में क्लोरोक्वीन के हजम करने की शक्ति मौजूद है। वैसे, अधिकांश क्षेत्रों में यह शक्ति केवल मामली स्तर की है।

(4) तेल के संकट के कारण कीट-नाशी दवाइयों की कीमत में वृद्धि हो गई है।

(5) देश के विकास परियोजनाओं की वृद्धि के कारण उष्ण प्रदेशीय श्रमिकों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई है।

(6) देश के कुछ भागों में दवाइयों के छिड़काव के तुरन्त बाद पुताई करने से छिड़काव कार्यों की कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

भाग (ग)--इस रोग के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :--

(1) भारत सरकार ने कार्यवाही की एक संशोधित योजना मंजूर कर दी है और 1 अप्रैल, 1977 से वह देश में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जिन इलाकों में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो से अधिक व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हुए हों उन सभी इलाकों में जहां तक सम्भव होगा उपयुक्त किस्म की कीट-नाशी दवाइयों का नियमित रूप से छिड़काव किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार अनुरक्षण चरण वाले उन क्षेत्रों के लिए भी कीट-नाशी दवाइयां सप्लाई करेगी जिन्हें यह सहायता पहले नहीं दी जा रही थी।

(2) अनुरक्षण चरण वाले क्षेत्रों के लिए केवल आंशिक समायोजन करने के बाद सामग्री और उपकरणों का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(3) राज्यों में यूनिटों को जिले के पैटर्न के अनुसार पुनर्गठित किया गया है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला चिकित्सा अधिकारियों को पूरी तरह जिम्मेदार बना दिया गया है।

(4) भारत सरकार के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार राज्य मुख्यालय के स्टाफ और जोनल स्टाफ का सम्पूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(5) देश में 72 जोनों को 72 कीट विज्ञानीय दल उपलब्ध किए गए हैं। ये दल अन्य बातों के साथ साथ कीट-विज्ञान संबंधी स्थिति, वेक्टर की प्रभावग्रहण-शीलता का जायजा लेते हैं और खास खास क्षेत्रों में उपयुक्त किस्म की कीट-नाशी दवाइयों के इस्तेमाल करने के बारे में भी सुझाव देते हैं।

(6) मलेरिया निरोधी दवाइयों की सप्लाई पर अधिक जोर डाला गया है। ये दवाइयां केवल मलेरिया कार्यकर्ताओं, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि के जरिये ही उपलब्ध नहीं की जाती हैं बल्कि ये पंचायतों, स्कूल अध्यापकों, ज्वर उपचार डिपुओं और मलेरिया क्लिनिकों के जरिए भी प्रदान की जाती हैं।

(7) ब्लड स्मीयर्स की एकत्र करने और उनके परीक्षण में लगने वाले समय में बचत करने के लिए आक्रामक और समेकन चरण वाले क्षेत्रों में प्रयोगशाला सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध की जा सकती हैं।

(8) असुविधा वाले क्षेत्रों के लिए निगरानी स्टाफ में वृद्धि की जा रही है।

(9) इस कार्यक्रम में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अधिक जोर डाला जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए पंचायतों, स्कूल अध्यापकों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को उत्तरोत्तर शामिल किया जा रहा है।

(10) पोस्टरों का प्रदर्शन कर, फोल्डर और इश्तहार आदि का वितरण कर स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलापों को तेज किया जा रहा है। सिनेमा स्लाइडें तैयार कर ली गई हैं और उन्हें विभिन्न शहरों में प्रदर्शित किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदर्शन के लिए धातु-प्लेटें भी तैयार की जा रही हैं। इस प्रयोजन के लिए रेडियो और दूरदर्शन जैसे प्रचार के साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है। मलेरिया के बारे में फिल्में भी प्रदर्शित की जा रही हैं।

(11) इस कार्यक्रम के गतिरोध के कारण जो विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए मलेरिया संबंधी अनुसंधान की गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। आधारभूत और प्रचालन दोनों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं।

(12) यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली प्रशासन संघ क्षेत्र की अनेक एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य का संचे-रण और पर्यवेक्षण करेंगे। 25 मलेरिया क्लिनिक खोल दिए गए हैं। इन क्लिनिकों में ज्वर से पीड़ित रोगी अपने रक्त का तत्काल परीक्षण और इलाज करवाने आएंगे।

दिल्ली के अस्पतालों के सुचारू रूप से कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही

733. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मंत्रालय के अधिकारयों द्वारा दिल्ली के एक अस्पताल के दैनिक कार्यों में ज्यादतियां और हस्तक्षेप करने के बारे में दिल्ली के समाचारपत्रों में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) अस्पताल के सुचारू और उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) श्री सतराम दास का मामला, जिन्हें छुरे के घाव के उपचार के लिए 17 अप्रैल, 1977 को इर्विन अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में दाखिल किया गया था, सरकार के ध्यान में आया है किंतु इसमें अस्पताल के प्रशासन में स्वेच्छाचारिता और हस्तक्षेप की कोई बात नहीं है ।

(ख) और (ग) श्री सतराम दास को 7 मई, 1977 को इर्विन अस्पताल से इलाज मुक्त किया गया था किन्तु वह अस्पताल से गया नहीं । 20 मई, 1977 को कुछ लोग रोगी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री के यहां पहुंचे ताकि वह उनको रोगी की कठिनाइयों और अस्पताल में उसके साथ हुए कथित उपेक्षित व्यवहार की बातें बतला सकें । स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव ने 20 मई, 1977 को इर्विन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि रोगी के पूरी तरह ठीक होने तक उसे आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं और उसकी शिकायतों पर वह व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें । तथापि इस रोगी को अस्पताल से इलाज मुक्त कर दिया गया था । चूंकि रोगी अपने आपको फिट नहीं समझता था इसलिए 22 मई, 1977 को वह विलिंगडन अस्पताल में भर्ती हो गया जहां से उसे 3 जून 1977 को मुक्त कर दिया गया ।

एस० पी० ओ० काल्पा के विरुद्ध जांच

734. **श्री भगत राम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित भ्रष्ट प्रक्रियाओं के बारे में एस० पी० ओ० (काल्पा पंजाब) के विरुद्ध कोई जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) क्या जांच के दौरान अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया गया था ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) काल्पा डाकघर अधीक्षक के अधीन काम करने वाला डाक मंडल नहीं है । तथापि यह एक उप-मंडल है जो डाकघर निरीक्षक के अधीन है । इस निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं । आरंभिक विभागीय जांच के पश्चात् उन्हें एक आरोप पत्र दिया गया है । प्रथम श्रेणी का एक अधिकारी इस मामले में विभागीय जांच कर रहा है । उस अधिकारी की जांच रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) जांच पड़ताल शुरू होने से पहले इस अधिकारी का तबादला कर दिया गया था ।

पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण

735. श्री **भगत राम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मजदूर संघ गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य से पोस्ट मास्टर जनरल ने आपातकाल के दौरान डाक-तार नियम पुस्तिका के खंड चार के तथाकथित नियम 37 के अन्तर्गत मजदूर संघों के पदाधिकारियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किये थे; और

(ख) यदि हां तो सरकार मजदूर संघों के स्थानांतरित किये गये पदाधिकारियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं का फिर से स्थानांतरण करने के लिये कोई कदम उठा रही है :

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) यह सही है कि पश्चिम बंगाल सर्किल में आपातकाल के दौरान डाक-तार नियम पुस्तक खंड IV के नियम 37 के अधीन कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किये गये थे । लेकिन ऐसे तबादलों के आदेश आपातकाल से पहले भी जारी किये गये थे । इस प्रकार के तबादलों का मुख्य कारण संबंधित कर्मचारियों का दुराचरण और उनमें अनुशासन की कमी था। जिन कर्मचारियों के तबादले किये गये थे उनमें कुछ कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी भी थे लेकिन नियम 37 के अधीन उनके तबादले करने का इससे संबंध नहीं था । यूनियन के पदाधिकारियों सहित जिन कर्मचारियों के इस प्रकार तबादले किये गये हैं, उनकी फिर से जांच की जा रही है ।

गुजरात के कैरा जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

736. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कैरा जिले में नये टेलीफोनो एक्सचेंजों को खोलने सहित वर्तमान टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां ।

(ख) (i) 9 नए छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज और 9 लम्बीदूरी के पी० सी० ओ० खोलने का प्रस्ताव है ।

(ii) ऐसी योजना है कि मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों में से 11 एक्सचेंजों का विस्तार किया जाए ।

(iii) कैरा के मैनुअल एक्सचेंज को आटोमैटिक बनाने की भी योजना है ।

भारत-रूस शांति, मैत्री तथा सहयोग संधि का दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों पर प्रभाव

737. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में भारत के दौरे पर आये रूस के विदेश मंत्री को आश्वस्त किया था कि भारत, भारत-रूस शांति, मैत्री तथा सहयोग संधि का पालन करता रहेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संधि से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारत की भूमिका के बारे में कोई संदेह पैदा हुआ है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1977 में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने शांति, मित्रता तथा सहयोग से संबद्ध भारत-सोवियत संधि की भावना के अनुरूप अपनी पारस्परिक मित्रता तथा सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा की पुनः पुष्टि की । भारत और सोवियत संघ की मित्रता जो कि समानता, पारस्परिकता तथा हितकर विपक्षवाद पर आधारित है, समय की कसौटी पर खरी उतरी है तथा इससे दोनों देशों की जनता का हित साधन हुआ है ।

(ग) जी नहीं । सरकार इस बात को दोहराती है कि भारत-सोवियत संधि विश्व के किसी भी देश के साथ भारत के संबंधों के विकास में बाधक नहीं है ।

बोनस की अदायगी तथा अनिवार्य जमा योजना का समाप्त किया जाना

738. **डा० बापू कालदते** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को श्रमिक वर्ग के संगठनों तथा श्रम संघों से बोनस देना जारी रखने तथा अनिवार्य जमा योजना को समाप्त करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) अनिवार्य जमा योजना के सम्बन्ध में निर्णयों की पहले ही घोषणा की जा चुकी है । बोनस का प्रश्न विचाराधीन है ।

भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची 2 का संशोधन

739. **डा० बापू कालदते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधि परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची 2 का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-चीन संबंध

740. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-चीन संबंध अभी तक सौहार्दपूर्ण नहीं अपितु ठीक जैसे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

9—437LSS/77

(ग) क्या अधिकाधिक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए 21 मार्च, 1977 से दोनों में से किसी देश ने कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) (ग) और (घ) : राजदूतों के विनिमय से चीन के साथ सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह जारी है । सरकारी और गैर-सरकारी दलों ने एक दूसरे के देश में यात्राएं की । अप्रैल मई, 1977 में भारतीय व्यापारिक घरानों के तीन प्रतिनिधि कैन्टन स्प्रिग में गए और वहां उन्होंने निर्यात और आयात संविदायें कीं । पारस्परिकता और आपसी हित के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की और संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चीन के अखबारों में और वहां के प्रचार माध्यमों में पहले भारत की आलोचना और आक्रमक रवैये का जो स्वर रहता था वह पिछले तीन-चार महीनों में कम हुआ है । सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अधिक अर्थपूर्ण बनाने वाली किसी भी पहल पर अथवा पांच सिद्धांतों के आधार पर संबंधों को बेहतर बनाने के किसी भी सुझाव पर विचार करने के लिए भारत तैयार है ।

जन स्वास्थ्य के हित में एन्टीबायोटिक्स के अन्धाधुन्ध प्रयोग पर नियंत्रण रखने का प्रस्ताव

741. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों में विभिन्न रोगों के लिए अन्धाधुन्ध एन्टीबायोटिक्स औषधि लिखने तथा देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है,

(ख) क्या यूरोप और अमरीका के बहुत से देशों में आय 'एन्टीबायोटिक्स' को अधिकांशत: रोग से भी बुरा निदान समझा जाता है क्योंकि इन औषधियों की अन्य बुरी प्रतिक्रियायें होती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जन स्वास्थ्य के हित में एन्टीबायोटिक्स के प्रयोग पर नियंत्रण रखने का है, और

(घ) यह उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा ?

इस उपर्युक्त तथ्य को सभी राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा संघों के ध्यान में ला दिया गया है ताकि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि डाक्टर लोग एम्पीसिलिन दवाइयों का प्रयोग उन्हीं बीमारियों के लिए सुझायें जिनके लिए यह दवाई वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के बाद अनुमोदित की गई है । उनसे यह भी कहा गया है कि यदि कोई एपीसिलीन विक्रेता इस औषधि के गुणों का बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करता है तो वे इस बात को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के ध्यान में लायें ।

एन्टीबायोटिक दवाइयों के उपयोग के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए एक विशेष दल गठित किया गया है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख) (ग) और (घ) समाचारों के अनुसार अमेरिका में सेनेटर एडवर्ड केनेडी की अध्यक्षा में बनी एक समिति ने इस बात के प्रमाण एकत्र किए थे कि दवा निर्माता खासकर एन्टीबायोटिक्स दवाएं बनाने और बेचने वाले अपनी दवाईयों का प्रचार बहुत बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं ताकि

डाक्टर लोग रोगियों को उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए कहें। बिक्री के लिए किए जाने वाले इस प्रकार के प्रचार का यह असर पड़ा बतलाया जाता है कि एन्टीबायोटिक्स दवाइयों के अन्य विकल्प उपलब्ध होने के बाजजूद विभिन्न रोगों के लिए डाक्टर एन्टीबायोटिक्स दवाइयों का ही अंधाधुंध उपयोग करने लगें। इनके इस अन्धाधुंध उपयोग से यह परिणाम हुआ बतलाया जाता है कि रोगियों पर दवाइयों के दुष्परिणाम पड़ने लगे और उनमें तनाव और विकार भी प्रचुर मात्रा में बढ़ने लगे और स्थिति यह आ गई कि आज जो दवाइयां हैं उनका इन विकारों पर असर नहीं पड़ रहा है। अमरीका की इस रिपोर्ट में विशेषकर एम्पीसिलीन का जिक्र किया गया है जिसका टांसिल बढ़ने और गला खराब होने जैसी छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए स्वन्त्रता से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें यह लिखा हुआ है कि 'एम्पीसिलीन का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है'

इस्पात के उत्पादन की तुलनात्मक लागत

742. **श्री पी० के० देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राऊरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी में एक टन इस्पात की उत्पादन लागत क्या है, और

(ख) अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा जापान की उत्पादन लागत की तुलना में इस लागत की स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1975-76 की अवधि में राउरकेला भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, इस्को और टिस्को में एक टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन की औसत लागत दिखाई गई है :—

(रुपए प्रति टन)

कारखाना	1975-76
राउरकेला	1858
भिलाई	1068
दुर्गापुर	1445
इस्को	1766
टिस्को	1300
बोकारो	1878

(ख) इस्पाद-उत्पादक देश उत्पादन-लागत को गोपनीय रखते हैं अतः यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र

743. **श्री पी० के० देव :**

श्री एस० कुन्डु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने कुलजीन्स और मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कंपनी के विशेषज्ञों की सलाह पर उस इस्पात संयंत्र के लिये क्योझर जिले में नयागई स्थान का सुझाव दिया था, और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) और (ग) कुलजीन्स और दस्तूर एण्ड कं० के विशेषज्ञ परामर्श पर उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में नयागढ़ के स्थान पर एक इस्पात कारखाना लगाने का सुझाव दिया है । अब इस मामले पर भारत सरकार ध्यान दे रही है ।

'बालको' समूह में पूंजी निवेश

744. **श्री पी० के० देव :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा स्थित 'बालको' कारखाने की मांग को पूरा करने के लिए फुटकापहाड़ और अमरकंटक की आरक्षित खानों में पर्याप्त बाक्साइट अयस्क नहीं है,

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर नकरात्मक हो तो क्या बालको ने उड़ीसा स्थित गंधामार्दन क्षेत्र में बाक्साइट पट्टे (लीज) के लिये आवेदन-पत्र दिया है जो कि कारखाने के सबसे निकट निक्षेप है;

(ग) यदि हां, तो गंधामार्दन बाक्साइट अयस्क का खनन पट्टा 'बालको' को कब तक दिया जायेगा, और

(घ) कोरबा स्थित 'बालको' समूह में अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) इन दोनों निक्षेपों में खननयोग्य बाक्साइट अयस्क जी० एस० आई० द्वारा 1961—63 में की गई खोजों के दौराना लगाए गए अनुमान से काफी कम मात्रा में पाया गया है । दीर्घकालीन प्रबंध के रूप में कोरबा एलूमिना कारखाने को बाक्साइट की पूर्ति किस्म और मात्रा की दृष्टि से किसी अन्य स्रोत से करनी होगी । गन्धामार्दन पठार में बाक्साइट के व्यापक भंडार बताए जाते हैं और वहां मशीनों द्वारा खुदाई हो सकती है, अतः भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बालको) ने इस इलाके में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है ।

(ग) बालको का खनन पट्टे हेतु आवेदन पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) लगभग 215 करोड़ रुपए ।

पूर्व तट के बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एल्युमीनियम संयंत्र

745. **श्री पी० के० देव :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व तट के विशाल बाक्साइट निक्षेपों का उपयोग करने के लिये विदेशी सहयोग से एक एल्यूमिनियम संयन्त्र लगाने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस एल्यूमिनियम संयंत्र की अनुमति बिजली की आवश्यकता क्या है और यह किस प्रकार पूरी किये जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) उड़ीसा में कोरापुट जिले की पूर्वी तट शृंखला की ऊंची पहाड़ियों और आंध्र प्रदेश में विशाखापतनम पत्तन के समीप तट के ऊंचे स्थानों में बाक्साइट के विशाल भंडार पाए गए हैं।

सरकार द्वारा एक या एक से अधिक एलूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र लगाने के बारे में तभी विचार किया जाएगा जब अयस्क पिंडों के बारे में व्यापक समन्वेषण का काम पूरा हो जाएगा ।

ऐसे संयंत्र के लिए बिजली की आवश्यक मात्रा स्पष्टतः सरकार द्वारा निर्मित किए जाने वाले संयंत्र के आकार पर निर्भर होगी। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एल्यूमिनियम स्तर तक और उसे शामिल करके दो लाख टन वाले एलूमिना संयंत्र के लिए 20 मेगावाट बिजली की जरुरत होगी जबकि इस एलूमिना से एक लाख टन एल्यूमिनियम धातु तैयार करने के लिए 200 मेगावाट बिजली की और जरूरत होगी ।

यूनाइटिड किंगडम में आप्रवास पर प्रतिबन्ध

746. **श्री डी० पी० चन्द्रगौड़ा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड किंगडम में आप्रवास संबंधी नियम बहुत ही कड़े होने के फलस्वरुप 3000 से 5000 तक मंगेतर भारत में रह रहे अपने जोड़ीदार से विवाह कर पाने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या ब्रिटिश आप्रवास अधिकारी उस देश में निवास पाने के इच्छुक जाली मंगेतरों के आगमन को रोकने के अपने प्रयास में निर्दोष लोगों के साथ भी भेद-भाव कर रहे हैं; और

(ग) क्या जातिगत-संबंधों और आप्रवास नियमों के मामलों में भारतियों को हो रही कठिनाइयों के बारे में प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन पेश किया गया है, और यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) और (ख) जी नहीं । 22 मार्च 1977 को लागू नियमों के अधीन किसी ऐसे पति को अब ब्रिटेन में बसने का अधिकार नहीं होगा अगर उसका विवाह ब्रिटेन में प्रवेश पाने के आवेदन के बाद 12 महीने की अवधि के भीतर किसी दूसरे देश में हुआ होगा । ब्रिटेन में बसने के उसके अधिकार पर विचार किये जाने से पूर्व उसे 12 माह की अवधि के लिए प्रवेश की स्वीकृति दी जाएगी जो यह देखने के लिए होगी कि उसकी यह शादी सुविधा के लिए तो नहीं है । ऐसा ही नियम उन पर लागू होता है जिन्होंने विवाह संविदा यूनाइटिड किंगडम में की हो । आप्रवास अधिकारियों को ऐसे किसी मामले को, जिसमें विवाह सुविधा के लिए किया गया लगता हो, शुरू में ही या 12 माह की अवधि के बाद प्रवेश या बसने से इंकार करने का अधिकार होगा ।

(ग) जी हां । सर्वदलीय यू० के० नागरिकता समिति, लंदन से अवैतनिक मंत्री श्री प्रफुल पटेल ने अप्रैल 1977 में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था ।

अनेक अवसरों पर हमने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिटेन के लिए उत्प्रवास को प्रोत्साहन देने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है । ब्रिटेन में कानून

श्रौर व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार पर ही है । फिर भी, उन्हें इस बात से अवगत करा दिया गया है कि इस बारे में श्रौर ब्रिटेन में जातिगत सामंजस्य का वातावरण बनाने के महत्व के बारे में भारत को कितनी चिंता है । ब्रिटिश सरकार ने जातिगत समानता की नीति के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनर्पुष्टि की है ।

हिन्द महसागर में विदेशी सैनिक श्रड्डों का समाप्त किया जाना

747. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक श्रड्डों को समाप्त करने के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है, श्रौर

(ख) क्या नेपाल नरेश तथा सोवियत संघ के विदेश मंत्री ने भी इस संबंध में अपना सहयोग दिया है ?

विदेश मंत्री (श्री श्रटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां । हिन्द महासागर से विदेशी सैनिक श्रड्डे हटाने के सम्बन्ध में भारत की नीति हिन्द महासागर के श्रधिकांश तटवर्ती तथा पश्चिम राज्यों द्वारा अपनाई गई नीति के श्रनुरूप है श्रौर संयुक्त राष्ट्र तथा गुट-निरपेक्ष देशों की बैठकों की सिफारिशों के श्रनुरूप भी ।

(ख) नेपाल ने भी हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के संयुक्त राष्ट्र के सकल्प का निरन्तर समर्थन किया है श्रौर इस प्रश्न पर उनके श्रौर हमारे विचार मोटे तौर पर समान हैं ।

जहां तक सोवियत संघ का प्रश्न है, इसके नेताश्रों ने श्रनेक श्रवसरों पर हिंद महासागर में मौजूद सभी विदेशी सैनिक श्रड्डे हटाने के समर्थन में अपना मत व्यक्त किया है ।

कैंसर के कारणों की जांच कराने के लिए एक समिति की नियुक्ति

748. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर रोग को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कैंसर रोग के कारणों का पता लगाने के लिये कोई समिति नियुक्त की है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) श्रौर (ग) कैंसर श्रनुसंधान और अध्ययन कई संस्थाश्रों और कैंसर अनुसंधान केंद्रों में किए जा रहे हैं । इसके श्रलावा कैंसर में श्रनुसंधान करने श्रौर इसका इलाज करने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलने का विचार है । कोबाल्ट थिरपी यूनिटों को खोलने के लिए भी राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है । भारतीय श्रायुर्विज्ञान श्रनुसंधान परिषद ने देश में श्राम तौर पर होने वाले कुछ कैंसरों श्रर्थात मख श्रौर मुखग्रसनी कैंसर, ग्रीवा कैंसर श्रौर वक्ष कैंसर के बारे में मिले जुले श्रध्ययन भी किए हैं । मुख श्रौर मुखग्रसनी—कैंसर के

संबंध में किए गए मुख्य अध्ययनों के उद्देश्यों में इन बातों का अध्ययन करना था कि यह रोग देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कितना फैला हुआ है और इस प्रकार के कैंसर के क्या पर्यावर्णिक कारण हैं विशेषकर तम्बाकू का प्रयोग किस हद तक इसका कारण है। वक्ष और ग्रीवा के कैंसरों के बारे में अध्ययन अभी जारी है।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीय मजदूर नीति

749. **श्री एस० कुण्डू :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार ने एक राष्ट्रीय मजूरी नीति और बेहतर औद्योगिक संबंध नीति बनाने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। औद्योगिक संबंधों के बारे में व्यापक कानून के सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय कार्यकारी दल स्थापित किया जा रहा है।

द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय समितियों का पुनर्गठन

750. **श्री एस० कुण्डू :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंतरिक आपात स्थिति की अवधि के दौरान श्रम विभाग द्वारा बनाई गई विभिन्न द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियों के पुनगर्ठन के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और(ख) आंतरिक आपात् स्थिति की अवधि के दौरान बनाया गया राष्ट्रीय शीर्ष निकाय (द्विपक्षीय) और राष्ट्रीय औद्योगिक समितियां (द्विपक्षीय) समाप्त कर दी गई हैं। उक्त अवधि के दौरान कुछ समितियां/बोर्ड अपनी सामान्य कालावधि के समाप्त हो जाने के बाद संबंधित कानूनी उपबंधों के अनुसार गठित तथा पुनर्गठित किए गए। इस विचार से कि संबंधित पत्रकारों को व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, त्रिपक्षीय निकायों के पुनगर्ठन संबंधी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

हैदराबाद टेलीफोन के नैमित्तिक मजदूरों को सेवा में लिया जाना

751. **डा० सरदीश राय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हैदराबाद टेलीफोंस में अनेक नैमित्तिक मजदूर 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक तथा तार विभाग उनको सेवा के नियमित संवर्ग में रखने के लिये कार्यवाही कर रहा है; और

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग रेलवे पद्धति के अनुसार नैमित्तिक कर्मचारियों के बारे में मियाभाई समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रहा है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मियाभाई समिति की सिफारिशें डाक-तार विभाग पर लागू नहीं होती।

डाक व तार विभाग में कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ छुट्टियों के मामले में भेदभाव

752. **डा० सरदीश राय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग में स्वीपरों, चौकीदारों, मालियों तथा सफाई कर्मचारियों के साथ छुट्टियों, समयोपरि भत्ते की दरों और साप्ताहिक छुट्टियों के मामले में, अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तुलना में भेद-भाव बरता जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ सभी मामलों में शेष श्रेणियों के कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जा रहा है ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) छुट्टियां, ओवर टाइम और साप्ताहिक अवकाश आदि की मंजूरी से संबंधित ऐसे मसले विभिन्न कर्मचारियों के संवर्गों की ड्यूटी के प्रकार के अनुसार विनियमित होते हैं और ये सभी मामलों में एक जैसे नहीं होते । इन मामलों में डाक-तार विभाग को उसी सामान्य नीति का पालन करना पड़ता है जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है । ऐसे मामलों में किसी असंगति या भेदभाव दूर करने के प्रश्न की जांच कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से की जायेगी ।

DEATH DUE TO OPERATION FOR STERILISATION

753. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of deaths of persons in the country reported to Government upto 30th April, 1977 who died within six months of being operated upon for sterilisation;

(b) the number of cases out of them investigated by Government, so far, and the number of cases in which death was caused mainly due to sterilisation; and

(c) the financial assistance provided by Government to the families of deceased persons so far ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a), (b) and (c) Information has been called from the State Governments and will be laid on the Table of the Lok Sabha when received.

भारतीय श्रम सम्मेलन

754. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बैठक कब हुई; और

(ग) किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया इस सम्मेलन में किन किन पार्टियों/व्यक्तियों को बुलाया गया था और उन्हें बुलाने का आधार क्या था ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) नई दिल्ली में 6-7 मई, 1977 को एक त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन हुआ था । निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श हुआ था :—

(1) औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में व्यापक विधान से सम्बन्धित कुछ मामले;

(2) श्रमिकों की सहभागिता ;

(3) ग्रेच्युटी निधि स्थापित करना।

(4) भारतीय श्रम सम्मेलन का गठन ।

(5) असंगठित क्षेत्र में श्रमिक—(ठेका श्रमिक, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक खेतिहर श्रमिक और बंधित श्रमिक) ।

सम्मेलन में सरकार (केन्द्रीय और राज्यों दोनों) नियोजकों के संगठनों (सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों); तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के लिए श्रम प्रतिनिधियों का चयन

755. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार आगामी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के लिए श्रम प्रतिनिधियों का चयन करने में असमर्थ रही है;

(ख) क्या श्रम प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए कोई नया मानदंड निर्धारित किया जा रहा है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में हुए, 63वें सम्मेलन के लिए किन-किन श्रम प्रतिनिधियों का चयन किया गया ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) श्री कांति मेहता
श्री पी के० शर्मा
श्री डी० बी० ठेंगड़ी
डा० शांति पटेल

सेलम इस्पात कारखाने में भर्ती

756. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात संयंत्र में लगे कार्मिकों और श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें तमिलनाडु के कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं ; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के चरणबद्ध कार्यक्रम की यदि कोई योजनाएं हैं तो वे क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) कुल संख्या 168 है ।

(ख) आम तौर पर सरकारी उपक्रमों में इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी नहीं की जाती है ।

(ग) इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में हुई प्रगति

757. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 29 अप्रैल, 1977 को प्रकाशित विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा विश्व भर में जन्म-नियंत्रण के लिए कारगर और व्यापक प्रयास की आवश्यकता की अपील और उनके इस आशय के वक्तव्य की जानकारी है कि तापीय-परमाणु युद्ध को छोड़कर जन-संख्या में वृद्धि ही सबसे गम्भीर समस्या है जो आगामी दशाब्दियों में विश्व के सामने खड़ी रहेगी;

(ख) भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) अग्रेतर नियंत्रण रखने के लिए किस प्रकार के कारगर तथा व्यापक प्रयास करने का विचार है; और

(घ) भारत की जनसंख्या किन आंकड़ों पर पहुंच कर स्थिर हो जाने की संभावना है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) अनुमान है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर मार्च, 1977 तक लगभग 290 लाख जन्म रोके जा सके हैं और जन्म-दर जो 1961 में 41.7 प्रति हजार जनसंख्या थी, वह 1976-77 में घटकर लगभग 34.3 प्रति हजार तक हो गई है । जन-संख्या की वृद्धि दर जो 1961-71 की अवधि में लगभग 2.2 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, वह घट कर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम हो गई है । यदि परिवार कल्याण कार्यक्रम न होता तो यह वृद्धि-दर वर्तमान दर की अपेक्षा कहीं अधिक हो जाती ।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम निति सम्बन्धी वक्तव्य की प्रति जिसमें सरकार की नीति की रूप-रेखा दी गई है, संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 365/77]

(घ) भारत की जनसंख्या किस स्तर पर स्थिर होने की सम्भावना है, यह भविष्यवाणी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ परिवार कल्याण कार्यक्रम की भावी प्रगति पर निर्भर होगा ।

गुट-निरपेक्ष की नीति को सुदृढ़ बनाने के लिये संधियां

758. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में श्री ग्रोमिको के साथ हुई बातचीत के दौरान भारत-रूस शांति मैत्री और सहयोग की संधि के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने पर क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या उक्त पुनर्विलोकन से इस देश की गुट-निरपेक्षता की नीति सुदृढ़ हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य शक्तिशाली देशों के साथ ऐसी ही संधियां करके गुट-निरपेक्षता की नीति को समेकित करने का है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) अप्रैल 1977 में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री श्री ए० ए० ग्रोमिको की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने शांति, मित्रता तथा सहयोग से संबद्ध भारत सोवियत संधि की भावना के अनुरूप अपनी पारम्परिक मित्रता तथा सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा की पुनः पुष्टि की। सोवियत संघ भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति का आदर और समर्थन करता है और इसे विश्व में तनाव को कम करके शांति, समझ-बूझ और सहयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक समझता है। भारत-सोवियत संधि में इस बात को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है।

सरकार ने गुट-निरपेक्षता की नीति पर दृढ़ रहने के अपने संकल्प को दोहराया है और सरकार हितकर द्विपक्षवाद, समानता तथा पारस्परिकता के आधार पर सभी देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित तथा सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी।

भर्ती के मामले में रोजगार कार्यालयों की सहायता प्राप्त करने के लिए नियोजकों के लिए आवश्यक विनियम

759. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **संसद कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए रोजगार कार्यालयों की सहायता प्राप्त करने हेतु नियोजकों द्वारा पालन किए जाने वाले वर्तमान विनियम क्या हैं;

(ख) इन विनियमों का कहां तक पालन किया गया है; और

(ग) उनका उल्लंघन किए जाने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) क्या सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के प्रति केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार और किसी भी अवधि के लिए निकलने वाली रिक्तियां (संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर) केवल रोजगार सेवा के माध्यम से भरी जानी चाहिएं। संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा "गैर-उपलभ्यता" का प्रमाणपत्र जारी करने पर ही नियोजक भर्ती के अन्य स्रोतों से सम्पर्क स्थापित कर सकता है। इसी तरह, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 500/- रु० प्रति माह के मूल वेतन से अनाधिक वेतन में आने वाले निम्न पदों के कार्मिकों की भर्ती केवल रोजगार कार्यालयों से की जानी चाहिए। केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से स्टाफ की भर्ती करना निजी क्षेत्र के नियोजकों के लिए अनिवार्य नहीं है।

(ख) सामान्यतः रोजगार कार्यालयों के माध्यम से स्टाफ की भर्ती करने की अपेक्षा करने वाले कार्यकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) ध्यान में आने वाले उन सभी मामलों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ उपचारी कार्रवाई के लिए उठाया जा रहा है, जिनमें नियोजक संगठनों द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम के बिना स्टाफ की भर्ती की जाती है ।

डाक तथा तार विभाग में नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किया जाना

760. **श्री वसन्त साठे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में बहुत बड़ी संख्या में नैमित्तिक कर्मचारी रखे जाते हैं और ये कर्मचारी तीन से दस वर्ष तक की सेवा करने के पश्चात् भी नैमित्तिक ही बने रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो डाक तथा तार विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) उन्हें नियमित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

संचार मंत्री (जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है इसे बाद में सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) ऐसे नैमित्तिक मजदूरों को जिन्हें रोजगार दफ्तरों के जरिए भर्ती किया गया हो और जिन्हें प्रति वर्ष कम से कम 240 दिनों के हिसाब से न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो, उन्हें विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तौर पर खपाया जा रहा है बशर्ते कि नियमित खाली स्थान उपलब्ध हों और साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करने जैसी अन्य शर्तें पूरी होती हों।

आपात स्थिति के दौरान बर्खास्त किए गए श्रमिक

761. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य :** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान कुल कितने औद्योगिक श्रमिकों की सेवाएं समाप्त की गईं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

ठेका-श्रम व्यवस्था की समाप्ति

762. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ठेका-श्रम व्यवस्था को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) ठेका-श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में जहां कहीं संभव हो, ठेका-श्रम प्रणाली उन्मूलन की व्यवस्था की गई है और जहां इसका उन्मूलन फिलहाल संभव नहीं समझा जाता, वहां यह प्रतिष्ठानों/रोजगारों में ठेका-श्रम के रोजगार को विनियमित करने का प्रयास करता है ।

IMPOUNDING OF PASSPORTS

†763. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have recently imposed passports of some prominent persons; and

(b) if so, their names ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : (a) Recently, Government has passed orders, in the interest of the general public, either impounding the passports or refusing passport facilities under the Passports Act, 1967, in the case of twenty-four persons.

(b) A list of these persons is placed on the Table of the House.

LIST OF PERSONS WHOSE PASSPORTS HAVE BEEN ORDERED TO BE IMPOUNDED OR WHO HAVE BEEN REFUSED PASSPORT FACILITIES. (IN ALPHABETICAL ORDER)

1. Shri H. K. L. Bhagat.
2. Shri P.S.Bhinder.
3. Shri Vidya Bhushan.
4. Shri Dhirendra Brahmachari.
5. Shri Krishan Chand.
6. Shri Navin Chawla.
7. Shri Arjan Das.
8. Shri R. K. Dhawan.
9. Shri Sanjay Gandhi.
10. Shri Vishwa Bandhu Gupta.
11. Shri Yashpal Kapoor.
12. Shri Bansi Lal.
13. Shri S. R. Mehta.
14. Shri R. C. Mehtani.
15. Shri R. J. Paddikkal.
16. Shri P. C. Sethi.
17. Shri Adil Shaharyar.
18. Shri Vidya Charan Shukla.
19. Shri Raunaq Singh.
20. Smt. Rukhsana Sultana.
21. Shri Sagar Suri.
22. Shri B. R. Tamta.
23. Shri N. D. Tiwari.
24. Shri Mohammed Yunus.

परिवार नियोजन अभियान के कारण हुई मृत्यु

764. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 और 1975-76 में परिवार नियोजन अभियान के कारण कितने व्यक्तियों को, राज्यवार, जान से हाथ धोना पड़ा;

(ख) मृत्यु के लिये कितने व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को किस प्रकार का मुआवजा दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क), (ख) और (ग) राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

765. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई के श्रमिक मार्च, 1977 से हड़ताल पर हैं;

(ख) इससे उत्पादन में कितनी कमी हुई है तथा श्रमिकों को मजूरी के रूप में कितना घाटा हुआ; और

(ग) क्या सरकार ने हड़ताल समाप्त कराने के लिए दोनों पक्षों में समझौता कराने हेतु कोई प्रयास किया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) यह मामला वस्तुत: राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इसे महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में ला दिया गया । उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों की मांगों को तय करने में की गई अभिकथित देरी के विरोध में उक्त एकक के श्रमिकों ने जो हड़ताल शुरू की थी, वह राज्य श्रम मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के परिणामस्वरूप संबंधित पक्षों में समझौता हो जाने पर 12 मई, 1977 से समाप्त हो गई ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976

766. **श्री शंभू नाथ चतुर्वेदी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत निवेश करने की तरीख 17 जुलाई, 1976 को वास्तविक मालिकों, जिन्होंने इन शेयरों को अनाम हस्तांतरणों में खरीदा था, की अपेक्षा पंजीकृत शेयर होल्डरों को अर्जित शेयरों के लिए मुआवजा देय हो जाने के कारण अत्यधिक विरोधी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जब कि इन शेयरों का स्टाक एक्सचेंज में खुले रूप में सौदा हो रहा है और ऐसे हस्तांतरणों को, जो यद्यपि पूर्णतया वैद्य है, कंपनी की बहियों में बाद वाली बही बन्द करने तक पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, और

(ख) क्या सरकार का विचार अधिकार पूर्ण मालिकों को अपना उचित मुआवजा प्राप्त करने देने के लिए कानून में उपयुक्त रूप से संशोधन करके स्थिति को ठीक करने का है जिससे निवेशकर्ताओं में भरोसे की भावना उत्पन्न हो ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) इस बारे में दो स्टाक एक्सचेंजों के आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अधिनियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । कंपनी नियम के अन्तर्गत कंपनी द्वारा केवल पंजीकृत अंशधारी को ही मान्यता दी गई है । शेयर

के अन्तरण के समय जहां अन्तरण लिखित में अन्तरिती का नाम नहीं लिखा जाता वहां अंतरिती और अन्तरक के बीच सामयिक भरोसा पैदा हो जाता है। कम्पनी नियम के अन्तर्गत इस प्रकार के भरोसे को मान्यता नहीं दी जाती है। अनाम अन्तरिती सामयिक भरोसे को अपने तथा पंजीकृत अंशधारी के बीच जिस ढंग से लागू करता है वह एक ऐसा मामला है जिससे कंपनी का कोई संबंध नहीं है।

हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डे

767. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंद महासागर में वर्तमान विदेशी सैनिक अड्डों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे अड्डे रखने वाली विदेशी शक्तियों के नाम क्या है; और

(ग) हिन्द महासागर को शांति "क्षेत्र" बनाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) भारत सरकार को हिंद महासागर में दिएगो गार्सिया जैसे वर्तमान विदेशी सैनिक अड्डों के बारे में तो जानकारी है परन्तु उसे हिन्द महासागर में अन्य विदेशी सैनिक अड्डों के बारे में कोई ठीक-ठीक जानकारी नहीं है।

(ग) हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र स्थापित करने में भारत सरकार का समर्थन सर्वविदित है। अधिकांश तटवर्ती और पश्चिम देशों समेत भारत ने हमेशा ही सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र और गुट-निरपेक्ष देशों का समूह भी शामिल है। भारत ने अन्य राज्यों के साथ सभी द्विपक्षीय विचार-विनियमों में भी इस प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन दिया है। भारत ने हिन्द-महासागर के बारे में संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया, जिसका वह सदस्य है और जिसे इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की क्रियान्विति का कार्यभार सौंपा गया है।

'नाटो' के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति की टिप्पणीयां

768. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "नाटो" की संख्या में और वृद्धि करने के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति, श्री कार्टर की हाल की टिप्पणी की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के एक निकट के पड़ोसी के 'नाटो' का सदस्य होने के विशेष परिप्रेक्ष्य में उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : जी हां।

(ख) भारत का कोई भी पड़ोसी देश "नाटो संधि" में शामिल नहीं है। भारत सरकार को बराबर यह आशा है कि शांति संवर्धन के प्रयासों और मुकाबले से बचने के माध्यम से न केवल बड़ी ताकतों के बीच और न केवल यूरोप में ही अपितु अन्य क्षेत्रों में भी तनाव कम होगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय डाक तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1974-75 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र तथा भारतीय तार नियम, 1976

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) भारतीय डाक और तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1974-75 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र (प्राप्ति के आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 351/77]

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (नौवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 36 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 352/77]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र, तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ तथा हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड त्रिवेन्द्रम के वार्षिक प्रतिवेदन

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : I beg to lay on the Table the following papers :—

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के लेखा सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन* के शुद्धिपत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालम में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 353/77]

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 354/77]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 355/77]

खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन और खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

*प्रतिवेदन 25 अगस्त, 1976 को सभा पटल पर रखा गया था ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 356/77]

(दो) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 486 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 357/77]

कोयला खान भविष्य निक्षेप-सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम 1977, कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 तथा एक विवरण

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला-खान निक्षेप-सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 647 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 358/77]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1977 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 473 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सां० सां० नि० 534 जो दिनांक 16 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 जुलाई, 1976 की अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 488 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1977 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 571 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी निक्षेप-सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम 1977 जो दिनांक 21 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 648 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 1977 जो दिनांक 28 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 677 में प्रकाशित हुई थी।

(3) जेनेवा में जून, 1975 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 60वें सत्र में स्वीकृत अभिसमय तथा सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल टी० 359/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

न्यायाधीशों के कथित कच्चे चिट्ठे (डोजियर्स)

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान, कर्नाटक के मुख्य मंत्री न्याधिपति के इस प्रकाशित वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में 20 या 24 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में 'डोजियर' तैयार किए हैं तथा मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : महोदय, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधिपति के प्रकाशित वक्तव्य में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में डोसियर रखे गए हैं जिनमें यह दर्शित है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम या 24 सूत्रीय कार्यक्रम प्रति उनके दृष्टिकोण क्या हैं। मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वह न्यायाधीशों के संबंध में डोसियर न तो रख रही है और न उसका ऐसा करने का इरादा है। यह सरकार ऐसी निष्पक्ष न्यायपालिका को महत्व देती है जो मामलों का विनिश्चय विधि के अनुसार करती है। सरकार की दिलचस्पी यह पता लगाने में नहीं है कि न्यायाधीशों के निजी राजनैतिक विचार क्या हैं। यदि पूर्ववर्ती सरकार के किसी सदस्य ने न्यायाधीशों के राजनैतिक विचारों के संबंध में कोई डोसियर रखे थे तो वे हमें सौंपे नहीं गए हैं।

श्री वयालार रवि : न्यायपालिका लोकतन्त्र का महत्वपूर्ण अंग होती है तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाने का अर्थ होगा, लोगों के हितों पर आघात करना। न्यायाधीशों में यह भ्रामक धारणा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा न्यायपालिका की स्वाधीनता को आघात पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने न तो आपात स्थिति में ऐसा किया है न अब करना चाहती है तथा न कभी भविष्य में ऐसा करेगी। हम स्वतन्त्र न्यायपालिका के पक्षपाती

है। भारत में जब कभी भी न्यायापालिका तथा कार्यपालिका या संसद् के बीच कोई टकराव हुआ, तो उससे हमें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र तथा अधिकारों को अच्छी तरह समझने में सहायता मिली। इस से हम लोकतन्त्र के दोनों संस्थानों को अच्छी तरह समझने में सफल हुये। हम अब भी यही चाहते हैं कि न्यायपालिका को सभी प्रकार के विचारों से अलग रखा जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य के अन्त में यह कहा है कि यदि भूतपूर्व सरकार के किसी सदस्य द्वारा कोई 'डोजियर' तैयार किये गये थे तो वह हमें नहीं दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिये था।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, वह श्री के० एस० हेगड़े संसद् सदस्य की उपस्थिति में दिया गया। देश में 350 के करीब न्यायाधीश है, क्या उन सभी की 350 फाइलें कोई सरकार अपने साथ लेकर जा सकती थी? अब कल को कर्नाटक के मुख्य न्याय-धीश के साथ गुजरात के न्यायधीश भी शामिल होकर इसी प्रकार का कोई वक्तव्य जारी कर दे तो उससे एक गलत धारणा फैल जायेगी। अतः मंत्री महोदय को इस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिये था जिससे कि इस प्रकार की भ्रामक धारणा को समाप्त किया जा सकता। मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वह सदन को यह स्पष्ट आशवासन दें कि भविष्य में न्यायपालिका को किसी प्रकार के विवाद में नहीं घसीटा जायेगा।

श्री शांति भूषण : मैंने अपने वक्तव्य में 'डोजियर' तैयार करने के संदेह का जो उल्लेख किया है वह इस आधार पर किया है कि हमें न्याय विभाग की एक फाइल में कुछ इस तरह का पत्राचार प्राप्त हुआ हैं जिनसे यह पता चलता है कि कुछ मुख्य न्यायधीशों तथा न्यायधीशों के बारे में कुछ रिकार्ड रखा जाता था। परन्तु जो बिना हस्ताक्षरों वाला वक्तव्य हमें फाइल में उपलब्ध हुआ है उसे किसी प्रकार के 'डोजियर' के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा है कि 'डोजियरों' का कोई सरकारी रिकार्ड नहीं था।

श्री के लकप्पा (तुमकुर) : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सदा ही न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाये रखने का प्रयास किया है। यद्यपि विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जैसे जापान आदि जहां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था से अनुमोदन कराना पड़ता है, परन्तु भारत में न्यायपालिका को बहुत प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है तथा हम यह चाहते हैं कि न्यायपालिका भारत में इसी उच्च आसन पर आसीन रहे।

किन्तु कुछ विवाद खड़े कर दिये गये हैं। श्री रवि ने जिस वक्तव्य का जिक्र किया उसके अतिरिक्त भी कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश का एक वक्तव्य 13 जनवरी, 1975 को प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि दो वर्ष पूर्व, जब वह एक साधारण न्यायाधीश थे, कर्नाटक के एक मंत्री ने उन्हें टेलीफोन पर कहा था कि एक रिट याचिका को रद्द कर दें। किन्तु उन्होंने उसकी अनसुनी कर दी।

12 अप्रैल, 1977 की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार उक्त न्यायाधीश ने कहा कि राज्य सरकार में कुछ मंत्रियों ने उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को फौजदारी के एक मामले में प्रभावित करने का प्रयास किया। किन्तु जब कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने उनसे मंत्रियों के नाम मांगे, तब मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रेस सम्मेलन बुलाकर वहां बताया कि दोनों नाम वह केन्द्रीय सरकार को बतला चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विधि मंत्री चाहें तो मैं दोनों मंत्रियों के नाम जाहिर कर दूंगा।

मेरा निवेदन है कि न्यायपालिका के लिए भी एक आचार संहिता होनी चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्रता से कार्य करना चाहिए। उसे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई आचार संहिता सरकार के विचाराधीन है ?

श्री शान्ति भूषण : यह सच है कि कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश ने कर्नाटक के दो मंत्रियों द्वारा न्यायालय के कार्य में हस्ताक्षेप किये जाने के बारे में लिखा है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं नामों का पता करके सभा को बता दूंगा।

माननीय सदस्य ने जो हमारी सरकार द्वारा न्यायालय के कार्यों में हस्ताक्षेप का भय प्रकट किया है, मैं इस बारे में विश्वास दिला सकता हूं कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप यह सरकार कभी नहीं करेगी।

श्री तुलसी दास दासप्पा (शोलापुर) : यहां स्पष्टीकरण मांगे जाने का उद्देश्य यह जानना है कि क्या सरकार द्वारा जजों के बारे में 'कच्चा चिट्ठा' (डोसियर) रखा गया था जैसा कि कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है ?

दूसरी बात यह है कि क्या न्यायाधीशों को अपनी राजनैतिक विचार-धारा खुले रूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता है ?

विधि मंत्री ने अपने वक्तव्य में ठीक ही कहा है कि वह न्यायाधीशों की निजी राजनैतिक विचार-धारा की जांच नही करना चाहते परन्तु प्रश्न यह है कि क्या वे अपनी राजनैतिक विचार-धारा सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश बराबर ऐसा करते रहे हैं। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में न्यायाधीशों के लिए आचार-संहिता की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

श्री शान्ति भूषण : न्यायाधीशों की आचार संहिता तैयार करना सरकार का कार्य नहीं है। यह मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में ही तैयार की जानी चाहिये।

श्री वी० एम० सुधीरन (अलप्पी) : मुझे खुशी है, कि सरकार का इरादा न्यायाधीशों की राजनीतिक विचार धारा की जांच करने का नहीं है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय प्रयत्न करेंगे कि न्यायाधीशों को विवाद का विषय न बनाया जाये। न्यायाधीशों को किसी राजनैतिक विवाद में न पड़ कर अपनी गरिमा बनाये रखनी चाहिए।

श्री शान्ति भूषण : मेरा विश्वास है कि देश का कोई भी न्यायाधीश राजनैतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता यदि किसी सार्वजनिक हित के मामले में कोई न्यायाधीश अपनी राय प्रकट करना चाहता है तो इसमें कोई हानि नहीं है। मैं समझता हूं कि इस देश में न्यायाधीश राजनैतिक विवाद में नहीं पड़ते।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1974-75

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (General), 1974-75

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं बजट (सामान्य) 1974-75 की अतिरिक्त मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक

PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री शान्ति भूषण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

बजट (रेल), 1977-78

BUDGET (RAILWAYS) 1977-78

अध्यक्ष महोदय : छः घंटे का समय रेल बजट पर चर्चा के लिए दिया जायेगा। जो सदस्य रेल बजट पर कटौती प्रस्ताव देना चाहें वे 15 मिनट में दे दें।

श्री के० सूर्यनारायण (एलरू) : मांग संख्या 1 में रेलवे बोर्ड के सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए 2.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त सदस्यों, सहायक निदेशकों, सम्पर्क अधिकारियों तथा प्रोटोकोल अधिकारियों के पदों को समाप्त करके इसमें बचत की जा सकती है।

लखनऊ में स्थित रिसर्च, डिज़ाइन्स और स्टेन्डर्डस संगठन के लिए 5.26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। खर्चे की तुलना में इस संगठन के कार्य की उपयोगिता पर विचार किया जाना चाहिए।

मद्रास, विजयवाड़ा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के लिए 51.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस पर लगभग 21 करोड़ रुपए लग गये हैं। क्या रेल मंत्री बतायेंगे कि इसमें कितनी प्रगति हुई है। इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाये।

बुक स्टाल बेरोजगार स्नातकों को दिये जाने का आश्वासन दिया गया था। परन्तु उन्हें छोटे स्टेशन दिये जा रहे हैं जहां वे 100 रुपए महीना भी नहीं कमा सकते। सरकार को उन्हें बड़े स्टेशन देने चाहिएं।

जनता रेल गाड़ियों में तथा तमिलनाडु एक्सप्रेस में अच्छा खाना नहीं दिया जाता। मेरा सुझाव है कि पोलीथीन के सीलबंद में खाना दिया जाये।

कुछ वर्ष पहले बदरायलम से कोवूर तक एक नई लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। लेकिन इन मांगों में इस बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	3	श्री पी० राज-गोपाल नायडू (चित्तूर)	रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।
	4	,,	रेलवे बोर्ड पर व्यय घटाने की आवश्यकता ।	,,
2	5	,,	तिरुपति से कटपाडी मीटर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बद-लने के लिये सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता ।	,,
	6	,,	गुंटाकल-धर्मवरम बंगलौर सिटी अन्तिम सर्वेक्षण-इंजी-नियरी सर्वेक्षण पूरा करने की आवश्यकता ।	,,
4.	7	,,	प्रशासन का व्यय घटाने की आवश्यकता ।	,,
5	8	,,	रेलवे लाइनों का उचित अनु-रक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
9	9	,,	दावों को समय पर निपटाकर मुआवजा देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें ।
14	14	,,	तिरुपति--कटपाड़ी मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	,,
	15	,,	चित्तूर जिले, आंध्र प्रदेश, दक्षिण रेलवे के पिलेर नामक स्थान पर फ्लैग स्टेशन बनाने की आव-श्यकता ।	,,
	16	,,	चित्तूर रेलवे स्टेशन (जिला मुख्या-लय), आंध्र प्रदेश (दक्षिण रेलवे) का नवीकरण करने की आवश्य-कता ।	,,

1	2	3	4	5
	17	**श्री पी राजगोपाल नायडू (चित्तूर)**	मंगापुरम, चन्द्रगिरी ताल्लूक, चित्तूर जिला, दक्षिण रेलवे, आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशन बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिया जाये।
	18	,,	चन्द्रगिरी ताल्लुक, चित्तूर जिले, दक्षिण रेलवे पर पकला और पनपक्कम के बीच बटेनावरीपल्ली नामक स्थान पर रेलवे स्टेशन बनाने की आवश्यकता।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये।
6	46	,,	रेल कर्मचारियों को बोनस देने में असफलता।	,,
	47	,,	रेल कर्मचारियों को अनिवार्य ज़मा राशि लौटाने में असफलता।	राशि में 100 रु० घटा दिया जाये।
6	48	,,	गुंटाकल डिवीजन में एक वर्ष पहले छंटनी किये गये 1000 रेल कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता।	,,
	49	,,	हड़ताल के दौरान छंटनी किये गये विस्थापित नैमित्तिक, श्रमिकों को रेल कर्मचारियों (नैमित्तिक श्रमिक) की बहाली को ध्यान में रखते हुए बहाल करने की आवश्यकता।	,,
	50	,,	गुंटाकल रेल परिवहन शैड में स्थायी प्रकार का कार्य करने के लिये नियुक्त किये गये नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी बनाने की आवश्यकता।	,,
	51	,,	गुंटाकल डिवीजन में रेल कर्मचारियों को रात्रि भत्ते समयोपरि भत्ते और वेतन वृद्धि की बकाया राशि का भुगतान न करना।	,,
	52	,,	रायचूर स्टेशन पर कोयले की भारी मात्रा में चोरी को रोकने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
9	53	श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तुर)	कटपाड़ी और तिरुपति और पकला और धर्मवरम के बीच अधिकांश यात्री गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगाने की आवश्यकता।	राशि में 100 रु० घटा दिया जायें।
9	54		तिरुपति और कटपाड़ी के बीच गाड़ी संख्या 121 को पुनः चालू करने की आवश्यकता।	,,
	55		जी०टी० और तमिलनाडु, एक्स-प्रेस गाड़ियों में जल पान सेवा के लिए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
14	56		गुन्टाकल रेलवे डिवीजन को दक्षिण मध्य रेलवे में शामिल करने की आवश्यकता।	,,
1	21	श्री बी० के० कोडियान (अडूर)	बिहार में आरा सासाराम लाइट रेलवे को अपने हाथ में लेने में असफलता।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये।
	22	,,	रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती बिना उन्हें नियमित सेवा में रखे जारी रखना।	,,
	23	,,	रेलवे लाइनों के दोनों ओर अप्रयुक्त और फालतू भूमि को विशिष्ट अवधि के लिये किसानों को खेती के लिये देने सम्बन्धी कोई ठोस नीति बनाने में असफलता।	,,
1	24	,,	मार्टिन एण्ड बर्न कम्पनी द्वारा आरा-सासाराम लाइट रेलवे बन्द किया जाना जिसके परिणामस्वरूप इस लाइन पर काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
5	25	,,	केरल में पूनालूर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म को बढ़ाने और ऊंचा और आइलैण्ड प्लेट-फार्म की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
	26	श्री पी० के० कोडियान (अडूर)	पूनालूर रेलवे स्टेशन के प्लेट-फार्म की छत की विद्यमान त्रुटियां दूर करके इस छत को पूरे प्लेटफार्म पर बनाने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें।
	27	,,	अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा रेलवे भूमि का दुरुपयोग रोकने के लिये कनक्रीट की बाड़ लगाने की आवश्यकता।	,,
8	28	,,	केरल में पूनालूर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त माल यातायात, विशेषकर अन्नानास के निर्यात के मामले में, की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
9	29	,,	रेलगाड़ियों में विभागीय खान-पान व्यवस्था में और सुधार लाने की आवश्यकता।	,,
14	30	,,	एर्नाकुलम-एलेपी रेलवे लाइन का निर्माण आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
	31	,,	केरल में गुरुवयूर-कुट्टीपुरम रेलवे लाइन का निर्माण आरम्भ करने की आवश्यकता।	,,
	32	,,	दक्षिण रेलवे के ओलावाकोट-त्रिवेन्द्रम सेक्शन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।	,,
	33	,,	पूनालूर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे भूमि के साथ-साथ एक सड़क बनाने की आवश्यकता ताकि स्थानीय लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिये रेल की पटरी पर चलना न पड़े।	,,

1	2	3	3	5
1	34	श्री पी०के० कोडियान (अडूर)	रेल सामान की चोरी के कारण रेलों को हुए नुकसान को दूर करने में असफलता ।	राशि में 100 रु० घटा दिये जायें ।
	35	,,	रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता ।	,,
	36	,,	वर्षा और बाढ़ के दौरान पुलों की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता ।	,,
	37	,,	पुराने रेल पुलों की दशा का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ताकि उनमें जहां आवश्यक हो सुधार किया जा सके ।	,,
	38	,,	रेलों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में रेलवे बोर्ड की असफलता ।	,,
	39	,,	लम्बी दूरी वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी वर्गों को समाप्त करने और उनके स्थान पर ऐसी गाड़ियों में और अधिक वातानुकूलित शायिकाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
	40	,,	रेलों के व्यय में फिजूलखर्ची दूर करने और मितव्ययता बरतने में असफलता ।	,,
	41	,,	रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन में तेजी लाने की आवश्यकता ताकि क्षेत्रीय स्तर पर शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जा सके ।	,,
	42	,,	कतिपय अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू काम कराने की अवांछनीय प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
	43	श्री पी० के० कोडियान (अडूर)	रेलों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पदों में अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को और अधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिया जाए।
	44	,,	खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं को कोचीन और केरल के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में वैगनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
	45	,,	तमिलनाडु एक्सप्रेस के कर्मचारियों के विश्राम और ठहरने के लिए नई दिल्ली में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
1	123	,,	रेलवे स्टेशनों को साफ और स्वच्छ रखने में असफलता।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये।
	124	,,	रेलवे कर्मचारियों के संगठनों से कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में बातचीत करके समझौता करने में असफलता।	,,
	125	,,	केरल में थियुमाला और एरियाकन पंचायतों में रेलवे की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को रेल अधिकारियों द्वारा तंग किया जाना रोकने में असफलता।	,,
	126	,,	दूसरी श्रेणी के रेल यात्रियों की आवश्यकताओं जैसे प्रतिक्षालयों, प्लेटफार्म बैंचों और स्नान की सुविधाओं की निरन्तर उपेक्षा।	,,
1	57	श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर)	दिल्ली में शक्तिनगर क्रासिंग पर उपरी पुल बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।

1	2	3	4	5
	58	श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर)	दिल्ली तथा अन्य नगरों में रेल कर्मचारियों के लिए अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	राशी में से 100 रु० घटा दिए जाएं ।
	59	,,	केला गोदाम को कुतब रोड, दिल्ली से नई सब्जी मंडी आजादपुर, दिल्ली ले जाने की आवश्यकता ।	,,
5	62	,,	दिल्ली में सब्जी मण्डी, अन्धा मुगल और अन्य क्षेत्रों में रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत करा कर उन्हें ठीक स्थिति में रखने की आवश्यकता ।	,,
	63	,,	दिल्ली में सभी रेलवे स्टेशनों का ठीक तरह से अनुरक्षण करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
14	67	,,	दिल्ली में यथाशीघ्र भूमिगत रेलवे की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
1	68	श्रीमती पावती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	रेल कर्मचारियों के लिए बोनस घोषित करने में असफलता ।	राशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाये ।
	69	,,	रेलवे को उद्योग घोषित करने और तदनुसार रेल कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित करने में असफलता ।	,,
	70	,,	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी वर्क्स-यूनियन के कार्यकर्त्ताओं को, जिन्हें श्रमिक संघ गतिविधियों के कारण दण्डित किया गया था, पुनः सेवा में लेने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
	71	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	डिन्डीगुल-तिरुनलवेली लाईन को बड़ी लाईन में बदलने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।
	72	,,	सभी पंजीकृत संघों तथा महासंघों को मान्यता देने में असफलता।	,,
	73	,,	इंटीग्रल कोच फैक्टरी वर्क्स-यूनियन जो पेरम्बूर स्थित फैक्टरी में काम कर रही है, को मान्यता देने में असफलता।	,,
1	74	,,	रेलवे द्वारा वहन किये जा रहे सामाजिक भार को सरकार को सौंपने में असफलता जैसा कि अन्य देशों में होता है।	,,
	75	,,	दूसरे दर्जे के किराये को कम करने में असफलता।	,,
	76	,,	1949, 1960 और 1968 में दंडित किए गए कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने में असफलता।	,,
	77	,,	रेलगाड़ियों की दुर्घटनाएं रोकने के लिये उपाय करने में असफलता।	,,
	78	,,	न्यायालय निर्णय और श्रमिक संघों के रजिस्ट्रार के निर्णय के बावजूद साऊथ ईस्टर्न रेलवेमेनस यूनियन की मान्यता बहाल करने में विलम्ब।	,,
	79	,,	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
	80	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी पदों पर खपाने में असफलता।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाए।
	81	,,	कन्टीन और डाइनिंग कार स्टाफ को स्थायी पदों पर खपाने में असफलता।	,,
	82	,,	सभी रेल कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की उनकी देय राशि का भुगतान करने में असफलता।	,,
1	83	,,	एक समेकित रेल-सड़क-जल परिवहन नीति बनाने में असफलता।	,,
	84	,,	एक नई औद्योगिक सम्बन्ध नीति बनाने में असफलता।	,,
	85	,,	मई 1974 की आम हड़ताल के मांग पत्र पर एन०सी०सी० आर० एस० के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत पुनः आरम्भ करने में असफलता।	,,
	86	,,	बिहार में आरा-सासाराम और फतुआ-इस्लामपुर लाईन पर मार्टिन लाईट रेलवे को अपने अधिकार में लेने में असफलता।	,,
	87	,,	मार्टिनबर्न कम्पनी द्वारा बिहार में मार्टिन लाईट रेलवे बन्द करने के बाद उसके कर्मचारियों को निरन्तर काम की गारन्टी देने में असफलता।	,,
	88	,,	दक्षिण रेलवे में मद्रास-त्रिवेलोर लाईन का विद्युतीकरण पूरा करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
	89	,,	सभी गाड़ियों, विशेषकर लम्बी दूरी और रात्रि में चलने वाली गाड़ियों में पहले और दूसरे दर्जे के प्रत्येक डिब्बे में कोच एटेंडेंट रखने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
	90	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	अनेक गाड़ियों में डिब्बों की अधिक संख्या के अनुरूप टिकट निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं ।
	91	,,	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को घरेलू नौकर समझने की घृणित प्रथा को समाप्त करने में असफलता ।	,,
	92	,,	विजयवाड़ा-मद्रास लाईन का विद्युतीकरण शीघ्र पूरा करने में असफलता ।	,,
	93	,,	दक्षिण रेलवे में स्नातक क्लर्कों की समस्यायें हल करने में असफलता ।	,,
	94	,,	इन्टीग्रल कोच-फैक्टरी, पेरम्बूर में अभिलेख सप्लाई कर्ताओं की मांगें मान लेने में असफलता ।	,,
4	95	,,	जयपुर डिवीजन में छटनीशुदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने में असफलता ।	,,
5	96	,,	यात्रा आरम्भ करने से पूर्व गाड़ियों में सभी बल्ब, पंखे और नल आदि के ठीक होने को सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
	97	,,	दक्षिण रेलवे के दक्षिण-पश्चिम बड़ी लाईन सेक्शन पर यात्री गाड़ियों के डिब्बों की दशा सुधारने में असफलता जिनकी छतें टकपती हैं और खिड़कियां खुलती या बन्द नहीं होती जिससे यात्रियों को बहुत कठिनाई और असुविधा होती है ।	,,

1	2	3	4	5
	98	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में पुलों का नियमत रखरखाव सुनिश्चित करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं।
	99	,,	मदुरै में चतुर्थ श्रेणी क्वार्टरों में पीने के पानी की सुविधायें जुटाने में असफलता।	,,
	100	,,	सभी रेलवे जोनों में रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत और अनुरक्षण पर ध्यान देने में असफलता।	,,
	101	,,	तमिलनाडु एक्सप्रेस और डिलक्स गाड़ियों में खान-पान कर्मचारियों को वही भत्ता देने में असफलता जो मंगलोर से जम्मू जयन्ती-जनता गाड़ी के उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है।	,,
14	102	,,	कोंकन लाईन पर काम आरम्भ करने में विलम्ब।	,,
	103	,,	डिन्डीगुल से निरुनलवेली तक बड़ी लाईन बनाने की आवश्यकता।	,,
	104	,,	एलेपी से एरनाकुलम तक नई लाईन का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
	105	,,	कुट्टीपुरम से गूरुवयूर तक नई लाईन बनाने की आवश्यकता।	,,
1	144	,,	रेलवे खान-पान विभाग में काम कर रहे ठेका श्रमिकों को रेलवे में नियमित सेवा में खपाने की आवश्यकता।	,,
	145	,,	रेलवे में ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
	146	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	रेलवे में दिए जाने वाले भोजन की किस्म सुधारने और उसका मूल्य कम करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं ।
	147	,,	रेलवे प्लेटफार्मों पर अधिकृत विक्रेताओं द्वारा यात्रियों से अत्यधिक मूल्य पर वस्तुएं न बेचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
	148	,,	दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए बनाये गये प्रतीक्षा कक्षों में सफाई का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
	149	,,	लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों में दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
5	150	,,	केरल में यात्रियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए प्लेटफार्मों पर छतों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
10	151	,,	तेलीचेरी और बीकानेर के रेल कर्मचारियों को उचित आवास सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
	152	,,	छोटे रेलवे स्टेशनों पर रेलवे क्वार्टरों में सफाई की बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
14	153	,,	एलप्पी और कोचीन के बीच नई रेलवे लाईन का निर्माण शीघ्र आरम्भ करने की आवअश्यकता ।	,,

11—437LSS/77

1	2	3	4	5
	154	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	तेलीचेरी और मैसूर बरास्ता कुर्ग नई रेलवे लाईन का निर्माण आरम्भ करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं।
	155	,,	कुट्टीपुरम और त्रिचूर के बीच बरास्ता गुरुवयूर नई रेलवे लाईन का निर्माण शीघ्र आरंभ करने की आवश्यकता।	,,
	156	,,	संकेत और दूर संचार वर्कशाप, पोडानूर में भ्रष्ट प्रथाओं की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष जांच समिति नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
	157	,,	विभिन्न जोनों और रेलवे बोर्ड स्तर पर उच्च अधिकारियों की संख्या कम करने और गाड़ियों की संख्या तथा डीज-लीकरण और विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों में तदनुरूप वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
	158	,,	दक्षिण रेलवे पर तमिलनाडु में छात्रों और व्यापारियों के हित में अधिक यात्री गाड़ियां तिरुपुर स्टेशन पर रोकने की आवश्यकता।	,,
	159	,,	गौंडा (पूर्वोत्तर रेलवे) में रेल कर्मचारियों को, जिन्हें आपात स्थिति के दौरान गलत और मामूली आरोपों पर दण्डित करके सेवा से निकाल दिया गया था, बहाल करने में असफलता।	,,
	160	,,	सभी श्रमिक संघों से बातचीत करके रेल मार्ग अनुरक्षण कार्यों का मापदण्ड वास्तविक और वैज्ञानिक ढंग से पुनः निश्चित करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
	161	श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर)	तृतीय श्रेणी के "कीमैन" और "मेट" के पदों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं ।
	162	,,	दक्षिण-मध्य-रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिकों में मजूरी में भेदभाव समाप्त करने में असफलता ।	,,
	163	,,	दक्षिण-मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन में खलासियों की भर्ती के लिए जूनियरों की जांच करने की प्रथा समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
	164	,,	दक्षिण रेलवे के ओलावाकोट डिवीजन में शोरानूर में महिला कर्मचारियों को रोजगार देने से निरन्तर इन्कार ।	,,
10	165	,,	दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिकों के आवास के लिए अस्थायी शैड बनाने की आवश्यकता ।	,,
	166	,,	नैमित्तिक श्रमिकों को रेलवे में अस्थायी पदों पर लिए जाने तक चिकित्सा के लिए शनाख्ती कार्ड जारी करने की आवश्यकता ।	,,
	167	,,	एनसीसीआरएस के साथ मई, 1974 में की गई बातचीत में स्वीकार किए अनुसार सभी रेलों में सरकारी वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानें खोलने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
1	106	श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) ।	गुजरात में भावनगर-तारापुर नई रेल लाइन के निर्माण को चालू करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं ।
	107	,,	नई रेल लाइनों के निर्माण की श्रेणी में नाडियाड-कापड़वंज-मुड़ासा लाइन को शामिल करने के उद्देश्य से प्रारम्भिक सर्वेक्षणों, और प्रतिवेदनों को पूरा करने की आवश्यकता, ताकि गुजरात में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र साबरकांठा के विकास की गति को तेज किया जा सके ।	,,
	108	,,	दैनिक यात्रियों के लिये सुविधा-जनक समय-सारिणी बनाकर, सुविधाएं प्रदान करके और हाल्टिंग स्टेशन बनाकर गांधी-नगर-अहमदाबाद लाइन में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
	109	,,	अहमदाबाद के निकट रानिप और साबरमती के बीच रेलवे पैदल पुल का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
	110	,,	दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता ।	,,
	111	,,	गुजरात के छोटा उदयपुर और बड़ौदा क्षेत्रों में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की आवश्यकता ।	,,
	112	,,	अहमदाबाद के बीच बड़ी लाइन के विद्युतीकरण के पूरा हो जाने के बाद वर्तमान में चल रही एक्सप्रैस गाड़ियों की गति बनाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
	113	श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर)	विशेषकर उपनगरीय क्षेत्रों में दर्जनों रेलवे फाटकों पर चौकीदार वाले अधिक फाटकों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता ताकि बार बार होने वाली गम्भीर और घातक घटनाओं, जिनमें जन और धन की भारी हानि होती है, को रोका जा सके।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं।
	114	,,	अहमदाबाद और अमृतसर के बीच एक नई एक्सप्रैस गाड़ी चलाने की आवश्यकता ।	,,
	115	,,	अहमदाबाद और वाराणसी के बीच इस समय चल रही साबरमती एक्सप्रैस की गति बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
	116	,,	विभिन्न रेलवे कालोनियों में रह रहे रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये पर्याप्त और बेहतर शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।	,,
	117	,,	गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में रेल लाइनों के वर्तमान नेट-वर्क का सरलीकरण करने और उस क्षेत्र में कुछ एक्सप्रैस गाड़ियों की गति बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
	118	,,	देश में सभी मुख्य स्टेशनों पर सीटों और बर्थों के आरक्षण और बुकिंग के बारे में और अधिक बेहतर और कुशल व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
	119	श्री पी० वी० मावलंकर (गांधी नगर)	सभी पुलों विशेषकर ट्रंक मार्गों और भारी यातायात वाले पुलों की पूरी तरह जांच पड़ताल करने और क्षति-ग्रस्त और कमजोर पुलों की शीघ्र मरम्मत करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाएं
	120	,,	रेलों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम करने के लिये कारगर, प्रशंसनीय और दाण्डिक उपाय करने की आवश्यकता।	,,
	121	,,	वैगनों के उचित और सावधानी पूर्वक आयोजन और अलाटमेंट की आवश्यकता ताकि सारे देश में उद्योग और वाणिज्य का बेहतर संवर्धन हो सके।	,,
	122	,,	पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से हटाकर गुजरात में किसी अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान पर ले जाने की आवश्यकता।	,,
1	127	श्री पी० के० देव (कालाहांडी)	दक्षिण पूर्व रेलवे में अमागुडा से केसिंगा अथवा लन्जीगढ़ सड़क लाइन को आरम्भ करने की शीघ्र आवश्यकता।	,,
	128	,,	कलिंग एक्सप्रेस को नई दिल्ली से पुरी तक बरास्ता रायपुर, विजियानगरम ले जाने की वांछनीयता।	,,
	129	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे में केसिंगा पर सड़क उपरि-पुल बनाने की आवश्यकता।	,,
	130	,,	केसिंगा पर एक महिला प्रतिक्षालय बनाने की आवश्यकता।	,,

1	2	2	4	5
	131	श्री पी० के० देव (कालाहांडी) :	रेलवे सेवा आयोग को एक सांविधिक निकाय बनाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घाटा दिये जाए।
	132	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को उड़ीसा में किसी स्थान पर ले जाने की वांछनीयता।	,,
	133	,,	पी०सी०सी० रेल शायिकाओं के निर्माण और पूर्ति का काम एकाधिकारी गृहों के स्थान पर लघु उद्योगों को सौंपने की वांछनीयता।	,,
	134	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे के रायपुर-विजागापत्तम सेक्शन पर शीघ्र एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की आवश्यकता।	,,
	135	,,	अस्थायी रेल कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता।	,,
	136	,,	दक्षिण पूर्व रेलवे में जकपुरा-बांसपारी रेलवे लाइन को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	,,
	137	,,	रेलों में जलपान व्यवस्था को सुधारने की वांछनीयता।	,,
	142	श्री एन० श्री कान्तन नायर	केरल में गुरुवयूर-कट्टीपुरम रेलवे लाइन का निर्माण आरम्भ की आवश्यकता।	,,
	143	,,	दक्षिण रेलवे के ओलावाकोट-त्रिवेन्द्रम सेक्शन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता।	,,

SHRI DHARAMASINHBHAI PATEL (Porbandar) : Sir, I have to say something on these demands. Item No. 8 on page 306 i.e. Viramgaon—Okha—Porbandar Section relates to convertion of line from metre gauge to broad gauge. The progress of this work is very slow. The work should be expedited. It should be ensured that it is completed as early as possible.

There is a great need for constructing overbridges in Saurashtra region especially at Porbandar, Junagarh and Rajkot. At present an overbridge this being constructed at

railway crossing number 3 between Rajkot and Bhaktinagar on Rajkot, Jetalsar Section. It should be completed as early as possible.

The work of conversion of the metre gauge line from Delhi to Sabarmati into broad gauge should be started soon.

Fast trains should be introduced from Veraval to Ahmedabad and Porbandar to Mehsana.

There is a long standing demand for the construction of Sardiya Kutiyana line which is only 25 kms. long. It will greatly benefit the people of that area.

The famous temple of Somnath is at a distance of 3 kms. only from Veraval which is a railway Station. If the line is extended upto Somnath, it will greatly remove the inconvenience of Pilgrims.

More ordinary coaches should be provided in the trains which run through our area. It will provide much relief to the passengers. At present the number of two tier and three tier coaches is generally more than the ordinary second class coaches.

In my area there are about 10 or 11 Stations which have not been electrified so far. Drinking water is also not available at most of the places. I hope the hon'ble Minister will pay attention to these problems of my area.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी): रेल मंत्री के इस कथन से मैं सर्वथा सहमत हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये रेलों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। यह उल्लेख करते समय मंत्री जी ने कहा कि कोरापुट-पार्वतीपुरम रेल लाइन को घाट सैक्शन पर किरांडुल-कोट्टावालसा लाइन के विकल्प के रूप में तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है। लेकिन यह तो वैसा ही मार्ग है। प्रस्तावित लाइन को अनन्तगिरी की ढलान में से गुजरना है और 30-40 सुरंगें पार करनी होंगी। अतः कोई बढ़िया मार्ग आपने नहीं ढूंढ़ा है। मैंने मंत्री जी को सुझाव दिया था कि अमागुडा-लांजीगृह-केसिंगा रेल लाइन आरम्भ की जाये जिससे दंडकारण्य क्षेत्र की औद्योगिक सम्पदा का व्यापक उपयोग किया जा सके।

इस क्षेत्र में अल्यूमीनियम के विशाल भंडार हैं। अमागुडा-लांजीगृह-केसिंगा रेल लाइन से बहुत लाभ होगा क्योंकि यह क्षेत्र काफी घना बसा हुआ है। वहां अल्यूमीनियम संयंत्र लाये जाने के लिए बिजली की जरूरत है। बिजली बनाने का एक कारखाना जयपटना के स्थान पर बनाया जाना चाहिये। इससे 5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी। यह क्षेत्र दुर्भिक्षग्रस्त है और इस तरह हम इस क्षेत्र को अनाज का घर बना सकेंगे।

रेल लाइनें बिछाते समय रायपुर-विशाखापत्तनम से विशाखपत्तन तक जाने वाली लाइन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इस समय दिल्ली से पुरी के लिए दो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं। एक साप्ताहिक कलिंग एक्सप्रेस और दूसरी त्रसाप्ताहिक उत्कल एक्सप्रेस। दोनों गाड़ियों का मार्ग एक ही है। उत्कल एक्सप्रेस पूरे उत्कल प्रदेश में नहीं जाती। कलिंग एक्सप्रेस को विलासपुर-रायपुर-विजयनगरम से होकर पुरी पहुंचना चाहिए। डीजल की शक्ति से उस मार्ग पर गाड़ी को आसानी से ले जाया जा सकता है।

मंत्री जी को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को भुवनेश्वर या झारसुगुडा ले जाया जा सकता है। कलकत्ता में तीन रेलवे—पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और महानगरीय रेलवे के मुख्यालय हैं। उड़ीसा के पिछड़ेपन को देखते हुए इन्हें अन्य स्थानों पर ले जाना चाहिये ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : Sir, first of all I want to congratulate the Railway Minister for reinstating all the employees who had participated in the Strike. This has resulted in the increased production and better relation between the workers and administration. But at the same time we want that inefficient, and sluggish and irresponsible workers should be dealt with sternly so that the safety of public is not jeopardized. While we are all in favour of reinstatement of the victimised workers, we also want that strict action be taken against the defaulting workers so that there is no deterioration in train services.

The Hon'ble Railway Minister takes much interest in the welfare of railwaymen. Sometime back some good officers had taken initiative for training etc. Later on it was turned into a regular training institution. Ths type of organisations should be started at all places so that the children of railway employees are able to earn something to assist their families later on.

It is particularly necessary to pay attention to the sanitary conditions in trains. Repairs and maintenance should also not be neglected.

There is large scale pilferage of railway property and what is worse this stolen property is resold to the railways. This results in great loss to the railways. Some concrete steps should be taken to stop it.

There cannot be two opinions about the need for opening new railway lines. New trains may be introduced even in the farthest areas. I may suggest that even the beautification drive for stations can be stopped to utilise funds exclusively for laying new lines. Similarly convertion programme can be delayed for sometime so that the railway trains reach every nook and corner of the country. There are many areas in the country where there are no communication facilities. One such area that of Mahrauni in Lalitpur district of U.P. Such areas need more attention.

Corruption is prevalent almost is every department but it is much more in railways. Utilisation of Class IV workers for domestic work is also a form of corruption. It should be stopped.

So far as health services are concerned, the Minister should see that preventive services are also provided. For example, there is great need for the prevention of T. B. and leprosy among railway employees.

The catering service should be improved and the food served to the passengers should contain balanced diet. Then there are many railway colonies where there are no proper sanitation, street light and drinking water facilities. These are urgent problems which need immediate attention.

Some new and important stoppages should be introduced so far as fast trains are concerned. This can be easily done by cutting the stoppage time by few minutes at some of the big stations. The Dakshin Express stops at Lalitpur station but passengers are not admitted. This practice should go. The G. T. Express should also stop at this station. More bogies should be attached to the Amritsar Express. This will provide much needed relief to the passengers. I hope the hon'ble Minister will take steps to gear up the whole railways set up.

श्री पूर्ण सिंहा (तेजपुर) : विपक्षी दल के सदस्य द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। मैं रेल मंत्री जी को समाजवादी और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई भी देता हूं। मैं यहां कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मेरे राज्य आसाम में कुल रेलवे लाइन 2200 किलोमीटर है और पड़ोसी राज्य नागालैंड में केवल 9 किलोमीटर रेल लाइन बिछायी गई है। शेष पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कोई रेल लाइन है ही नहीं।

मेरा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है वहां रेल लाइनें बिछाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । आसाम बंगाल रेलवे और पूर्व बंगाल रेलवे में सुधार की बहुत गुंजाइश है ।

आसाम में पैदा होने वाली चाय गोहाटी, सिलीगुड़ी, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों की मंडियों में ले जाने के लिए सुचारू परिवहन की जरूरत है । लोगों की शिकायत है कि उन्हें पर्याप्त बंद माल डिब्बे नहीं मिलते हैं । रेलवे एक वाणिज्यिक संगठन है और जनोपयोगी सेवा है । अतः रेल अधिकारियों को वहां जा कर लोगों की कठिनाइयों को समझना चाहिये । इससे रेल आय में भी वृद्धि होगी ।

आसाम में इमारती लकड़ी तथा अन्य लकड़ी उत्पाद भी पर्याप्त हैं । कलकत्ता में इमारती लकड़ी पांच गुना अधिक दामों पर बिकती है । परिवहन साधनों की कमी के कारण चीजें लाने ले जाने पर लागत बहुत आती है । इसलिए आसाम की ओर आपका ध्यान दिलाये जाने की बहुत आवश्यकता है ।

पूर्वोत्तर परिषद् ने भारत के इस क्षेत्र में नई रेल लाइनें बिछाने के बारे में कुछ प्रस्ताव दिये हैं । जिनमें गोहाटी से पारापानी तक रेल लाइनें बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है ताकि शिलांग शीघ्र पहुंचा जा सके । सिलीघाट से तेजपुर जाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने का भी प्रस्ताव है । हम चाहते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने के लिए 8 करोड़ की लागत से सड़क एवं रेल पुल का निर्माण किया जाये जिससे वहां की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आये और आर्थिक लाभ पहुंच सके ।

इस के साथ ही आसाम की राजधानी नदी की दक्षिणी किनारे पर एक केन्द्रीय स्थान सिलीघाट पर बनाने का विचार है । पूर्वोत्तर परिषद् ने 37 करोड़ रुपये की लागत का एक सड़क पुल बनाने का भी प्रस्ताव किया है । जिसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । जाखलाबंद से बरुआ बनगांव तक और वहां से जोरहट तक एक नई रेल लाइन बिछाई जा सकती है । आसाम के कई अच्छे क्षेत्रों में कोई रेल सेवा उपलब्ध नहीं है । बोंगाईगांव से गोहाटी तक लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये आसाम के लोगों ने 11 वर्ष तक आन्दोलन किया । लेकिन इस बारे में पिछली सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । इन सब बातों की ओर ध्यान दिये जाने का अब समय आ गया है ।

छपरमुख–शीलघाट, नाग नागिनीमोर–मोरनहाट, कटखल–लाल घाट और छपर मुख–मोरिया बारी चार रेलवे लाइनें गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही हैं । इनका प्रबन्ध रेलवे बोर्ड ने अपने हाथों में ले लिया है । इनसे होने वाली आय का आधा भाग उन्हें देना पड़ता है । देश की सम्पूर्ण रेलवे सरकार के अधिकार में होनी चाहिये । गैर-सरकारी लोगों के हाथों में नहीं । यदि इन लाइनों को अपने हाथों में लेने के लिये कुछ धन व्यय करना पड़े तो यह लाभ का 50 प्रतिशत प्राइवेट कम्पनियों को देने की तुलना में अधिक लाभदायक होगा ।

भाप के इंजनों से चलने वाली गाड़ियों की गति कम हो गई है । डीजल इंजनों की गति भी एक सी रही है । पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है । यदि रेलवे तेज गाड़ियां नहीं चलाती तो इस क्षेत्र में उद्योग से अधिक यातायात प्राप्त करना सम्भव नहीं है । अतः गाड़ियों की गति बढ़ाई जानी चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय को इस घोषणा के लिये बधाई देता हूं कि 30 मई, को हुई तेजपुर एक्सप्रेस दुर्घटना की न्यायिक जांच की जायेगी । बताया गया है कि इस दुर्घटना में 85 व्यक्ति मारे गये परन्तु

मेरी सूचना के अनुसार इसमें 91 व्यक्ति मारे गये हैं। अधिकारियों को अधिक सतर्क रहना चाहिये। परन्तु रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त के घटनास्थल पर रहने के बजाय वहां से 70 किलोमीटर दूर रंगिया में बैठकर जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें घटनास्थल का दौरा करना चाहिए और इस दुर्घटना को देवी आपदा कहकर यहीं बन्द करने के बजाय दोषी व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिये। अब चूंकि न्यायिक जांच हो रही है, मुझे आशा है कि वस्तुस्थिति का पता लगा लिया जायेगा।

रेलवे सुरक्षा दल पर भारी धन व्यय करने के बाद भी चोरियों की घटनाएं बढ़ रहीं हैं। इस मामले की जांच की जानी चाहिये और कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

चाय बागानों वाले रंगिया के सीमान्त क्षेत्र में डिविजनल कार्यालय स्थापित करने की मांग की गई है। यदि वहां पर डिविजनल कार्यालय बनाया जाता है तो रेलवे के विकास और आय में वृद्धि होने की काफी गुंजाइश है। अतः रंगिया को तुरन्त डिविजनल मुख्यालय बनाया जाये।

ठेकों के वितरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलवे के ठेके प्रतिशत के आधार पर दिये जाते हैं। इनकी दर 200 प्रतिशत ऊंची होती है। ठेकेदार प्रति 1000 किलोमीटर में 20 लाख रुपये से अधिक वसूल करते हैं। इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : किराये और भाड़े में वृद्धि किये बिना यह रेल बजट बहुत ही प्रशंसनीय है। माल और यात्री यातायात में भारी वृद्धि तथा कार्य-संचालन व्यय पर कठोर नियंत्रण से ही रेल मंत्री सामान्य राजस्व पर दबाव कम कर सके हैं। गत 15 महीनों में कार्यकुशलता के ऊंचे स्तर से ही वर्तमान सन्तोषजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और इस कुशलता को बनाये रखना होगा।

किराये और भाड़े के ढांचे की विस्तृत जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति रेल उपभोक्ताओं पर इस तर्क पर भार नहीं बढ़ाये कि आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं को लागू करने के लिये अतिरिक्त संसाधन चाहिये। यह सच है कि रेलों की वाहन क्षमता को बढ़ाने, नई लाइनें बिछाने और चल स्टाक में वृद्धि करने के लिये भारी राशि की आवश्यकता है। इसके लिये आप योजना आयोग से सम्पर्क करें या जनता से ऋण लेकर या विश्व बैंक से ऋण लेकर संसाधन जुटायें।

कोंकण के पिछड़े क्षेत्र के लोग कोंकण रेलवे को देश के अन्य भागों से मिलाने के लिये बहुत लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। अनेक बार वचन दिये जाने के बाद भी अधिकारियों ने यहां का सर्वेक्षण कराने के अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की है। इस नई रेल लाइन पर तुरन्त कार्य आरम्भ करना चाहिये ताकि इस पिछड़े क्षेत्र की गरीब जनता की आकांक्षाएं पूरी हो सकें।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारी रेलों का समन्वित विकास नहीं हुआ था क्योंकि उस समय ये गैर सरकारी कम्पनियों के हाथों में थी। लेकिन खेद है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी कोई सुव्यवस्थित योजना नहीं है। बम्बई–मंगलौर रेलवे लाइन भी उन रेल लाइनों में शामिल है जिनपर अभी काम आरम्भ किया जाना है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यदि यह लाइन पूरी हो जाती है तो केरल दिल्ली के और निकट हो जायेगा। बम्बई के लिये यात्री और माल यातायात में और वृद्धि हो जायेगी तथा बम्बई न केवल केरल अपितु रामेश्वरम के निकट हो जायेगा।

जहां तक हसन–मंगलौर रेल लाइन का सम्बन्ध है इस पर कई वर्ष से विलम्ब हो रहा है और इसके लिये कारण नहीं दिया गया है। लेकिन पता चला है कि इस लाइन के लिये जो धन नियत किया गया था

उसे उत्तरी भारत में खर्च किया जायेगा। कर्नाटक के लोगों को इस रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता है जो इसके पूरा होने की प्रतीक्षा में है। अत: इसे पूरा करने के लिये और तेजी से कार्य किया जाना चाहिए ताकि यह शीघ्र पूरा हो जाये।

कुर्ग में कोई रेल लाइन नहीं है। वहां पर चाय, काफी और वन उत्पाद पैदा होते हैं जिनसे विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। इसे मंगलौर बन्दरगाह से मिलाने के लिये एक रेल लाइन बिछाई जानी चाहिये। मंगलौर रेलवे स्टेशन का विस्तार भी किया जाना चाहिये। लोगों ने रेल मंत्री के बजट भाषण की प्रशंसा की है क्योंकि उन्होंने दूसरे दर्जे के यात्रियों को विशेष सुविधाएं देने का तथा रेल प्रशासन में सुधार करने का आश्वासन दिया है।

SHRI RAM KANWAR BERWA (Tonk): I congratulate the Railway Minister for not increasing the railway fares and freight this year. The people in general have appreciated the budget speech of the Railway Minister because he has given an assurance to provide special amenities to second class passengers and to introduce reforms in the administration of railways.

The system of making allotment of canteens on the railway stations is defective and there is a good deal of corruption in the matter. This system should be improved and nobody should be allowed to have more than one canteen.

It is painful to note that not a single new railway line has been laid down in Rajasthan since independence. The region of Tonk in Rajasthan is a backward area and it has been neglected all these years. The railway administration has put forward a plea of paucity of funds for not taking up construction of railway line leading upto Tonk. I will request the Railway Minister to consider the proposal of laying down railway line to connect the district headquarter of Tonk. Then there is also a long standing demand for Kota-Ajmer line. There is a line from Jaipur to Toda Rai Singh and it should be extended upto Chittor and each station on this line should be reopened.

It is learnt that there is a proposal for converting metre gauge line from Jaipur to Sawai Madhopur into broad gauge line. We have been demanding for it since long. If it is so, Tonk should be connected with this broad gauge line. A daily train service should be started from Jaipur to Bombay *via* Sawai Madhopur. I hope that Delhi-Ahmedabad metre gauge line will also be converted into broad gauge line this year.

Exploitation of class IV employees at the hands of higher railway offices should be stopped.

The method of recruitment to the services in railways should be improved. At present officers appoint persons of their own liking and well educated persons do not get chance.

I again request that the Tonk district headquarter should be linked with a rail line so that its industrial development can take place.

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA (Mandsaur): The Railway Minister has presented a balanced budget. We expect that there should be coordination among railways and regional imbalances will be removed. Several hon. Members have given their suggestions. But it appears that there has not been adequate expansion of railways in Madhya Pradesh Rail lines should be laid down in remote tribal areas, such as Bastar region in Madhya Pradesh.

It is good that the Railway Minister has given an assurance about reorganisation of the Railway Board and reduction in the number of its members.

The headquarters of Western Railway is situated at Bombay which is far away from the main area served by the Western Railway. It will be better if this headquarters is shifted to Ratlam or Baroda. Till then the Divisional Superintendents should be given more powers so that they should take decisions expeditiously. So far as laying down of new railway lines is concerned, it is painful to find that not a single new railway line is proposed to be constructed under the Western Railway. Survey has already been made in regard to Indore-Dohad line and Neemuch-Kota line. Those lines should be taken up at the earliest as they will serve the tribal people and tribal areas. Similarly survey of Ratlam-Banswada line has also been made, but it is not known what is the present position in regard to it.

It is said that 34 narrow gauge lines are running at a loss. All of them are still running but it is not known for what reason only two railway lines in Madhya Pradesh *i.e.* Ujjain-Agra line and Shibpuri-Guna line have been closed down.

Passengers travelling on metre gauge line are still facing great difficulties for lack of basic amenities. The railway line between kachgudi and Delhi is very important but there are no amenities for travelling public. The rolling stock in trains running on metre gauge should be replaced.

Necessary measures should be taken to do away with the corrupt practices in railway out-agencies. Steps should be taken to regularise the casual labour employed in Railways.

The expansion of loco shed at Neemuch should be taken up and completed at the earliest. There is a proposal to undertake electrification between Ratlam and Baroda. If it is extended upto Kota, it will bring more profit to the Railways.

श्री वयालार रवि (चेरीयेंकलि) : यह दावा किया गया है कि लाभांश दे कर 32-50 करोड़ रुपये की बचत हुई और ऐसा प्रभाव पैदा किया गया है कि रेलवे पहली बार ही लाभांश दे रही है। परन्तु इससे सम्बन्धित तथ्यों को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। पिछले वर्ष तक 200 करोड़ रुपये तक लाभांश दिया गया है। लाभांश देने के बाद गत वर्ष 65 करोड़ रुपये की बचत हुई। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि पहले सब कार्य ठीक हुआ परन्तु मैं यह भी नहीं मानता कि सारा काम खराब हुआ। पेश किया गया बजट पिछले वर्ष के बजट के जैसा ही है। 1975-76 में 180 करोड़ रुपये का लाभांश दिया गया था। अतः यह कोई नई बात नहीं है। यात्री और माल यातायात के बढ़ने पर भी 32.5 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

रेलवे बोर्ड के कार्य का और विकेन्द्रीकरण किया जाए। रेलवे में यह रुख रहा है कि महा् प्रबन्धकों से अधिकार लेकर उन्हें रेलवे बोर्ड में केन्द्रित किया जाए। अधिकारों का यह विकेन्द्रीकरण जोनल स्तर पर ही नहीं वरन डिविजन सुपरिंटेंडेंट तक भी किया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करते समय सब बुनियादी बातें ध्यान में रखी जाएं।

1975-76 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1975-76 में 64 लाख रुपये के दावों का भुगतान किया गया तथा उनका भुगतान औसतन 60 दिन में हुआ। अब मन्त्री महोदय ने यह भुगतान 6 सप्ताह में करने का वादा किया है। परन्तु इस प्रस्ताव से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि दावों से सम्बन्धित अधिकारी, हमेशा ऐसा करने से कतरा सकते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई और ठोस प्रस्ताव रखा जाए तथा समय सीमा में इसका भुगतान करने पर जोर दिया जाए। नई रेलवे लाइन चालू करने के लिये सिद्धान्त निर्धारित किए जाएं। कन्याकुलम हो कर अलैप्पी से एरणाकुलम लाईन का निर्माण देश में सबसे अधिक लाभदायक होगा।

कोंकण लाइन का निर्माण तुरन्त शुरू किया जाए । सलेम से बैंगलौर तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से बड़े रुपये को बचत होगी । म त्रिवेंद्रम–मंगलौर गाड़ी को डीजल से चलाने का अनुरोध भी करता हूं ।

रेलवे भोजन व्यवस्था में सुधार किया जाए तथा अच्छा खाना यात्रियों को दिया जाए ।

विशेष गाड़ियां चलाने के मापदण्ड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएं ।

50 करोड़ रुपये का सामान स्टाक में पड़ा है । मन्त्री महोदय विभिन्न स्टेशनों के भण्डारों में पड़े सामान के स्टाक की सूचियों को देखें । यदि कोई वस्तु स्टाक में हो बाजार में न खरीदी जाए । वस्तुओं और मशीनों के उपयोग के सम्बन्ध में नई पद्धति अपनाई जाए और उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ।

कर्मचारियों के सहयोग से श्रमिक सम्बन्धों में सुधार के लिए मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं । बलात् अनुशासन से श्रमिक सम्बन्धों को नहीं सुधारा जा सकता । कर्मचारियों की उचित मांगें पूरी की जानी चाहिएं । मजदूर संघों में राजनीतिक आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक को समान सुरक्षा प्रदान की जाए ।

SHRI LAXMI NARAYAN NAYAK (Khajuraho) : I support the demands for grants in respect of Railway Budget presented in the House.

Railways should not be run as a commercial concern. It has a social responsibility. This should always be kept in view and the interest of the travelling public and the employees should be kept upper most.

It is not necessary to hold inquiry after an accident takes place. Efforts should be made to prevent accidents as far as possible. We must keep a watch on the employees so that negligence on the part of railway employees can be avoided.

While a number of facilities are available to first class passengers, the second class passengers do not enjoy even the here minimum facilities. Most of the second class compartments are so overcrowded that it is difficult for ladies and children to get into and travel in the compartments. Effective steps should be taken to reduce overcrowding in the trains. Someone should be posted at each station, who should ensure that passengers travelling by a particular train are able to atleast enter the compartments of the said train. Station Masters should be authorised to attach additional bogies in the trains in case there is unusual rush in the train. The Railways are not meant for profit. They are for providing facilities to the people.

There is no railway line in the backward region of Bundelkhand and Vindhya Pradesh region of Madhya Pradesh. New rail lines should be constructed there so that these regions can be developed.

A survey has been made to construct a railway line from Satna to Singraulli and Mirzapur via Rewa, but no action has been taken to construct this line. There is a pressing demand for a new railway line from Jabalpur to Lalitpur via Patan, Damoh and Tikamgarh, but no attention has been paid to this demand. Work on these lines should be taken up early. A new railway line should be constructed so as to link Khajuraho. Similarly, a rail line from Harpalpur to Khajuraho, from Khajuraho to Satna, from Satna to Rewa and from Rewa to Mirzapur should be constructed.

A level crossing should be constructed near Chapran village situated between Harpalpur station and the Dhasaan River on the Jhansi-Manikpur line.

While constructing new railway lines rural and backward areas should be given priority so that these areas can be developed.

श्री पी० के० कोडियांन (अडूर): मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्री लम्बी दूरी के दूसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आप उन्हें लम्बी दूरी की गाड़ियों में सुविधाएं तो दे रहे हैं परन्तु आप रेलवे स्टेशनों पर उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षालय और शौचालय सम्बन्धी सुविधाएं सर्वथा असन्तोषजनक नहीं हैं। ये बहुत गन्दे होते हैं। अतः रेल मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

[**कुमारी आभा मैती पीठासीन हुईं**
MISS ABHA MAITI *in the Chair*]

मुझे प्रसन्नता है कि गाड़ियों में श्रेणियों को समाप्त किया जा रहा है और श्रेणीविहीन गाड़ियां चलाई जायेंगी।

प्रथम श्रेणी वातानुकूलित डिब्बे अधिकतर खाली रहते हैं और उसमें तैनात कर्मचारी ही बैठा होता है। उनकी कोई उपयोगिता नहीं। इनके स्थान पर वातानुकूलित शायिकाएं और बनाई जाएं जिससे लोग सुविधा से यात्रा कर सकें।

केरल से आए और यहां बोलने वाले सभी सदस्यों ने एरणाकुलम--एलेप्पी लाइन की बात कही है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण जो औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करेगी और रेलवे को उससे काफी आय होगी। मंत्री जी को चाहिए कि वह स्वयं योजना आयोग से इस लाइन के लिए शीघ्र अनुमति ले लें।

किलोन से शेनकोट्टाह लाइन पर एक स्टेशन पुनालूर है। यहां रेल लाइन के साथ-साथ एक सड़क के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। इस क्षेत्र में लोग लाइन को पार करके ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। जब वे लाइन पार करते हैं तो उन पर 20–30 और 100 रु० तक जुर्माना किया जाता है। अतः मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सड़क का निर्माण शीघ्र करायें।

पुनालूर से सेनगोट्टा की लाइन के दोनों ओर पर्याप्त भूमि पड़ी है। यह भूमि किसानों को खेती के लिए पट्टे पर दी हुई है और पिछले 15 वर्षों से वहां खेती की जा रही है। क्योंकि इस भूमि को नियमित नहीं किया गया है इसलिए रेलवे अधिकारी उन्हें बहुत तंग करते हैं। यह भूमि किसानों को निश्चित शर्तों पर दी जाये। रेल अधिकारी किसानों की खड़ी फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं जिससे उन्हें गुजारा करना भी कठिन हो जाता है। मंत्री जी कृपया इस ओर ध्यान दें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं वर्ष 1977-78 के लिए रेलवे की मांगों का समर्थन करता हूं। पश्चिम बंगाल में बांकुरा और पुरुलिया पिछड़े जिले हैं पर वहां खनिज पदार्थ खूब हैं। हाल ही में बांकुरा के मजिया थाना में, कोयले के विशाल भंडार का पता चला है।

अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि रानीगंज से मजिया तक एक नई लाइन बनाई जाए तथा दामोदर नदी पर एक रेल–सड़क पुल का निर्माण किया जाये। एक नई लाइन बांकुरा होकर रानी गंज से हल्दिया तक बिछायी जाए जिससे धनबाद से हल्दिया तक कोयला कम से कम समय में ले जाया जा सके।

दुर्गापुर और आसनसोल महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं। दुर्गापुर में स्थानाभाव के कारण बर्दवान और आसनसोल दोनों ओर से रोजाना हजारों कर्मचारी आते हैं। अतः आसनसोल और बर्दवान के बीच गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। इस सेक्शन को उप-नगरीय सेक्शन घोषित करने की मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

हावड़ा देश के बड़े स्टेशनों में से एक है। वहां टर्मिनल सुविधाएं बढ़ायी जायें जिससे उसे देश के अन्य भागों से जोड़ा जा सके।

उपनगरीय और स्थानीय गाड़ियों का रख-रखाव अत्यन्त खराब है और उनमें पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं हैं। इस ओर ध्यान दिया जाये।

SHRI SHAMBU NATH CHATURVEDI (Agra) : Sir, Railways is our biggest undertaking and its smooth operation will have a healthy effect on other undertakings also Second class railway compartments are usually very much over-crowded. Passengers look like herd of cattle. It is really an ordeal for ladies and children to travel in these compartments. This situation should be improved upon. The problem of over-crowding must be solved at the earliest.

It is a healthy development that a grievances cell has been set up in railways. It has, however, not been made clear if complaints can be lodged in that cell even by by-passing the departmental heads. An assurance should be given that no disciplinary action will be taken against any employee if he lodges his grievances directly in this cell. The Minister should see that this cell be made effective and responsive to complaints.

More passengers can be accommodated in three tier compartments. The workers are in a position to make certain suitable suggestions. We should implement them. Awadh Express should terminate at New Delhi Railway Station instead of at Hazrat Nizamuddin station.

One train used to run between Agra and Bah. In 1938 it was withdrawn as it was uneconomical because of mismanagement. But one cannot term this line as useless. This should be restored at the earliest.

An overbridge should be constructed at the Rui-ki-Mandi Station at Agra.

The timing of Kutub Express be changed to faciiitate the passengers. It will not entail much expenditure.

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) नये रेल मंत्री महोदय का रेल बजट बनाने का काम काफी आसान हो गया है क्योंकि यात्रियों की संख्या तो बढ़ती ही जाती है। रेलवे को सबसे अधिक आय द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से होती है लेकिन उन्हें ही सबसे कम सुविधा दी जाती है। दूसरे दर्जे के यात्रियों को प्रतीक्षालय, शौचालय, पानी आदि की सुविधाएं अधिक और संतोषजनक ढंग से मिलनी चाहिए।

पिछले 15 महीनों के दौरान रेलवे में कार्यक्षमता में बहुत वृद्धि हुई थी। उस स्वस्थ परम्परा को बनाए रखा जाना चाहिए। पिछले दिनों में 6 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिससे जनता में भय व्याप्त हो रहा है। इन दुर्घटनाओं की जांच की जानी चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाये।

तिरुपति भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वहां देश भर से बहुत यात्री आते हैं। पर उन्हें उपयुक्त रेल सुविधा प्राप्त नहीं होती। वहां पहले लाइनों को ब्राडगेज में बदलने का काम चल रहा था, उसे रोक दिया गया है।

सभी तीर्थयात्रियों को गाड़ी या वायुयान पकड़ने के लिए रेनीगुंटा आना पड़ता है। वहां यातायात में बहुत वृद्धि हो गई है और रेल फाटक हमेशा बन्द रहता है। अतः वहां एक उपरि पुल बनाया जाये। रेल सुविधाओं के मामले में दक्षिण भारत की उपेक्षा की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

हाल में आई बाढ़ के कारण कुछ नदियों के पानी ने सुल्लूरपेट और नायडुपेट के स्थान पर रेल लाइन को कई जगह से तोड़ दिया। काफी क्षेत्र में फसल नष्ट हो गई है। रेलवे लाइनों पर पुल नहीं थे इस कारण इतना नुक्सान हुआ। इस ओर ध्यान देकर उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिएं।

एक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण तिरुपति का मद्रास और गुडुर के साथ बिजली की गाड़ी से सम्बन्ध स्थापित किया जाये। मद्रास से विजयवाड़ा तक बिजली की गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। इसे आगे तिरुपति तक बढ़ाया जाना जरूरी है इससे तिरुपति आने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा हो जायेगी। बालाजी एक्सप्रेस गाड़ी को अधिक स्टेशनों पर रुकना चाहिए।

श्रेणी रहित गाड़ियों को चलाने का भी प्रस्ताव था। मेरा सुझाव है कि दो दर्जे होने चाहिएं—एक द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शायिका जो लम्बी दूरी तक जाने वाली गाड़ियों में हो और दूसरा द्वितीय श्रेणी शायिका।

साथ में कितना सामान ले जाया जा सकता है उसकी भी सीमा नियत की जानी चाहिए। पहले दर्जे में कुछ लोग बहुत भारी सामान ले जाते हैं जिससे सहयात्रियों को असुविधा होती है और सामान को चैक भी नहीं किया जाता।

केरल एक्सप्रेस, आन्ध्र एक्सप्रेस तथा तमिलनाडु एक्सप्रैस के चल कर्मचारियों के लिए दिल्ली में विश्राम कक्ष नहीं है। उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।

DR. RAMIJ SINGH (Bhagalpur) : Sir, it seems as if some Members cannot help criticising the Railway Minister. The Railway Budget has many welcome features like reduction in the platform ticket, dieselisation of railway lines etc. The fares have also not been increased. But even these good aspects have not been appreciated.

The Railway Minister has expressed faith in Gandhism and Socialism. But mere introduction of few classless trains will not usher in Gandhism. All the trains in the country should have only that class in which Gandhiji used to travel. This thing should be implemented within a period of 5 years in a phased manner.

Then there will automatically be a lot of improvement in trains as all the big guns will travel by this class.

Secondly, corruption and indiscipline should be checked ruthlessly to improve the condition of railways.

There can be increase in the revenue of the railway if corruption is eradicated from there. Corruption and indiscipline will have to be rooted out if railway administration has to function effectively. Effective steps should be taken to eradicate corruption from the railways. Cooperation of the railway employees unions should be sought in this task. The railways should have its own intelligence department to check corrupt practices.

12—437LSS/77

The Railway Board is nothing but a white elephant. The Railway Minister should be bold enough and see that the Railway Board is abolished and Railway Ministry re-organised. That will improve the efficiency of the railways.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Some agreements were arrived at between Shri George Fernandes and late Shri L. N. Mishra in regard to the demands of railway employees. Those agreements were not implemented by the previous Government. The Janta Government should give those benefits to railway employees and win their sympathies.

There was a demand for a railway bridge over Ganga at Bhagalpur, which should be met. This bridge will provide great relief to the people of that area. Railway experts are perhaps in favour of a bridge at Kakalgaon between Bhagalpur and Monghyr. Even this site will be acceptable to the people but an early decision should be taken in the matter.

There is a railway train and railway steamer service between Bhagalpur and Bihpur. But these services have been discontinued and that has caused great inconvenience to the people. The railway authorities should take timely action to save the railway line from floods.

Survey of line from Manderhil to Baidyanathdham has been included in this year's budget. This line should be extended upto Jamtara via Dumka. There is a single line from Kiul to Baharva. There is a Jamalpur Workshop in this area and there is a lot of traffic. Trains get late on this account. This single line should be converted into double line.

A train from Bhagalpur to Delhi has been started. There is no adequate traffic on this line. If this train connects Delhi with Howrah via Bhagalpur then it will become economical and useful. At present this train runs thrice a week. It should run daily.

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : रेल मंत्री ने ठीक ही कहा है कि रेलवे पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु बुनियादी ढांचे का काम करती है। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेल मंत्री के नक्शे में देश के पिछड़े क्षेत्रों को कोई स्थान नहीं मिला है। मेघालय देश का सब से पिछड़ा क्षेत्र है। वहां के लोगों की उपेक्षा की जाती रही है। यह खनिजों के साधनों तथा बनों के उत्पादनों में बहुत समृद्ध है। मेरा सुझाव है कि बोंगाईगांव से मोहेसकोला तक रेल लाईन बनाई जाए। यह क्षेत्र हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है और केन्द्र की सहायता के बिना इसका विकास सम्भव नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।

यहां कई प्रकार की नकदी देने वाली फसलें होती हैं। अतः मंत्री महोदय को इन मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए।

KUMARI MANIBEN VALLABHBHAI PATEL (Mehsana) : I have observed that lady compartments are added at the end of a railway train. It should be in the middle of the train so that women passeners are secure and could easily get articles they need at stations.

Facilities like taps, window shutters etc. should be properly checked in yards before trains starts. Passengers have to experience lot of difficulty if these things are not attended to before the trains start. Prohibition is the accepted policy of the Government. Drinking in trains should be strictly prohibited.

The standard of maintenance of deluxe train has gone down after the introduction of Rajdhani Express. Attention should be paid to this matter so that passengers in deluxe trains experience no difficulties.

The Hon. Minister should find time to visit Mehsana and Sabarkantha in Gujarat to listen to the demands of the people for rail facilities.

SHRI KANWAR MAHMUD ALI KHAN (Hapur) : I support the budget presented by the Hon. Minister. There is railway land on both sides of the lines. This land should be utilised for planting trees which will give fruits for the people. Policemen in plain clothes should travel in trains to check thefts, dacoities etc. Those people should also keep a watch on railway property which should have special markings.

Necessary steps should be taken to eradicate corruption from the railways. Also steps should be taken to check accidents. Railway Service Commission in different zones should be wound up. There should be an All India Railway Service Commission on the pattern of U.P.S.C. which should cater to the needs of various zones.

The word "officer" has been used in the Railway Act and Railway rules. This is a legacy of British rule. This word should be removed and the word servant should be substituted in its place. There should be a direct train service between Meerut and Lucknow. This service will provide great facility to the people of that area.

श्री के० बी० चौधरी (बीजापुर) : गुंटाकल तथा बंगलौर की छोटी लाईन को बड़ी लाईन बनाने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इन दो स्टेशनों के बीच काम तो चला हुआ है लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। इसे शीघ्र पूरा किया जाये।

गडग--शोलापुर लाईन छोटी लाईन है। यह एक व्यापारिक क्षेत्र है। माल लाने ले जाने का काम ट्रकों से होता है। इन स्टेशनों पर माल लाने ले जाने के लिये रेलवे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। अतः गडग--शोलापुर लाईन को बड़ी लाईन में बदला जाये। इससे माल के लाने ले जाने में सुविधा होगी।

बीजापुर तथा बदामी अच्छे पर्यटक केन्द्र हैं परन्तु इन स्थानों के लिए उपयुक्त रेल तथा अन्य यातायात सुविधाएं नहीं हैं। इस ओर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये।

हैदराबाद---बंगलौर लाईन मीटर गेज लाईन है। इस लाईन को यदि बड़ी लाईन में बदल दिया जाये तो उससे बंगलौर के यात्रियों को काफी सुविधा हो जायेगी तथा उनका एक निश्चित अवधि के बीच दिल्ली पहुंचना सम्भव हो जायगा। ऐसी व्यवस्था से कर्नाटक तथा हैदराबाद के लोगों को भी लाभ होगा। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस सुझाव पर भी विचार करें।

श्री अमृत नहाटा :(पाली) : बैलगाड़ी अब भी हमारे देश में सस्ता तथा मुख्य यातायात साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना चौकीदार वाले फाटक हैं जिसके कारण बैलगाड़ीवानों को कठिनाई होती है। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेलवे ने ऐसे अधिकांश फाटक बन्द कर दिए हैं। कई मामलों में किसानों का गांव तो रेल पटरी के इस ओर होता है और खेत पटरी के दूसरी तरफ। राज्य सरकार ने रेल लाईन के दोनों तरफ सड़क भी बनाई है। गांव तथा खेत का फासला फर्लांग से भी कम होता है। बैलगाड़ियों को गांव से खेत तक जाने के लिए पटरी पटरी तक तीन मील और फिर पटरी के दूसरी ओर तीन मील का सफर तय करना पड़ता है। फाटक बन्द करने के कारण किसानों को असुविधा होती है। इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई जानी चाहिए।

कुछ ऐसे फाटक भी हैं जो स्टेशनों के निकट स्थित हैं और लोग इन मार्गों का स्टेशन तक पहुंचने के लिए प्रयोग करते हैं। कई फाटक शहरों के बीच में हैं। कई ऐसे फाटक हैं जो सिग्नलों के साथ हैं। इससे एक अन्य समस्या पैदा हो गई है। सिग्नलों के बाहर के रेल फाटक बन्द कर दिए गए हैं। इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। मन्त्री महोदय को रुचि रखने वाले संसद सदस्यों की एक बैठक बुलानी चाहिए और इस बारे में नीति बनानी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

जहां भी फाटक स्थित है, वहां सड़क यातायात के लिए सिग्नल या चेतावनी है लेकिन इंजिन ड्राइवर के लिए कोई सिग्नल या चेतावनी नहीं। यदि उसे चेतावनी मिल जाए कि रेलवे फाटक आगे है और वह सीटी बजा देता है तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : The traffic on roads in Delhi is too much. There is an urgent need for an underground railway in Delhi. Although survey for this work had been made but due priority had not been given to it. This work should be taken up at the earliest.

There were traffic bottlenecks at railway crossing in Delhi and overbridges are needed at those crossings. An overbridge should be provided at Shakti Nagar crossing also because there is lot of traffic there. The work on the bridge should be started at the earliest.

There is lack of basic amenities like sewer in railway colony in my constituency. Urgent steps should be taken to provide those basic amenities. It is also submitted that necessary repairs should be carried out in those quarters. I also feel that more quarters should be built for railway staff.

A proper account should be kept of railway scrap. It should be disposed of quickly so that there is no loss to the railways. The process of disposal of scrap should also be looked into as so many under hand practices are going on. I can give details in this regard.

SHRI KALYAN JAIN (Indore) : I welcome the budget. Although this budget has helped in raising some hope among the people but we had expected much more from the Minister of Railways. It would have been better if the first class had been straight away abolished. Perhaps the Minister had not paid as much attention to it as was desirable.

[श्री एम० सत्यनारायण पीठासीन हुए]

[SHRI M. SATYANARAYAN *in the Chair*]

There were a large number of saloons for use by the railway officers. Each saloon had 3 or 4 compartments. I feel if, all these saloons are abolished about 200 to 300 additional trains could be provided for the passengers.

It is a matter of regret that Indore has not been connected with broad gauge line although it is a big city with a population of over 5 lakh. So long as it is not done a shuttle train should be run bewteen Indore and Nagda. This will be of great help to the passengers for Bombay and Delhi.

My other submission is that the line from Indore to Mhow should be converted into broad gauge line and attention should be given to the construction of Indore-Dohad line, survey of which has already been carried out.

My other suggestion is that the Government could add to its income by accepting advertisement on Railways. Similarly, some income could be derived by utilising the land adjoining the railway track.

The catering service on the railway is also not satisfactory and needs due attention. If the railway canteens are given on contract for two or three, years, I think, it will not improve the service but also add to the income of the railways.

Lastly, I want to submit that several people are interested in getting their goods booked from Indore. For the booking of goods, Indore should also be treated at par with Neemuch and Mandsaur. This will help a lot in increasing the revenue of Railways. With these words I welcome this budget.

SHRI ABDUL LATEEF (Nalgonda) : Sir, yesterday on seeing the Railway budget I was very disappointed to note that due importance has not been given to the allotment of funds for Nalgonda-Bibinagar line which was under construction. This line is very necessary for the backward area of Nalgonda. When the work on this line was started in 1974 we are told that it would be completed in four years *i.e.* by 1978. But the position today is that it is nowhere near completion. At the present speed, the work can not be completed even in another 50 years. It is high time the Railway Minister should pay due attention to this line. When this work was started its estimated cost was Rs. 22 crore. But now the cost has gone upto 42 crore. I am doubtful whether we will be seeing the completion of the project during our life time or not. No work has so far been started on Krishna river as a result of which people have started to feel that sweet promises which are given during election are forgotten thereafter. This type of impression should not be allowed to be created among the people. That area is very backward. Railway income is likely to increase after the completion of this project. The Railway Minister and Planning Commission may consider this project sympathetically and allot sufficient funds so that this project could be completed by 1980.

*SHRI HARISHANKAR MAHALE (Majegaon) : There are some good things in the rail Budget. Provisions regarding double-decker wagons, comfortable facilities in the 2nd class and reduction in the rate of platform tickets deserve to be welcomed.

Railway are run by the Railway Board. In fact Railway Board is white elephant. Railway Board is not answerable like the cabinet. Each member of the Board is lord of his Department. The Railway Minister or Parliamentary Committee cannot control the Board. The Railway Board should be abolished and a new autonomous Railway Corporation should be created. This corporation should be made answerable to the Parliamentary Committee. Membership of the Corporation should be between 15 to 20.

First class and airconditioned compartments have never earned revenue to the railways. These compartments should be abolished in the public interest.

It was expected from the Janta Government that there will be some reduction in the railway fare but it has not been done. There should be reduction of 25 per cent in the railway fare.

The number of travelling passengers should be prescribed for each train. Necessary action should be taken against the staff of the stations where cases of pilferage, false compensation claims and undue income is rampant. Pilferage is generally done in collusion with the railway staff. Strict action needs to be taken to avoid such things.

Corruption prevention teams should be constituted for eradicating corruption from the railway. Persons found guilty should be straightway retired from service. There are 3 railway lines in Nasik District which is a tribal area. Necessary attention should be paid towards these lines.

*मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Marathi.

श्री तुलसीदास दासप्पा (मैसूर) : मैं मंत्री महोदय को कुछ ऐसी व्यवस्थायें करने के लिए बधायी देता हूं जिनका उद्देश्य कर्मचारियों को प्रबन्ध में शामिल करना है। उन्होंने रेलवे प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करने का संकेत भी किया है। पिछले दो वर्षों के अन्दर जुल्मों के शिकार सभी कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने के बारे में मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है वह स्वागत योग्य है लेकिन उन कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में मंत्री महोदय को पुनः विचार करना होगा जो रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करने के अपराध में पकड़े गए हों।

रेलवे में खानपान व्यवस्था के बारे में रेल मंत्री ने कहा है कि इस काम को सहकारी संस्थाओं के द्वारा चलाया जाये। इससे पहले भी सहकारी समितियों द्वारा काम चलाया गया था लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। कर्नाटक की चमराजनगर–सत्यमंगला रेल लाईन 28–30 मील लम्बी है जिसका सर्वेक्षण मैसूर रियासत के समय में हुआ था और जिसकी अजादी के बाद उपेक्षा की गई है। इसका सर्वेक्षण कई बार हो चुका है। इसकी नवीन स्थिति क्या है ?

कोटूर–हरिहर रेल लिंक भी बहुत जरूरी है। इसकी लम्बाई 18 मील के लगभग है मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए। इससे कर्नाटक को आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ होगा।

मैसूर शहर में रेलवे वर्कशाप है। यह वर्कशाप किसी समय अपनी कार्यकुशलता के लिए बहुत मशहूर थी। जिसकी अब उपेक्षा की जा रही है। अब इसके कर्मचारियों की संख्या भी 3000 से घटकर 1800 रह गई है। मंत्री महोदय को इस वर्कशाप की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैसूर–बंगलौर रेलवे लाईन के बारे में कुछ समय से कर्नाटक राज्य तथा रेलवे बोर्ड के बीच बातचीत चली है। यह लाईन बहुत पुरानी है। इस लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिये कर्नाटक राज्य ने सभी-सुविधाएं देने का वचन दिया है। अतः इस ओर उचित ध्यान दिया जाये।

रेल दुर्घटनाओं में हाल के महीनों में वृद्धि हुई है। हमें इन दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास करना चाहिये।

रेल चलने से पहले ड्राइवर की जांच की जानी चाहिये कि उसका स्वास्थ्य ठीक है या उसने शराब तो नहीं पी रखी है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सभी सुझावों की ओर ध्यान देंगे।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : मैं रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बजट दूसरे दर्जे के यात्रियों के पक्ष में है क्योंकि उनकी सुविधायें बढ़ा ली गई हैं। इन्होंने निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने का प्रयास भी किया है। प्लेटफार्म टिकट का किराया भी कम किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे दर्जे का रेल किराया बहुत अधिक है। उन्होंने दूसरे दर्जे के किराये सम्बन्धी समस्या पर कोई विचार नहीं किया है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से कलकत्ता तक दूसरे दर्जे का रेल किराया 1.85 रुपये

है जबकि बस का किराया केवल 95 पैसे हैं। इस स्थिति में लोग रेल द्वारा यात्रा क्यों करेंगे? अतः दूसरे दर्जे का किराया कम करने के लिये कदम उठाने चाहिएं।

अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों में कमी की जायेगी, लेकिन इससे ही कार्यकुशलता नहीं आएगी। कई और कठिनाइयां भी हैं जिनसे कार्य कुशलता में कमी आई है।

रेल मंत्री ने रेलों पर हेराफेरी, बरबादी, चोरी तथा अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। पूर्व रेलवे पर प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये की बरबादी, हेराफेरी, चोरी आदि होती हैं। रेलवे सुरक्षा दल है परन्तु यह पर्याप्त नहीं हैं। इस दल को सूचारू रूप से चलाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

खान-पान व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। विक्रेता तथा ठेकेदार खान-पान सेवा में भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं तथा वहां भेदभाव तथा पक्षपात बरता जाता है।

रेलें ठीक समय पर नहीं चल रही हैं। यह बड़े दुःख की बात हैं। रेल मंत्री इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और उचित कार्यवाही करें।

अनूसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए।

सुन्दरवन देश का तथा राज्य का अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र हैं। इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिये एक रेल लाइन होनी चाहिए। इस क्षेत्र में सैकड़ों द्वीप हैं। यहां कोई सड़क भी नहीं है। मालूम नहीं इस क्षेत्र की उपेक्षा क्यों की जा रही हैं? यदि हमारा मुख्य लक्ष्य विकास करना हैं तो हमें लाइन की लाभप्रदता को ध्यान में न रखकर अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिये रेल लाइनें बिछाई जानी चाहियें।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे का क्या हुआ है? इस पर और कितना समय लगेगा? इसके लिये निर्धारित की गई राशि क्या है, यह भी मालूम नहीं हैं। कलकत्ता में यातायात की भारी भीड़ होती हैं और जब तक भूमिगत रेलवे लाइन नहीं बनाई जाती तब तक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

SHRI BHAGIRATH BHANWAR (Jhabua) : I rise to support the demands for grants in respect of Railway Budget. There are many backward areas in the country which have not seen a railway line so far. I will urge upon the Minister that priority should be given to these remote and underdeveloped areas in lodging new railway lines so that these areas can be opened up and their natural rsources can be tapped.

Survey has been completed for Dahod-Indore railway line. The previous government said that this line is uneconomic, but something has to be done in such areas. Hence I demand that construction of this railway line should be taken up early.

There is already a narrow gauge line from Baroda to Chota-Udipur. I request this narrow gauge line should be converted into broad gauge and extended upto Indore, so that this area can be developed industrially.

A survey has been undertaken for a railway line from Ratlam to Udaipur via Banswara and Dungarpur. This work should be expedited and the railway line should be

constructed without any further delay because this will provide relief to an area which is usually afflicted. bv draught and famine.

There is a pressing demand for a new railway line from Banswara and Khandwa via Dohad, Alirajpur, Badwali and Khargone. This line covers the biggest district of Nimar, some part of Dhar and Jhabua district and some part of Maharashtra. This line can open up an area which has rich potential for industrial development.

There are complaints from people that corruption is rampant in railways, staff do not work efficiently, there is no cleanliness on railways, water and light facility is not available in trains. We also feel that some of these complaints are genuine. I will request that all these things should be looked into and situation remedied.

There was a passenger train from Ahmedabad to Bhopal. Now this train has been cutshort upto Ratlam only. I will urge upon the Minister to see that it is restored to Bhopal as before.

Sabarmati Express Train should stop at Vamania Station. This will facilitate the people of that area.

It is reported that R.P.F. personnel are involved in thefts on railways. Attention should be paid towards this.

I will also request that Khandwa-Ratlam metre gauge line should be converted into broad gauge line. It will provide a direct link between Khandwa and Bombay. It will also benefit traders of Indore and Ratlam.

There are many complaints regarding corruption, insecurity conditions at stations/trains non-availability of drinking water and lack of amenities to passengers. These should be looked into and removed. New Janta Government is in saddle. Government should give a face lift to our railways by giving clean and efficient administration.

SHRI RAGHAVJI (Vidisha) : The railway budget is in accordance with the aspirations and wishes of people. The assurances given in the budget speech should be fulfilled.

There is a lot of corruption and bungling in the matter of reservation in railways. This should be removed and the reservation procedure should be improved so that the passengers may not feel any difficulty. The reservation charts should be displayed prominently outside the compartment and the vacancies should be indicated therein promptly.

So far as *ad hoc* appointments are concerned, the Minister has said that they will have to appear before the Service Commission. In Railways property worth lakhs of rupees is being pilfered. There are organised gangs on many stations who indulge in these activities. Stern effective steps should be taken to check this menace.

The use of Hindi should be made progressively in Railways. My submission is that the reservation charts etc. should be filled in Hindi. There are large tracts of lands on both sides of railway track. This land should be utilised for planting fruit trees.

The accommodation in the second class compartment is much less than the requirement. These compartments are mostly overcrowded so much that people have to travel on the roofs of compartments. Railways should take effective and prompt action to relieve this congestion. My other submission is that more trains should be introduced on Delhi-Bombay line. Arrangements should be made to provide additional compartments in the crowded trains.

The work of Electrification of the trains should be expedited. Vidisha region of Madhya Pradesh is very backward. With a view to accelerate the development of this underdeveloped area, it is necessary, that a railway line should be constructed soon. An assurance should be given for constructing a railway line in Bastar soon.

More ticket counters should be opened by railways so that passengers might not have wait for hours for getting tickets. Proper arrangements should be made to provide drinking water at stations.

There is a quota of three berths in Punjab Mail at Vidisha. This quota has been reduced to one. I request that if the increase in quota is not feasible, atleast the original quotas should be restored.

The standard of catering has gone down in railways. Appropriate steps should be taken to improve the quality of service as also of food stuff in railways canteen. In India there are many cities which are famous for one speciality or the other. The cities which are famous for some speciality, should have a stall of the same on the Railway station so that passengers can have the benefit of getting the speciality even if the train stops there for five minutes.

A good use of railway compartments can be made for advertisement purposes. It could bring in much needed revenue to railways. This suggestion should be looked into.

Vidisha town is situated on both sides of the station. If the present foot over-bridge at station is extended a little further it will be a great service to the people of Vidisha and on the other hand Raiway will not have to spend much on it.

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूबनगर) : यह मेरे लिए हर्ष की बात है कि रेल मंत्री इस समय उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि इससे मुझे अपने सुझावों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने का अच्छा अवसर मिल जायेगा। कल मंत्री महोदय ने रेल बजट सम्बन्धी चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि पिछड़े क्षेत्रों में रेलों का विकास करने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कल ही मैंने उनसे निबनगर–नाडिकुड रेलवे लाईन के बारे में पूछा था इस लाईन के लिए कुल 30 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। यदि इस योजना के लिए केवल इसी दर से उपबन्ध किया जाता रहा तो इसे पूरा करने में 100 वर्ष का समय लग जायेगा। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि आपको केवल कुछ ही रेलवे लाइनों पर कार्य आरम्भ कर पहले उन पर काम समाप्त कर, फिर नई लाइनों का काम शुरू करना चाहिए। ऐसा करने का एक लाभ यह होगा कि इन लाइनों से आमदनी होनी शुरू हो जायेगी।

मंत्री महोदय ने नई दृष्टि की बात अपने बजट भाषण में की है। मैं उनके इस दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं परन्तु मुझे यह समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने अपने बजट में क्या नवीनता दर्शायी है? बजट में एक भी ऐसी रेलवे लाईन का उल्लेख नहीं है जो नई हो।

रेल मंत्री (श्री मधुदंडवते): नई का तात्पर्य यह नहीं है कि पुरानी विचाराधीन लाइनों के प्रस्तावों को छोड़ दिया जाए।

श्री जे० रामेश्वर राव : मैं समझता हूं कि रेलवे लाईनों के बिछाने के कार्य में उपयुक्त प्राथमिकता दर्शायी जानी चाहिए। पहले रेलवे प्रशासन एक समय में कई रेलवे लाइन बिछाने का काम करता था। परिणाम यह होता था कि परियोजनाओं के पूरा होने में काफी समय

लग जाता था। यह गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताएं नियत कर दी जानी चाहिए। 5 या 6 परियोजनाएं हाथ में लेकर उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद और लाइनें बिछाई जानी चाहियें। इससे परियोजनायें शीघ्र पूरी होंगी और उसके परिणाम शीघ्र निकलेंगे।

निजाम सागर परियोजना से एक करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, लेकिन इससे होने वाले कृषि उत्पाद को मण्डियों तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं। सड़कें भी अच्छी हालत में नहीं हैं। रेलवे लाइन से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। इस लाइन के लिए 30 लाख रुपए रखे गए हैं। यह राशि बहुत कम है। इस परियोजना को पूरा करने में सौ वर्ष लगेंगे।

निजामाबाद–रामगुंडम बरास्ता करीमनगर लाइन पांचमपद परियोजना के लिए, जो शीघ्र ही पूरी होने वाली है, लाभदायक सिद्ध होगी। इससे 1 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। कृषि उत्पाद को मण्डियों तक पहुंचाना होगा। परन्तु यातायात के साधन के बिना यह काम कैसे सम्भव है रामगुंडम औद्योगिक क्षेत्र है। दक्षिण में यह सबसे बड़ा कोयला-उत्पादन क्षेत्र है। अतः इस लाइन से कृषि तथा उद्योग दोनों को लाभ होगा।

विश्व में तेल की कमी है। अतः डीजल के प्रयोग में वृद्धि करने की बजाय हमें विद्युतीकरण पर जोर देना चाहिए। यह ज्यादा खर्चीला भी नहीं है। मेरे विचार से गाड़ियों का डिजलीकरण गांधी जी के विचार के विरुद्ध है और गाड़ियों को बिजली से चलाया जाना चाहिये। यह अधिक खर्चीला भी नहीं होगा।

रेलवे में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले तो आप कहते थे कि कुछ रेल कर्मचारियों को नौकरी से निकाला हुआ है और शेष कर्मचारी निराश हैं। इस लिए कार्यक्षमता में कमी आई है। लेकिन अब तो आजादी है। अब क्यों इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस ओर ध्यान देकर कारणों की जांच होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त रेलवे में अपराध भी बढ़े हैं। रेल यात्रा में असुरक्षा की भावना आ रही है। इस बारे में आवश्यक उपाय किया जाना अनिवार्य है।

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : Sir, I support the rail budget and congratulate the Railway Minister. But I most point out that Janta's Budget should be presented in Janta's language which is Hindi.

Construction of certain lines in Darbhanga district were taken up when late Shri L. N. Mishra was the Railway Minister. That work is now held up. It should be expedited.

The survey work in connection with Sapri Hasanpur line had been completed, the land had been acquired but the railway line is still not complete. It is a wastage of land and material. Early steps should be taken to construct that line.

In my constituency, Madhubani, there is 83 mile long border with Nepal. But there is neither any road nor any railway line in this area. So new railway lines may be laid from Jhanjharpur to Lokaha. Similarly from Nirmali to Jainagar which may later be extended upto Sitamarhi. This will facilitate traffic to a great extent.

Many new lines are being constructed. It will be better if Ministry of Agriculture and Ministry of Finance be consulted while constructing railway bridges over rivers. Bridges

should be constructed near barrages. This will help in irrigation of lands. There is shortage of power in the country. But we should give priority to agriculture in the matter of allocation of power.

Classless trains should be introduced throughout the country. There are a number of railway crossings where traffic is held up for hours. So more and more over-bridges should be provided on these level crossings.

We find a lot of disparity in pay scale of officers and lower staff. There should be a ratio of 10 : 1 in the salaries of the highest and the lowest paid staff.

In Darbhanga there was a claims office which has been closed. It has caused lot of inconvenience. The claims office should be restored as early as possible.

You should improve work on Darbhanga-Madhubani line so that Darbhanga is linked with all places.

MR. SPEAKER : सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

18.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 17 जून, 1977/27 ज्येष्ठ, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday June 17, 1977/ *Jyaistha* 27, 1899 (*Saka*).

437LSS/77— —9-9-77 —GIPF